SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

2025 की प्रतिवेदन सं. 20

(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत
कौशल विकास
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
2025 की प्रतिवेदन सं. 20
(निष्पादन लेखापरीक्षा - सिविल)

प्रतिवेदन संसद में निम्नवत प्रस्तुत किया गया था:

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय-सूची

विवरण			पृष्ठ सं.
प्राक्कथन			v
कार्यकारी सारांश			vii-xii
पैरा	**उप-पैरा**	**विवरण**	
अध्याय 1: प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना-प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण			
1.1		प्रस्तावना	1
1.2		पीएमकेवीवाई हितधारक	1
1.3		पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया	4
	1.3.1	पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण	6
1.4		पीएमकेवीवाई का विकास	7
1.5		कौशल भारत-कुशल भारत पोर्टल	9
1.6		इस निष्पादन लेखापरीक्षा को शुरू करने के कारण	10
1.7		लेखापरीक्षा उद्देश्य	10
1.8		लेखापरीक्षा मानदंड	11
1.9		लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कवरेज	11
1.10		लेखापरीक्षा पद्धति	13
1.11		अभिस्वीकृति	14
अध्याय 2: योजना एवं अवसंरचना			
2.1		पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन रणनीति और योजना	15
	2.1.1	पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण का एनपीएसडीई कौशल-अंतर आवश्यकताओं के साथ संरेखण	16
	2.1.2	पीएमकेवीवाई के अंतर्गत सूक्ष्म-स्तरीय कौशल-अंतर की जानकारी और प्रशिक्षण	21
	2.1.3	पीएमकेवीवाई के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास योजना तैयार करना	23
2.2		कौशल विकास गतिविधियों का अभिसरण	24
	2.2.1	केंद्रीय स्तर पर अभिसरण	26
	2.2.2	राज्य एवं जिला स्तर पर अभिसरण	28
2.3		पीएमकेवीवाई के लिए संस्थागत ढांचा	30
	2.3.1	केंद्रीय स्तर पर पीएमकेवीवाई समितियां	31
	2.3.2	कौशल गुणवत्ता आश्वासन और विनियामक तंत्र	32

2.4		पीएमकेवीवाई के लिए डाटा प्रबंधन एवं आईटी नियंत्रण ढांचा	33
	2.4.1	पीएमकेवीवाई डाटा के प्रतिधारण के लिए नीति का अभाव	33
	2.4.2	पीएमकेवीवाई के लिए कमजोर आईटी नियंत्रण ढांचा	36
अध्याय 3: कार्यान्वयन तथा उपलब्धियाँ			
3.1		लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ	43
3.2		पात्रता के निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों के साथ पीएमकेवीवाई प्रमाणीकरणों का संरेखण	45
	3.2.1	अभ्यर्थियों का आयु प्रोफाइल तथा न्यूनतम मानदंडों के साथ उसकी अनुरुपता	46
	3.2.2	अभ्यर्थियों का शैक्षिक प्रोफाइल तथा न्यूनतम मानदंडों के साथ उसकी अनुरुपता	48
	3.2.3	अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव तथा न्यूनतम मानदंडों के साथ उसकी अनुरुपता	51
	3.2.4	लक्षित लाभार्थियों को शामिल करने की प्रणाली	52
3.3		प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य प्रदान करना	53
	3.3.1	प्रशिक्षण केंद्र	55
3.4		पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया	57
	3.4.1	रक्षा कार्मिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण	57
	3.4.2	कौशल केन्द्र पहल	59
	3.4.3	पीएमकेवीवाई के अंतर्गत गरीब कल्याण रोजगार अभियान	61
3.5		राज्यों में आकलन गतिविधियाँ	61
3.6		पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रमाणित अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट	63
	3.6.1	राज्यों में प्लेसमेंट गतिविधियाँ	65
3.7		आरपीएल प्रमाणन के लिए बढ़ी प्राथमिकता	67
3.8		आरपीएल-बीआईसीई के अंतर्गत प्रमाणीकरण	68
	3.8.1	नियोक्ताओं द्वारा कौशल प्रमाणीकरण जो 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' के रूप में वर्गीकरण के योग्य नहीं थे	69
	3.8.2	प्रमाणीकरण अभिकरण तथा अभ्यर्थियों के बीच कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों का अभाव	79
	3.8.3	आरपीएल-बीआईसीई की परियोजनाओं की निगरानी में अनियमितताएं	81
अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन			
4.1		पीएमकेवीवाई निधि का बजट, निर्गम एवं उपयोग	87
4.2		पीएमकेवीवाई निधियों पर बजटीय और वित्तीय नियंत्रण	91
	4.2.1	एनएसडीएफ के माध्यम से वित्तपोषण	91

	4.2.2	वित्तीय संसाधनों का गलत अनुमान एवं निधियों के हस्तांतरण में विलंब	93
	4.2.3	राज्यों में पीएमकेवीवाई निधियों का अप्रभावी उपयोग	95
	4.2.4	लाभार्थियों को पुरस्कार राशि और प्रोत्साहन राशि का भुगतान न करना	96
	4.2.5	हितधारकों को सीधे शुल्क का भुगतान न करना	100
4.3		एनएसडीसी द्वारा पीएमकेवीवाई निधियों का प्रबंधन	100
	4.3.1	पीएमकेवीवाई अनुदान के सापेक्ष में अर्जित ब्याज का गलत लेखांकन	100
	4.3.2	जिला कौशल समितियों के लिए निर्धारित निधियों का हस्तांतरण न होना	103
4.4		क्षेत्र कौशल परिषदों के बकाया भुगतान	104
अध्याय 5: जुटाव, निगरानी एवं प्रतिपुष्टि			
5.1		पीएमकेवीवाई के लिए जुटाव	105
	5.1.1	जिला कौशल सूचना केंद्र	106
5.2		पीएमकेवीवाई में निगरानी तंत्र	106
	5.2.1	आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस)	106
	5.2.2	राज्य और जिला स्तरीय निगरानी तंत्र	107
5.3		पीएमकेवीवाई के लिए प्रतिपुष्टि तंत्र	108
अध्याय 6: निष्कर्ष			109-111
अनुलग्नक			115-129
संकेताक्षरों की सूची			131-133

प्राक्कथन

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है, जिसे जुलाई 2015 में उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था।

वर्ष 2015-22 के बीच, पीएमकेवीवाई के तीन चरण प्रमोचित किए गए थे, जिसमें मंत्रालय ने कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹10,194 करोड़ जारी किए तथा 1.10 करोड़ लाभार्थियों को कौशल प्रमाणीकरण प्रदान किया। इस योजना का प्रबंधन, केन्द्रीय और राज्य घटकों के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा राज्य कौशल विकास मिशनों को भौतिक लक्ष्यों तथा वित्तीय आबंटन का क्रमशः 75 तथा 25 *प्रतिशत* निर्धारित करके किया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवदेन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। इसमें प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास के प्रथम तीन चरणों के लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

प्रस्तावना: ***प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना*** (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है जिसे जुलाई 2015 में युवाओं की बड़ी संख्या को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। वर्ष 2015-22 के बीच, लगभग ₹ 14,450 करोड़ के परिव्यय तथा 1.32 करोड़ अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण/ प्रमाणीकरण प्रदान करने के संयुक्त लक्ष्यों के साथ पीएमकेवीवाई के तीन चरणों को प्रारंभ किया गया। पीएमकेवीवाई के प्रथम चरण को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था तथा इसके दूसरे चरण से, केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निम्नलिखित घटक शुरु किए गए थे:

क) **केन्द्र प्रायोजित केन्द्र प्रबंधित (सीएससीएम):** योजना निधि तथा लक्ष्य का 75 *प्रतिशत* एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास के लिए आवंटित किया गया था।

ख) **केन्द्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम):** योजना निधि तथा लक्ष्य का 25 *प्रतिशत* राज्य कौशल विकास मिशनों के माध्यम से कौशल विकास के लिए आवंटित किया गया था।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में निम्न शामिल है:

- **अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)** - यह योजना लक्षित प्रशिक्षुओं: स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके या फिर बेरोजगारों, के लिए बनाई गई। प्रशिक्षण की अवधि 200 से 600 घंटे तथा छ: महीनों तक की होती है।
- **पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल)** - पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल प्राप्त व्यक्तियों को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए बनाई गई। आरपीएल प्रमाणीकरण पांच विभिन्न पद्धतियों अर्थात् आरपीएल कैम्प, नियोक्ता परिसर में आरपीएल, मांग के माध्यम से आरपीएल, श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (बीआईसीई) के साथ आरपीएल तथा विशिष्ट नौकरी-भूमिका हेतु ऑनलाईन आरपीएल के माध्यम से प्रदान की जाती है।

- **विशेष परियोजना (एसपी)-** यह योजना भूगोल, जनसांख्यिकी तथा सामाजिक समूहों के अनुसार विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष क्षेत्रों तथा/या परिसर में प्रशिक्षण के लिए बनाई गई।

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण: 'पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास' की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा समाज एवं अर्थव्यस्था पर इसके प्रभाव, कौशल प्रशिक्षण पहल की निरंतर प्रकृति तथा कार्यक्रम पर व्यय की गई पर्याप्त मात्रा में लोक निधि (₹ 10,194 करोड़) पर विचार करने के पश्चात की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान, वर्ष 2015-22 की अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई पीएमकेवीवाई के तीन चरणों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से शामिल किया गया था:

- यह लेखापरीक्षा एमएसडीई, एनएसडीसी तथा आठ चयनित राज्यों **(असम, बिहार, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश)** में उनके संबंधित राज्य कौशल विकास मिशन तथा चयनित जिला कौशल समितियों में की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कौशल विकास निधि तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) को भी संबंधित वित्त तथा कौशल विकास गुणवत्ता-संबंधी मामलों की जांच हेतु शामिल किया गया था।
- लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्रशिक्षण केन्द्रों का भौतिक निरीक्षण तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र कौशल परिषदों, योजना के अधीन कार्य कर रहे विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों तथा इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके चयनित प्रशिक्षुओं के ई-मेल पर ऑनलाईन प्रश्नावली भी भेजी गई थी।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी- **(क)** हितधारकों की भूमिका/उत्तरदायित्वों, संस्थागत ढांचा तथा कार्यनीति, **(ख)** योजना के कार्यान्वयन हेतु अपनाए गए दृष्टिकोण की प्रभावशीलता, **(ग)** वित्तीय औचित्य के सिद्धांत के अनुरुप योजना का वित्तीय प्रबंधन **(घ)** परिचालन, निगरानी, फीडबैक, प्रभाव विश्लेषण हेतु नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता तथा **(ड़)** प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रिया का एकीकरण।

मुख्य अभ्युक्तियां: पीएमकेवीवाई के तीन चरणों के दौरान ₹ 14,449 करोड़ के कुल योजना परिव्यय के प्रति ₹ 10,194 करोड़ जारी किए गए थे जिसमें से ₹ 9,261 करोड़ का उपयोग किया गया था तथा 1.32 करोड़ अभ्यर्थियों के कुल लक्ष्य के प्रति 1.10 करोड़ अभ्यार्थियों को प्रमाणित किया गया। इस प्रतिवेदन में शामिल विभिन्न मामलों अर्थात् योजना, अभिसरण, संस्थागत ढांचा, कार्यान्वयन, वित्त, निगरानी, सूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करके अध्याय-वार महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अध्याय 2- योजना एवं अवसंरचना

- ✓ पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन हेतु सूक्ष्म-स्तरीय कौशल-अंतर सूचना, दीर्घकालिक कार्यान्वयन नीति तथा राष्ट्रीय कौशल विकास योजना का अभाव था। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत क्षेत्रवार तथा राज्यवार प्रशिक्षण कौशल अंतर अध्ययनों के अनुरूप नहीं थे। **(पैरा 2.1)**
- ✓ पीएमकेवीवई के तीनों चरणों के समापन के पश्चात भी विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रयासों के बीच तथा केन्द्र तथा राज्य विभागों के बीच अभिसरण प्रभावी नहीं था। **(पैरा 2.2)**
- ✓ राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले कौशल गुणवत्ता आश्वासन एवं विनियमन हेतु शीर्ष स्तरीय ढांचा अभी भी स्थापना की प्रक्रिया में था तथा वह केवल सीमित विनियामक भूमिका अदा कर रहा था। **(पैरा 2.3.2)**
- ✓ महत्वपूर्ण डाटा/सूचना अर्थात् आयोजित प्रशिक्षण के फोटाग्राफिक/वीडियो साक्ष्य तथा प्रतिभागियों की शिक्षा/कार्य अनुभव से संबंधित अभिलेख आदि के प्रतिधारण की नीति का अभाव था। इलेक्ट्रानिक पहचान/प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ता/अभ्यर्थियों के संपर्क विवरण तथा उनके खाता विवरणों के संबंध में नियंत्रण भी प्रभावी नहीं था। **(पैरा 2.4)**

अध्याय 3- कार्यान्वयन तथा उपलब्धियां
✓ पीएमकेवीवाई डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को दिशानिर्देशों/योग्यता पैक में निर्धारित अनकी आयु, शिक्षा, कार्य अनुभव संबंधित विशिष्ट मानदण्डों को अनदेखा करके नामांकित किया गया था। लक्षित लाभार्थियों अर्थात् बेरोजगार युवाओं तथा स्कूल/कॉलेज छोड़ने वालों को शामिल करने/सत्यापित करने का तंत्र भी उपलब्ध नहीं था। **(पैरा 3.2)**
✓ पीएमकेवीवाई डाटा के विश्लेषण से यह भी पता चला कि पीएमकेवीवाई के एसटीटी/एसपी संघटक के अंतर्गत प्रमाणित कुल अभ्यर्थियों (अर्थात् 56.14 लाख) में से 23.18 लाख अभ्यर्थियों (अर्थात् 41 *प्रतिशत*) को नौकरी प्रदान की गई थी। केरल में प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट के प्रमाण के रूप में गलत प्लेसमेंट दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। **(पैरा 3.6)**
✓ आरपीएल-बीआईसीई के संबंध में अभिकरणों के चयन, प्रस्ताव की संवीक्षा, कार्यान्वयन तथा निगरानी प्रक्रिया के कई अनियमितताएं पाई गई थी। एनएसडीसी द्वारा किए गए प्रशिक्षणों तथा निगरानी के समर्थन में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज अविश्वसनीय थे। **(पैरा 3.8)**
अध्याय 4- वित्तीय प्रबंधन
✓ राज्य घटक के अंतर्गत निधियों के निर्गम में विलम्ब तथा निधियों का गैर-उपयोग हुआ था। निधियां प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के उल्लंघन में जारी की गई थीं। ₹ 222.63 करोड़ की केन्दीय संघटक निधियों के गलत अनुमान तथा अंतरण में विलम्ब के परिणामस्वरुप सीएफआई पर बोझ पड़ा। **(पैरा 4.1, 4.2.1 एवं 4.2.2)**
✓ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात, मंत्रालय ने एनएसडीसी द्वारा रखे हुए ₹ 12.16 करोड़ ब्याज की वसूली की। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 1.0 के संबंध में, एनएसडीसी ने मंत्रालय से ₹ 24.13 करोड़ का अधिक प्रशासनिक व्यय लिया। **(पैरा 4.3.1)**

✓ व्यय के संबंध में मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एनएसडीसी द्वारा जिला कौशल परिषदों को निधियां जारी नहीं की गई थी जो मंत्रालय द्वारा खराब निगरानी तथा पर्यवेक्षण को दर्शाता है। **(पैरा 4.3.2)**
अध्याय 5- जुटाव, निगरानी एवं प्रतिपुष्टि
✓ पीएमकेवीवाई के आरपीएल घटक के संबंध में आधार समर्थित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। प्रशिक्षण केन्द्रों (टीसी) के निरीक्षण से पता चला कि 24 टीसी में बायोमैट्रिक उपकरण या तो लगाए नहीं गए थे या फिर कार्य नहीं कर रहे थे। **(पैरा 5.2.1)**

मंत्रालय का उत्तर: एमएसडीई ने पीएमकेवीवाई हेतु कौशल परिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के प्रति उठाए जा रहे विभिन्न कदमों जैसे कि पंजीकरण प्रक्रिया के समर्थन हेतु यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडाइस) डाटा को शामिल करना, नीति, फील्ड एवं डाटा स्तरों पर अभिसरण संबंधी निर्णय, अधिक राज्य/केन्द्रीय योजनाओं को शामिल करना तथा निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने की सूचना दी (मई 2023 तथा जून 2025)।

इसके अतिरिक्त चौथे चरण से, मंत्रालय ने योजना दिशानिर्देशों में कई उपाय शुरू किए हैं जैसे कि अभ्यर्थियों का आधार प्रमाणित ई-केवाईसी, नाम, आयु, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर तथा बेहतर रोजगार क्षमता का पता लगाने हेतु स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) के माध्यम से एक वर्ष की प्रमाणीकरण पश्चात ट्रेकिंग करना।

मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर/आश्वासन की आगे जांच की गई थी (अगस्त-अक्तूबर 2024) तथा निष्कर्षों को भौतिक/वित्तीय अद्यतनों के साथ प्रतिवेदन में शामिल किया गया था।

अनुशंसा: प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर, निम्नलिखित अनुशंसा की जा रही हैं:

1. *मंत्रालय को अपने कौशल प्रशिक्षण को बाजार मांग के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में नौकरी की भूमिकाओं में पहचाने गए कौशल-अंतरों के साथ संरेखित करना चाहिए।*

2. *मंत्रालय को परिकल्पित राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (एनएसडीपी) की तैयारी में तेजी लाकर तथा अपने कौशल प्रयासों को दिशा और निरंतरता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक योजना को अपनाकर पीएमकेवीवाई प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए।*
3. *मंत्रालय को केंद्र और राज्यों में सभी कौशल प्रशिक्षण पहलों की मैपिंग सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उनके अभिसरण और डेटा एकीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।*
4. *मंत्रालय को पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत निर्धारित आईटी नियंत्रणों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए तथा डेटा प्रतिधारण नीति लागू करने पर विचार करना चाहिए जिसमें रखे जाने वाले डेटा, डेटा प्रतिधारण का स्थान एवं अवधि के साथ-साथ डेटा प्रतिधारण करने वाले निकायो के उत्तरदायित्वों को भी निर्दिष्ट करना चाहिए।*
5. *मंत्रालय को पीएमकेवीवाई पंजीकरण के साथ यूडाइस डाटा के एकीकरण के तंत्र में तेजी लानी चाहिए तथा ड्रापआउट छात्रों को अच्छे प्रकार से लक्षित करने हेतु योजना दिशानिर्देशों/योग्यता पैक के अनुसार न्यूनतम प्रवेश मानदंड के कड़े अनुपालन में लक्षित लाभार्थियों को शामिल करने को सुनिश्चित करना चाहिए।*
6. *मंत्रालय को निर्धारित कमियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन गतिविधियों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ करना चाहिए।*
7. *मंत्रालय को निरीक्षण तंत्र को सुदृढ करना चाहिए तथा प्रभावी निगरानी के लिए प्रणाली सत्यापन जांच को सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।*
8. *मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीति रुप से योजना बनानी चाहिए कि पीएमकेवीवाई चरणों के बीच योजना की व्यय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा हितधारकों द्वारा निधियों का समय पर हस्तांतरण एवं लेखांकन के लिए अपने वित्तीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।*
9. *मंत्रालय को मूल्यांकन और पाठ्यक्रम सुधार के लिए नियमित निगरानी और प्रतिपुष्टि के निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।*

अध्याय 1: प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना- प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.1 प्रस्तावना

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है। इसे जुलाई 2015 में युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए आरंभ किया गया था जो उन्हें बेहतर और सतत् आजीविका प्राप्त करने में मदद करेगा। पीएमकेवीवाई व्यक्तियों की आवश्यकताओं को अनौपचारिक रूप से अर्जित कौशल/अनुभव का आकलन और प्रमाणन करके कौशल प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मान्यता देता है।

भारत के संविधान की समवर्ती सूची में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण सहित शिक्षा एक विषय के रुप में शामिल है और इसलिए यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। जुलाई 2024 तक, एमएसडीई की सात कौशल विकास योजनाएँ, 22 अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के 35 कौशल विकास कार्यक्रम **(अनुलग्नक 1.1)** और 23 राज्यों की 95 योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही थीं।

1.2 पीएमकेवीवाई हितधारक

पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन में शामिल हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

- **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई)**

  यह मंत्रालय देश भर में कौशल विकास प्रयासों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। इसके प्रमुख कार्यों में कुशल जनशक्ति की माँग और आपूर्ति के बीच के अंतर को भरना, एक मजबूत व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढाँचा विकसित करना, कौशल उन्नयन की सुविधा प्रदान करना एवं नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य व्यक्तियों को न केवल

मौजूदा नौकरियों के लिए बल्कि उभरते रोज़गार के अवसरों के लिए भी आवश्यक कौशल से परिपूर्ण करना है।

➢ राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एवं राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण को मिलाकर एक विनियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना की। एनसीवीईटी की परिकल्पना कौशल विकास में गुणवत्ता और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए की गई थी। सर्वोच्च राष्ट्रीय विनियामक के रूप में, यह मानक निर्धारित करने, व्यापक विनियम तैयार करने तथा व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी है।

➢ राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ)

एनएसडीएफ की स्थापना 2008 में सरकार द्वारा देश में कौशल विकास के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से निधियां जुटाने के लिए की गई थी। सरकार द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक न्यास अर्थात् 'राष्ट्रीय कौशल विकास न्यास' इस कोष का संरक्षक है। एनएसडीएफ का संचालन और प्रबंधन एमएसडीई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और उद्योग प्रतिनिधियों के अधिकारियों से मिलकर बने न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है। ₹ 1,745.10 करोड़ के सरकारी कोष से स्थापित इस कोष को सीएसआर अंशदान से ₹ 169.69 करोड़ भी प्राप्त हुए। यह प्राथमिक कार्यान्वयन अभिकरण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। कार्यान्वयन अभिकरण को सीधे वित्तपोषित करने के अतिरिक्त, मंत्रालय ने एनएसडीएफ के माध्यम से पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए भी निधियां उपलब्ध करायीं।

➢ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)

एनएसडीसी एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 2008 में वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत शामिल किया गया था। एनएसडीसी की शेयर पूंजी का 49 *प्रतिशत* हिस्सा

सरकार के पास है, जबकि निजी क्षेत्र (उद्योग निकायों)[1] के पास शेष 51 *प्रतिशत* है। एनएसडीसी पीएमकेवीवाई के केंद्रीय घटक के लिए प्राथमिक कार्यान्वयन अभिकरण है। एनएसडीसी क्षेत्र कौशल परिषदों के गठन, प्रशिक्षण प्रदाताओं/प्रशिक्षण केंद्रों के पंजीकरण, मान्यता और संबद्धता और कौशल भारत-कुशल भारत पोर्टल[2] के प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है।

➢ क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी)

एसएससी को एनएसडीसी द्वारा स्वायत्त उद्योग-नेतृत्व वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है और एनसीवीईटी द्वारा संबंधित क्षेत्रों अर्थात् मोटर वाहन, परिधान, कृषि आदि में कौशल प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रमाणन प्रदान करने वाली संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है। वे अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए मानक तैयार करते हैं, कौशल-अंतर अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रशिक्षुओं का प्रमाणन आदि आयोजित करते हैं।

➢ राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम)

ये पीएमकेवीवाई के राज्य घटक को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) को कार्यात्मक स्तर पर जिला कौशल समितियों (डीएससी) द्वारा समर्थन दिया जाता है। डीएससी जिला स्तर पर पीएमकेवीवाई से संबंधित गतिविधियों के लिए जुटाव, परामर्श, बैच गठन, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। एसएसडीएम/ डीएससी एनएसडीसी के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे पीएमकेवीवाई के केंद्रीय घटक के जुटाव, परामर्श और निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

---

[1] 1. भारतीय उद्योग महासंघ 2. भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ 3. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों से सम्बद्ध 4. भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन 5. भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स संघों का महासंघ 6. चमड़ा निर्यात परिषद 7. भारतीय वस्त्र उद्योग महासंघ 8. रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद 9. राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ 10. भारतीय खुदरा विक्रेता संघ

[2] पीएमकेवीवाई कार्यन्वयन के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच

- **प्रशिक्षण प्रदाता/भागीदार (टीपी)**

ये पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों के रख-रखाव/संचालन करने, जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए उत्तरदायी हैं। सोसायटी, न्यास, स्वामित्व, कंपनी, सरकारी संस्थान या संगठन के रूप में स्थापित कोई भी संगठन प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में एनएसडीसी या राज्य अभिकरणों के साथ पंजीकरण कर सकता है।

- **प्रशिक्षण केंद्र (टीसी)**

प्रशिक्षण केंद्र टीपी के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरण हैं जो मंत्रालय/एनएसडीसी/ एसएससी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए पंजीकृत हैं।

- **अभ्यर्थी**

अभ्यर्थी योजना के प्राथमिक लाभार्थी हैं। वे कौशल भारत-कुशल भारत पोर्टल पर नामांकन करते हैं और पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, मूल्यांकन प्रमाणन प्राप्त करना, प्लेसमेंट की रिपोर्ट करना तथा लागू भुगतान प्राप्त करना शामिल है।

1.3 पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया

पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया को दो मुख्य चरणों- 'प्रारंभिक' और 'प्रचालनात्मक' में विभाजित किया जा सकता है।

प्रारंभिक चरण, तथापि पीएमकेवीवाई तक ही सीमित नहीं है, इसमें मुख्य रूप से प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्रों को शामिल करना, साथ ही प्रशिक्षण के लिए नौकरी-भूमिकाओं को अंतिम रूप देना शामिल है। इसमें क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) का विकास भी शामिल है, जो विशिष्ट कार्यस्थल गतिविधियों के लिए आवश्यक निष्पादन मानकों को परिभाषित करते हैं। इन एनओएस को उसके बाद एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। प्रत्येक एनओएस नौकरी की भूमिका के एक मुख्य कार्य को रेखांकित करता है। उदाहरणार्थ, 'खुदरा' क्षेत्र में 'सेल्स एसोसिएट' की नौकरी की भूमिका के लिए, एनओएस में से एक "ग्राहकों को सही उत्पाद चुनने में मदद करना" है।

प्रचालन चरण में टीपी को लक्ष्य आवंटन, अभ्यर्थी जुटाव और नामांकन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन एवं नौकरी दिलाना शामिल है। ***तालिका 1.1*** पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन के चरणों को स्पष्ट रुप से दर्शाता है।

तालिका 1.1: पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन के चरण

प्रारंभिक चरण	
प्रशिक्षण भागीदारों का पंजीकरण	कौशल भारत-कुशल भारत पोर्टल (एसआईपी) के माध्यम से।
प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्रों का पंजीकरण, मान्यता और संबद्धता	इच्छुक टीपी/टीसी को कौशल भारत-कुशल भारत पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करना। मान्यता, संबद्धता और सतत निगरानी दिशानिर्देशों[3] में निर्धारित मापदंडों के अनुपालन की जांच करने के लिए एनएसडीसी (तीसरे पक्ष के माध्यम से) द्वारा फील्ड निरीक्षण के बाद डेस्कटॉप मूल्यांकन। एनएसडीसी/एसएससी द्वारा अनुमोदन। केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के लिए राज्यों में एसएसडीएम द्वारा वैसा ही किया गया अभ्यास कार्य।
प्रशिक्षण केन्द्रों को लक्ष्यों का आवंटन	पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 के प्रारंभिक वर्षों (2018 तक) के दौरान लक्ष्य आवंटन टीपी की उपलब्धता पर आधारित था। पीएमकेवीवाई 2.0 (2018 से) और पीएमकेवीवाई 3.0 से, लक्ष्य आवंटन 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' आमंत्रित करने के बाद एवं पहले सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के आधार पर किया गया था। मंत्रालय में गठित संचालन समिति/कार्यकारी समिति के अनुमोदन से, लक्ष्यों को मंजूरी दी गई और आवंटित किया गया।

[3] **मान्यता और संबद्धता-मान्यता:** एक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत टीसी का मूल्यांकन आवश्यक मापदंडों के आधार पर किया जाता है। संबद्धता टीसी के लिए एसएससी के साथ औपचारिक रुप से जुड़ने की एक विधि है ताकि प्रशिक्षुओं को विशिष्ट नौकरी भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके।

कार्यान्वयन चरण	
प्रशिक्षुओं का जुटाव, परामर्श सेवा और बैचों का गठन	कौशल मेलों का आयोजन, पीएमकेवीवाई ब्रांडिंग/जागरूकता सुनिश्चित करना, तथा अभ्यर्थियों के लिए परामर्श सेवा (एसएससी/एसएसडीएम/टीपी/टीसी द्वारा सहायता प्राप्त)। एसआईपी के माध्यम से प्रशिक्षुओं का पंजीकरण।
प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण	मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्रों (टीसी) पर। पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के लिए अनुमोदित स्थानों पर प्रशिक्षण। एसएससी/एनएसडीसी/राज्य अभिकरणों द्वारा निगरानी।
मूल्यांकन और प्रमाणन	एसएससी द्वारा संबंधित बैचों के लिए नियुक्त मूल्यांकन अभिकरण के माध्यम से।
प्लेसमेंट	पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद तथा प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी)/ एसएससी/एनएसडीसी द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से।
प्लेसमेंट के पश्चात नजर रखना एवं सहायता करना	नव कुशल व्यक्तियों को प्लेसमेंट के बाद उनकी नई नौकरियों में आसानी से बदलाव करने में सहायता प्रदान की जाती है।

1.3.1 पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- **अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी)** उन लक्षित प्रशिक्षुओं के लिए योजनाबद्ध है जो या तो स्कूल/कॉलेज छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं। प्रशिक्षण के घंटे और अवधि 200 से 600 घंटे और छह महीने तक होती है। अपेक्षित शैक्षिक मानदंड और प्रशिक्षण घंटे प्रत्येक कौशल क्षेत्र के लिए विशिष्ट नौकरी-भूमिकाओं पर आधारित हैं।
- **पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल)** युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रमाणन प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। आरपीएल के अंतर्गत, पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है। आरपीएल के अंतर्गत प्रशिक्षण/अभिविन्यास/ब्रिज कोर्स की अवधि 80 घंटे तक होती है। आरपीएल प्रमाणन पांच अलग-अलग तरीकों अर्थात्

आरपीएल कैंप, नियोक्ता के परिसर में आरपीएल, मांग के जरिए आरपीएल, श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं के साथ आरपीएल और विशिष्ट नौकरी-भूमिकाओं के लिए ऑनलाइन आरपीएल प्रदान किया जाता है।

- **विशेष परियोजना (एसपी)** में मंच सृजन के माध्यम से प्रशिक्षण शामिल है जो भूगोल, जनसांख्यिकी और सामाजिक समूहों के संदर्भ में विशेष आवश्यकताओं के आधार पर सरकार, कॉर्पोरेट या उद्योग निकायों के विशेष क्षेत्रों और/या परिसरों में एवं विशेष नौकरी-भूमिकाओं में, जिन्हें अन्यथा परिभाषित नहीं किया गया है, प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

1.4 पीएमकेवीवाई का विकास

जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से, 2022 तक पीएमकेवीवाई के तीन चरण प्रमोचित किए गए हैं, जिसमें ₹ 1.37 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से ₹ 1.10 करोड़ को प्रमाणित[4] किया गया। सरकार ने फरवरी 2023 में पीएमकेवीवाई के चौथे चरण की घोषणा की, और इसका कार्यान्वयन अक्टूबर 2024 तक चल रहा था। पीएमकेवीवाई के पहले तीन चरणों के अंतर्गत हुए विकास और उपलब्धियों का सारांश नीचे दिया गया है:

पीएमकेवीवाई 1.0 (2015-16)

पीएमकेवीवाई का पहला चरण जुलाई 2015 में एक वर्ष के लिए 24 लाख व्यक्तियों को ₹1,500 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। पीएमकेवीवाई 1.0 को पूरी तरह से एनएसडीसी द्वारा लागू किया गया था और प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रशिक्षुओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान किए गए थे। इस चरण में 19.86 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया था जिसमें से 14.51 लाख ने प्रमाणन प्राप्त किया।

[4] प्रशिक्षित अभ्यर्थी वे हैं जिन्हें नामांकन के बाद प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया था, परन्तु उनमें से कुछ का मूल्यांकन उनके प्रशिक्षण छोड़ने या प्रमाणन के लिए उपस्थित न होने के कारण नहीं किया जा सका है। प्रमाणित अभ्यर्थी वे अभ्यर्थी हैं जिन्हें सफल मूल्यांकन के बाद प्रमाणित किया गया था।

पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20)

पीएमकेवीवाई का दूसरा चरण अक्टूबर 2016 से देश के एक करोड़ युवाओं को चार वर्षों की अवधि में ₹ 12,000 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रमोचित किया गया था। पीएमकेवीवाई 2.0 को निम्नलिखित घटकों के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर पर लागू किया गया था:

क) केंद्र प्रायोजित केंद्र प्रबंधित (सीएससीएम): योजना निधि और लक्ष्यों का 75 *प्रतिशत* एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास के लिए आवंटित किया जाता है।

ख) केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम): योजना निधि और लक्ष्यों का 25 *प्रतिशत* राज्यों के माध्यम से कौशल विकास के लिए आवंटित किया जाता है।

इस चरण को शुरू में मार्च 2020 तक पूरा किया जाना था लेकिन इसे (अप्रैल 2020 में) जनवरी 2021 (अर्थात् पीएमकेवीवाई 3.0 का प्रमोचन) तक विस्तारित किया गया था। इस चरण में कुल ₹1.10 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 91.58 लाख अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया।

पीएमकेवीवाई 3.0 (2021-22)

पीएमकेवीवाई का तीसरा चरण जनवरी 2021 में एक वर्ष के लिए प्रमोचित किया गया था, जिसका लक्ष्य आठ लाख लोगों को प्रशिक्षित करना था और सीएससीएम और सीएसएसएम दोनों घटकों के माध्यम से ₹ 948.90 करोड़ का बजटीय परिव्यय था। इस चरण को 31 मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया था। इस चरण में कुल 7.37 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 4.33 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित[5] किया गया।

[5] कुशल स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान, मंत्रालय ने कोविड योद्धाओं के लिए एक 'अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम' शुरु किया। इस संबंध में एनएसडीसी (फरवरी 2025) द्वारा 75,237 अभ्यर्थियों को विशेष परियोजना श्रेणी के अंतर्गत प्रमाणित बताया गया जहाँ कोविड क्रैश कोर्स के विशेष स्थिति के रुप से 'ऑन द जॉब ट्रेनिंग' (ओजेटी) को शामिल किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि इन प्रमाणपत्रों को एसआईपी डेटा मे 'प्रशिक्षित' और 'ओजेटी प्रमाणित' के रुप में माना गया है लेकिन 'अंतिम प्रमाणन' को 'नही/शून्य' के रुप में चिन्हित किया गया है। इन प्रमाणपत्रों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रमाणित अभ्यर्थियों से संबंधित सभी विश्लेषण और संख्याएं केवल 'अंतिम प्रमाणन' को 'हाँ' के रुप में माने गए अभ्यर्थियों पर आधारित है।

1.5 कौशल भारत-कुशल भारत पोर्टल

'कौशल भारत-कुशल भारत पोर्टल' (एसआईपी) को पूर्ववर्ती पोर्टल 'स्मार्ट' और 'एसडीएमएस'[6] से पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन में शामिल सभी हितधारकों के लिए कौशल चक्र की सभी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए एक एकीकृत पोर्टल के रूप में विकसित किया गया (नवंबर 2018)। एसआईपी में विभिन्न हितधारकों द्वारा दर्ज किए गए डाटा का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) **प्रशिक्षु** अपना व्यक्तिगत/संपर्क विवरण, पहचान/पात्रता दस्तावेज और क्षेत्रीय/नौकरी-भूमिकाओं को वरीयता प्रदान करते हैं;

(ख) **प्रशिक्षण प्रदाता/प्रशिक्षण केंद्र** मान्यता/संबद्धता और निगरानी/कार्यान्वयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के दौरान अपना व्यक्तिगत/संपर्क विवरण प्रदान करते हैं**;**

(ग) **प्रशिक्षक** अपना व्यक्तिगत/संपर्क, प्रशिक्षण और उपस्थिति विवरण प्रदान करते हैं;

(घ) **मूल्यांकनकर्ता** व्यक्तिगत/संपर्क विवरण प्रदान करते हैं और मूल्यांकन के परिणाम अपलोड करते हैं**;**

(ङ) **क्षेत्र कौशल परिषद** बनाए गए बैचों, प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल और सफल प्रतिभागियों को जारी किए गए प्रमाण पत्रों का विवरण प्रदान करती है।

सितंबर 2023 में एसआईपी का स्थान कौशल भारत-कुशल भारत डिजिटल हब (एसआईडीएच) ने ले ली है। यह एक व्यापक मंच है जिसे कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसआईडीएच ढांचा मौजूदा सरकारी डाटाबेस के साथ एकीकृत है और प्रशिक्षण चक्र अर्थात् अभ्यर्थियों के पंजीकरण से लेकर प्रमाणन के बाद की ट्रैकिंग तक शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण प्रदान करता है। मंत्रालय ने सूचित किया

---

[6] स्मार्ट (कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रत्यायन-एसडीएमएस का एक मॉडयूल) तथा कौशल विकास निगरानी प्रणाली (एसडीएमएस) पोर्टलों का उपयोग प्रारंभिक रूप से कार्यान्वयन के लिए किया गया।

(अक्टूबर 2024) कि पीएमकेवीवाई के पहले तीन चरणों से संबंधित डाटा को एसआईडीएच में स्थानांतरित कर दिया गया है।

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा को शुरू करने के कारण

पीएमकेवीवाई का उद्देश्य युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल में सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें कौशल प्रशिक्षण और पूर्व अनौपचारिक अधिगम की मान्यता के माध्यम से बेहतर और स्थायी आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

वर्ष 2015 और 2024 के बीच, ₹ 14,448.90 करोड़ के परिव्यय के विरुद्ध, भारत सरकार ने इस योजना के लिए ₹ 13,288 करोड़ (बीई) आवंटित किए, जिनमें से ₹ 10,194 करोड़ जारी किए गए और ₹ 1.10 करोड़ अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया।

कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया की सतत प्रकृति, योजना के अंतर्गत पर्याप्त व्यय तथा समाज और अर्थव्यवस्था पर पीएमकेवीवाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास की अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या:

i) योजना हितधारकों की स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं/उत्तरदायित्वों, आवश्यक संस्थागत ढांचे और वांछित समय सीमा में चिन्हित किए गए कौशल-अंतर को भरने के लिए संगठित रणनीति के साथ योजनाबद्ध किया गया था।

ii) योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण अभिप्रेत परिणाम देने में प्रभावी था;

iii) योजना के समग्र वित्तीय प्रबंधन ने कार्यान्वयन भागीदारों को समय पर निधियों की उपलब्धता और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के अनुपालन में वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन सुनिश्चित किया;

iv) संचालन, निगरानी, फीडबैक, पाठ्यक्रम सुधार और प्रभाव विश्लेषण के लिए बनाए गए नियंत्रण तंत्र प्रभावी थे एवं चिन्हित जोखिमों के लिए पर्याप्त प्रत्युपाय प्रदान करते थे; और

v) हितधारकों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली सूचना प्रस्तुति और सुरक्षा से संबंधित सभी लागू विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप संपूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रिया को एकीकृत करने में सक्षम थी।

1.8 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित दस्तावेजों को लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत के रूप में उपयोग किया गया:

- पीएमकेवीवाई के विभिन्न चरणों के लिए जारी नीति दस्तावेज, परिचालन दिशा-निर्देश, सरकार, पीएमकेवीवाई समितियों, मंत्रालय/एनएसडीसी/राज्य सरकारों आदि की बैठकों के टिप्पण एवं कार्यवृत्त।
- प्राप्ति और भुगतान नियमावली, सामान्य वित्तीय नियमावली और संबंधित आदेश/अनुदेश।
- आईटी अधिनियम, 2000, राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशा-निर्देश, 2014, भारत सरकार की आईटी संसाधनों के उपयोग पर नीति, 2014, भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश, आदि।

1.9 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कवरेज

इस लेखापरीक्षा में पीएमकेवीवाई के तीन चरण (जुलाई 2015 से मार्च 2022) शामिल किए गए। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल हितधारकों में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) शामिल थे।

आठ राज्यों अर्थात् **असम, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** को संबंधित एसएसडीएम, डीएससी और टीसी को शामिल करने के लिए सांख्यिकीय आधार पर चुना गया था। चयन में देश के भौगोलिक

प्रतिनिधित्व के साथ पीएमकेवीवाई 2.0 के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा राज्यों को आवंटित लक्ष्यों को शामिल किया गया था।

पीएमकेवीवाई 3.0 (31 मार्च 2022 तक) के दौरान बनाए गए बैचों के लिए चयनित राज्यों के जिलों के कुछ प्रशिक्षण केंद्रों में लेखापरीक्षा के समय प्रशिक्षण चल रहे थे। प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित पद्धति का उपयोग करके इन कार्यान्वयन इकाइयों का चयन भौतिक सत्यापन करने के लिए किया गया था:

- चयनित राज्यों में, 25 *प्रतिशत* जिले (जहां प्रशिक्षण चल रहा था) सांख्यिकीय आधार पर चुने गए थे।
- चयनित जिलों में, 20 *प्रतिशत* टीसी जहां प्रशिक्षण चल रहा था, सांख्यिकीय आधार पर चुने गए थे।

चयन प्रक्रिया के अनुसार, 90 प्रशिक्षण केन्द्रों (टीसी) का भौतिक निरीक्षण करने के लिए चयन किया गया तथा चयनित राज्यों में इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1045 लाभार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, जिसका विवरण नीचे ***तालिका 1.2*** में दिया गया है:

तालिका 1.2: जिलों एवं प्रशिक्षण केंद्रों का चयन

राज्य	चल रहे प्रशिक्षण वाले जिले		सर्वेक्षण में शामिल किए गए प्रशिक्षण केंद्र	सर्वेक्षण किये गए लाभार्थी
	संख्या	शामिल किए गए		
असम	33	05	09	126
बिहार	38	10	10	138
झारखंड	24	06	24	209
केरल	14	07	13	208
महाराष्ट्र	36	06	10	162
ओडिशा	30	08	17	140
राजस्थान	33	05	07	62
कुल	**208**	**47**	**90**	**1045**
उत्तर प्रदेश में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं चल रहा था, और इसी कारण किसी जिला का चयन नहीं किया गया था। नोटः फील्ड दौरे के समय चालू प्रशिक्षणों की संख्या में अंतर के कारण वास्तविक कवरेज प्रत्याशित *25 प्रतिशत* से अलग था।				

स्रोत: अगस्त 2022 में एनएसडीसी द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण जानकारी

1.10 लेखापरीक्षा पद्धति

पीएमकेवीवाई का निष्पादन लेखापरीक्षा कार्य जुलाई-दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान किया गया था। पीएमकेवीवाई के निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रवेश सम्मेलन जुलाई 2022 में मंत्रालय और एनएसडीसी के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित किया गया था जिसमें चयनित कार्यालय/हितधारकों को लेखापरीक्षा दृष्टिकोण समझाया गया था।

योजना के आयोजन, कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित प्रासंगिक फ़ाइल/अभिलेख की मंत्रालय/एनएसडीसी में जांच की गई एवं मंत्रालय/एनएसडीसी द्वारा उपलब्ध करवाए गए कार्यान्वयन प्रक्रिया के आंकड़ो का विश्लेषण किया गया, ताकि योजना के दिशानिर्देशो के अनुपालन में रिपोर्ट किए गए निष्पादन के आंकड़ो को सत्यापित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सभी मौजूदा 37 एसएससी, योजना के अंतर्गत कार्यरत विशिष्ट टीसी एवं पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं के ईमेल पते पर ऑनलाइन माध्यम से प्रश्नावली भी भेजी गई थी।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों और प्राप्त उत्तरों की मसौदा रिपोर्ट फरवरी 2023 में मंत्रालय को उनकी टिप्पणी और तथ्यों/आंकड़ों की पुष्टि के लिए जारी की गई थी। मई 2023 में निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया और मई 2023 में मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों/उत्तरों को प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तरों में लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किए गए जोखिमों के संज्ञान में पीएमकेवीवाई के अगले चरण में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में आश्वासन भी शामिल थे।

मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों/आश्वासन की अगस्त-अक्टूबर 2024 में आगे जांच की गई। मंत्रालय द्वारा पीएमकेवीवाई के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देशों में लाए गए परिवर्तनों की भी इसके द्वारा दिए गए आश्वासनों के संदर्भ में समीक्षा की गई। तथापि, इसके दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन की जांच नहीं की गई। मार्च 2024 तक की स्थिति को उजागर करने के लिए अब तक हुई प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय) को अद्यतित किया गया। इसी प्रकार का अभ्यास

कार्य चयनित राज्यों में भी किया गया। मंत्रालय को अद्यतन रिपोर्ट नवम्बर 2024 में उनकी टिप्पणियों एवं तथ्यों की पुष्टि के लिए जारी की गई तथा जून 2025 में उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.11 अभिस्वीकृति

मंत्रालय, एनएसडीसी एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी अन्य हितधारकों द्वारा सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने में दिए गए सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

अध्याय 2 : योजना एवं अवसंरचना

सरकार ने जुलाई 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति (एनपीएसडीई) तैयार की, ताकि गति, मानकों (गुणवत्ता) और स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर कौशल विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके तथा उपलब्धि के लिए एक रुपरेखा प्रदान की जा सके। एनपीएसडीई ने 2015-22[7] की अवधि के दौरान देश के 24 क्षेत्रों में 40.29 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाने की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

एमएसडीई के अतिरिक्त, 22 अन्य केंद्रीय मंत्रालय भी अपने डोमेन के क्षेत्रों में कौशल प्रयासों में लगे हुए थे जैसा ***अनुलग्नक 1.1*** में दर्शाया गया है। एमएसडीई की एक अखिल भारतीय बहु-क्षेत्रीय फ्लैगशिप कौशल विकास योजना के रूप में पीएमकेवीवाई को एनपीएसडीई में पहचाने गए कौशल-अंतर को भरने की दिशा में भी योगदान देना था। इसके अतिरिक्त, एमएसडीई को देश में सभी कौशल प्रयासों को समन्वित और एकीकृत करना था।

2.1 पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन रणनीति और योजना

पीएमकेवीवाई के पहले चरण के लिए, मंत्रालय ने कैबिनेट प्रस्ताव (मार्च 2015) में बताया कि चूंकि कौशल विकास एक सतत गतिविधि है, इसलिए पीएमकेवीवाई को संस्थागत बनाया जाएगा और यह एक सतत योजना होगी। इसने यह भी बताया कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास के लक्ष्य कौशल-अंतराल अध्ययनों पर आधारित होंगे।

यद्यपि मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई को एक सतत गतिविधि के रूप में संस्थागत बनाने की आवश्यकता को महसूस किया, लेकिन इसने 2015-22 की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति/परिप्रेक्ष्य योजना तैयार

[7] वर्ष 2010-2014 की अवधि के दौरान एनएसडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में किए गए कौशल-अंतराल अध्ययनों के आधार पर, कुल कौशल प्रशिक्षण आवश्यकता में देश के 10.46 करोड़ व्यक्तियों की अतिरिक्त कौशल आवश्यकता और 29.83 करोड़ मौजूदा कार्यबल का पुनः कौशलीकरण/अप-स्किलिंग शामिल है।

नहीं की, जिससे पहचाने गए कौशल-अंतर को दूर करने और लक्ष्यों की उपलब्धि की निगरानी के लिए कौशल विकास की दिशा में प्रयासों को सुनिश्चित किया जा सके।

योजना को अलग-अलग समयावधि, लक्ष्य, व्यय तथा प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग दिशा-निर्देशों के साथ चरणों में लागू किया गया, जिसमें कार्यान्वयन रणनीति सहित कार्यान्वयन प्रयास शामिल थे, जैसा कि ***अनुलग्नक 2.1*** में विस्तृत है। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमकेवीवाई के विभिन्न चरणों के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन के बावजूद भी, रणनीतिक/परिप्रेक्ष्य योजना की अनुपस्थिति के कारण, पहचाने गए कौशल अंतर को लक्षित करने के प्रयास कम हो गए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन के दौरान रणनीति में लगातार बदलाव हुए। इसकी पुष्टि करने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष अगले पैराग्राफ में दिए गए हैं।

2.1.1 पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण का एनपीएसडीई कौशल-अंतर आवश्यकताओं के साथ संरेखण

राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (एनपीएसडीई) ने 2022 तक कुशल मानव संसाधन आवश्यकताओं (क्षेत्रवार और राज्य-वार) पर जानकारी प्रदान की। तथापि, एनपीएसडीई (40.29 करोड़) में समग्र कौशल-अंतर अनुमानों की तुलना में, पीएमकेवीवाई के तीन चरणों के अंतर्गत 1.32 करोड़ प्रशिक्षण लक्ष्य बहुत मामूली था। परिणामस्वरूप, कौशल आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने तथा केवल पीएमकेवीवाई के माध्यम से उनका निपटान करना संभव नहीं था।

एनपीएसडीई ने मंत्रालय को कौशल विकास पहलों के मार्गदर्शन के लिए क्षेत्रों और संख्याओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। मंत्रालय ने यह भी पुष्टि की (मई 2023) कि नीति दस्तावेज देश के समग्र कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।

इस प्रकार, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत बढ़ती कौशल आवश्यकताओं के साथ प्रशिक्षण/प्रमाणन की सुसंगतता का आकलन करने के लिए, शीर्ष क्षेत्रों/राज्यों में इसकी उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया था। जबकि एनपीएसडीई में परिकल्पित कौशल आवश्यकताओं (2022 तक) और क्षेत्रों और राज्यों में पीएमकेवीवाई के सभी

तीन चरणों के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्रमाणन (नए प्रशिक्षण अर्थात् एसटीटी/एमपी के लिए) की समग्र तुलना ***अनुलग्नक 2.2*** और ***2.3*** में दी गई है। चयनित क्षेत्रों/राज्यों की विस्तृत तुलना पर नीचे चर्चा की गई है। एनपीएसडीई के अंतर्गत अनुमानित समग्र कौशल आवश्यकताओं की तुलना में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रशिक्षणों की कम संख्या को देखते हुए, लेखापरीक्षा विश्लेषण पूर्ण संख्या के बजाय *प्रतिशत* की तुलना पर आधारित था।

- एनपीएसडीई में अधिकतम कौशल मांग वाले पांच क्षेत्रों[8] और अधिकतम नए पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण/प्रमाणन वाले पांच क्षेत्रों[9] की तुलना नीचे ***चार्ट 2.1*** में दी गई है।

चार्ट 2.1: विभिन्न क्षेत्रों में नए कौशल की आवश्यकता और प्रशिक्षण

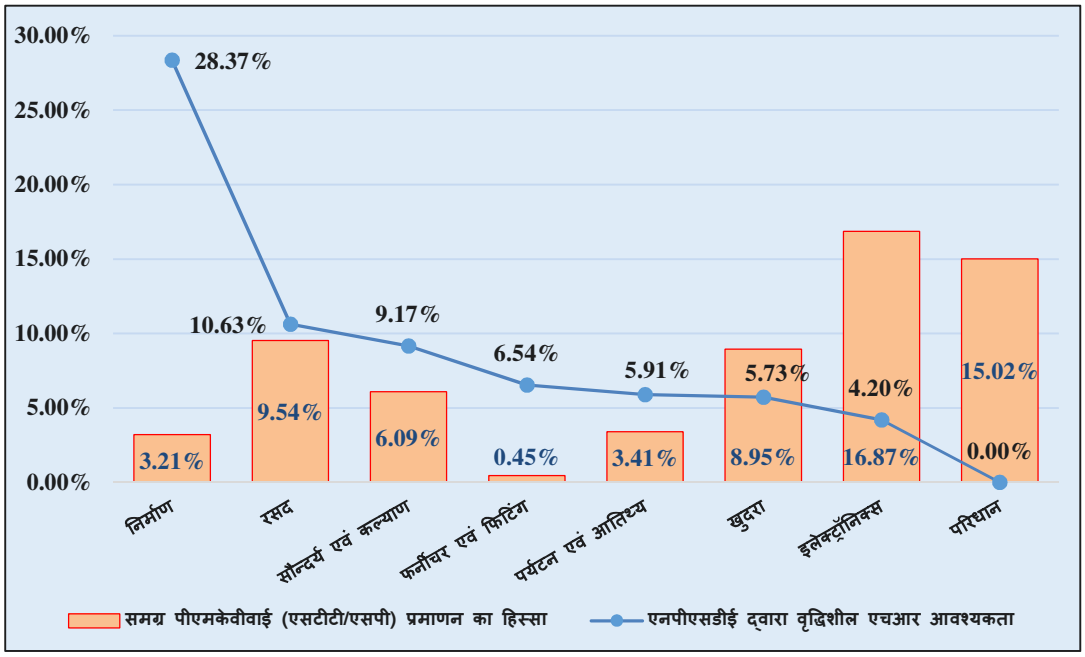

चार्ट 2.1 से यह देखा जा सकता है कि एनपीएसडीई के अंतर्गत 60 *प्रतिशत* से भी अधिक अनुमानित कौशल प्रशिक्षण आवश्यकता पांच क्षेत्रों (निर्माण, रसद, सौंदर्य एवं कल्याण, फर्नीचर एवं फिटिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य) में थी। इन आवश्यकताओं के सापेक्ष, इन पांच क्षेत्रों में नए कौशल प्रशिक्षण पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रदान

[8] शीर्ष पांच क्षेत्रों में कौशल की मांग निर्माण, रसद, सौंदर्य एवं कल्याण, फर्नीचर और फिटिंग, पर्यटन और आतिथ्य।

[9] पीएमकेवीवाई के तहत अधिकतम प्रमाणन वाले शीर्ष पांच क्षेत्र - इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, रसद, खुदरा, सौंदर्य एवं कल्याण।

किए गए सभी प्रशिक्षणों का केवल 22.7 *प्रतिशत* था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि तीन अन्य क्षेत्रों (खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिधान) में कौशल प्रशिक्षण कुल एसटीटी/एसपी प्रशिक्षणों का 40 *प्रतिशत* से भी अधिक था, जो इन क्षेत्रों के लिए एनपीएसडीई अनुमानों से कहीं अधिक था, जो कुल वार्षिक मानव संसाधन आवश्यकता का केवल 9.93 *प्रतिशत* था।

- इसी प्रकार, एनपीएसडीई में परिकल्पित अधिकतम कौशल मांग वाले पांच राज्यों[10] की तुलना पीएमकेवीवाई के अंतर्गत अधिकतम नए प्रशिक्षण/प्रमाणन वाले पांच राज्यों[11] के साथ नीचे ***चार्ट 2.2*** में दी गई है।

चार्ट 2.2: राज्यों में नए कौशल की आवश्यकता और प्रशिक्षण

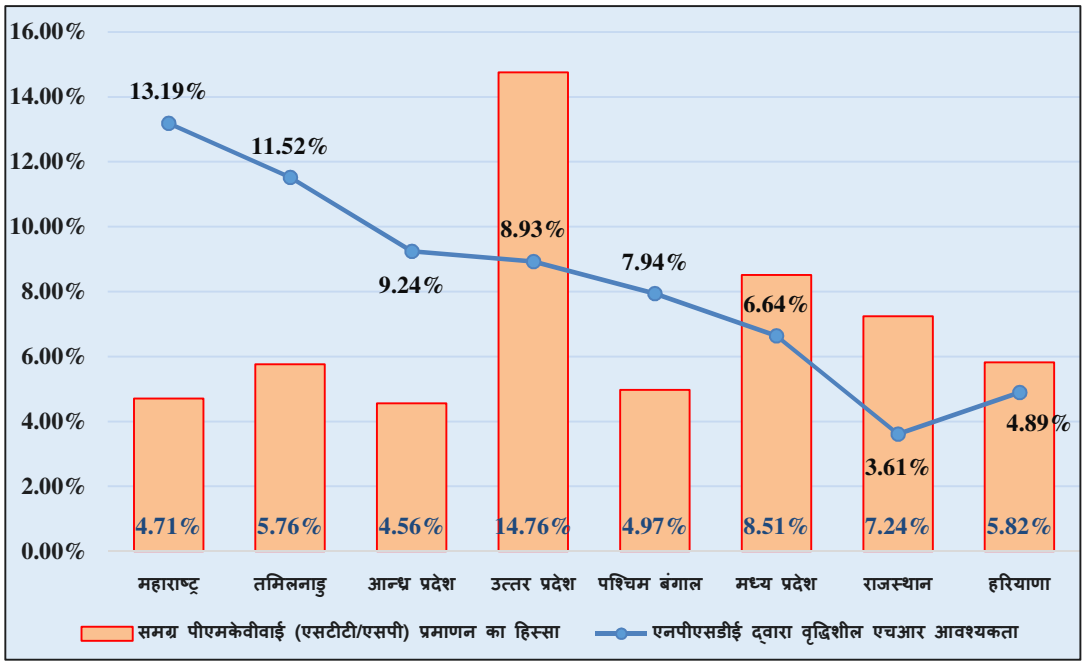

चार्ट 2.2 से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष पांच राज्यों में एनपीएसडीई के अंतर्गत अनुमानित आवश्यकता का 50 *प्रतिशत* से भी अधिक का योगदान दिया, जबकि इन पांच राज्यों में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कुल नए कौशल प्रशिक्षण 35 *प्रतिशत* से कम था। तीन राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, जो अनुमानित आवश्यकता में शीर्ष पांच में शामिल नहीं हैं, ने लगभग 22 *प्रतिशत* नए कौशल प्रशिक्षणों का योगदान दिया जो कम अनुमानित कौशल आवश्यकताओं वाले राज्यों में और अधिक प्रशिक्षण प्रयासों पर बल देता है।

---

10 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

11 हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

- लेखापरीक्षा के लिए चुने गए आठ राज्यों के संबंध में किए गए इसी प्रकार के अभ्यास ने पहचाने गए कौशल-अंतरों और प्रशिक्षण प्रयासों के दिशांकन में भिन्नता को प्रकट किया जैसा **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: चयनित राज्यों में नए कौशल की आवश्यकता और प्रशिक्षण

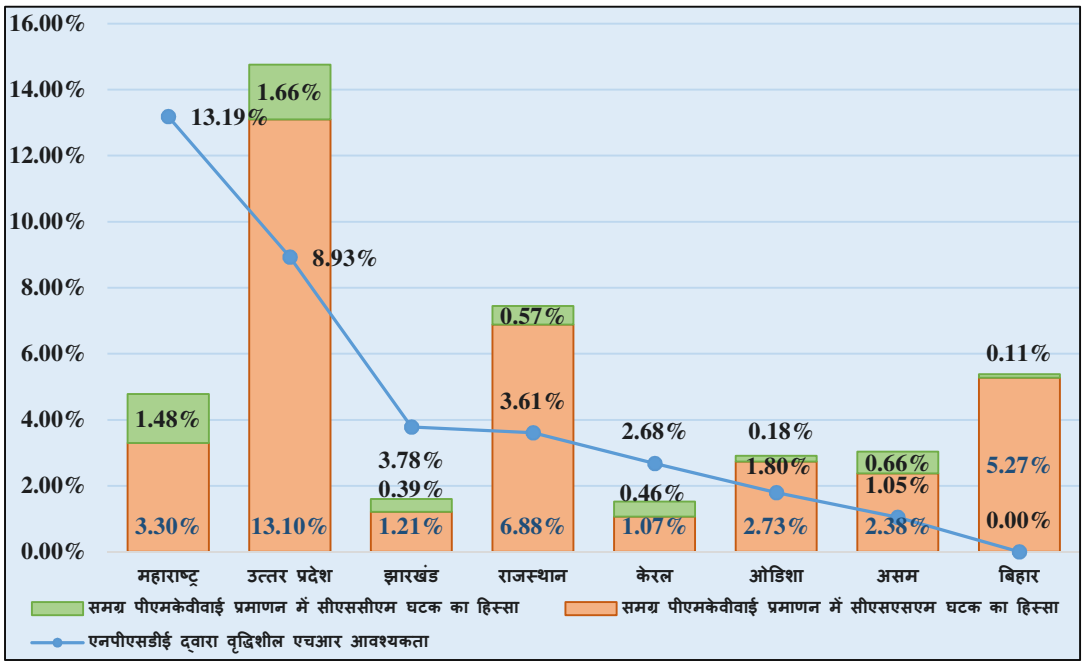

टिप्पणियाँ: 1) चूंकि पीएमकेवीवाई 1.0 में कोई सीएसएसएम घटक नहीं था, इसलिए संबंधित विश्लेषण केवल पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 एसटीटी/एसपी प्रशिक्षणों के आकड़ों के संबंध में है। 2) बिहार में कौशल-अंतर अध्ययन नहीं किया गया था।

चार्ट 2.3 से यह देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र, झारखंड और केरल में कौशल प्रयास अनुमानित वार्षिक आवश्यकता से कम थे।

इस प्रकार, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रयासों की दिशा एनपीएसडीई के अंतर्गत पहचाने गए अंतरों के साथ संरेखित नहीं थी।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023 एवं जून 2025) कि एनपीएसडीई के अंतर्गत अनुमानित कौशल प्रशिक्षण की मांग को एमएसडीई सहित 20 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कौशल गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाना था। मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि किसी क्षेत्र विशेष को लक्ष्य आवंटन की मांग कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् एनएसडीसी और एसएससी के मूल्यांकन पर आधारित थी।

राज्य-वार कौशल-प्रशिक्षणों के संबंध में यह बताया गया कि ये लक्ष्य एनएसडीसी द्वारा किए गए कौशल-अंतर अध्ययनों, मानव विकास सूचकांक, राज्य की

जनसंख्या और बेरोजगारी *प्रतिशत* पर आधारित थे, जो केन्द्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के धीमे और खराब निष्पादन के कारण प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने यह भी बताया (जून 2025) कि प्रस्तावित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन क्षेत्रों की स्थानीय कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरुप हैं जहाँ वे संचालित होते हैं। कई राज्य (अर्थात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड) जिनमें कम अनुमानित मांग के बावजूद भी श्रम अधिशेष हैं एवं रोजगार के लिए पलायन होता है, प्रशिक्षण योजनाओं में पर्याप्त भागीदारी दर्शाते हैं।

उत्तर यह इंगित करता है कि एनपीएसडीई में पहचाने गए क्षेत्र या राज्य-विशिष्ट कौशल अंतर के साथ पीएमकेवीवाई हस्तक्षेपों को संरेखित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं था। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में 20 से अधिक अन्य मंत्रालयों की भागीदारी को स्वीकार करने और एमएसडीई के अखिल सरकारी कौशल प्रयास के अभिसरण के लिए उत्तरदायी नोडल मंत्रालय होने के बावजूद, यह कौशल अंतरों को पूरा करने के लिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत किए गए प्रयासों को पूरा करने के लिए अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण पर कोई डाटा प्रदान नहीं कर सका। **पैरा 2.2** में इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, एनपीएसडीई के अंतर्गत राज्य-विशिष्ट कौशल-अंतर आवश्यकताओं और पीएमकेवीवाई के अंतर्गत किए गए प्रयासों पर चर्चा करते हुए, मंत्रालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि पीएमकेवीवाई का सीएसएसएम घटक कुल प्रमाणनों के आठ *प्रतिशत* से भी कम के लिए उत्तरदायी था। कुल प्रमाणनों को बड़ा घटक सीएससीएम था जो कौशल-अंतर अनुमानों से भी अलग था।

एनपीएसडीई को वर्ष 2022 तक कौशल आवश्यकताओं की चुनौतियों की पहचान करने और योजना बनाने के लिए तैयार किया गया था (2015) तथा पांच साल बाद इसकी समीक्षा करने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में, मंत्रालय ने फरवरी 2023 तथा अक्टूबर 2024 में बताया कि यह अभी भी प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त पैरा में की गई चर्चा के अनुसार, पहले तीन चरणों में पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण एनपीएसडीई के अंतर्गत पहचाने गए कौशल-अंतर आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। पीएमकेवीवाई 4.0 के दौरान, मंत्रालय ने प्रशिक्षण लक्ष्यों के आवंटन के लिए कौशल-अंतरों की पहचान करने के लिए स्रोत के रूप में एसएससी

द्वारा आयोजित क्षेत्रीय अध्ययनों और जिला/राज्य/राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के माध्यम से पहचानी गई मांगों को सही मानने को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

2.1.2 पीएमकेवीवाई के अंतर्गत सूक्ष्म-स्तरीय कौशल-अंतर की जानकारी और प्रशिक्षण

यद्यपि एनपीएसडीई विभिन्न क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधन आवश्यकताओं का समग्र अनुमान प्रदान करता है, यह सूक्ष्म स्तर के कौशल-अंतरों को निर्दिष्ट नहीं करता है; जैसे कि विशिष्ट नौकरी-भूमिकाएं जिनमें ये आवश्यकताएं विद्यमान हैं। पीएमकेवीवाई 2.0 के लिए राज्य सहभागिता दिशानिर्देशों में कौशल प्रशिक्षण के लिए 1443 नौकरी-भूमिकाओं की पहचान की गई है, जबकि पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों का उद्देश्य एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित ऐसी सभी नौकरी-भूमिकाओं को शामिल करना है जिनमें रोजगार की संभावना है तथा जो पहचाने गए कौशल-अंतर के साथ संरेखित हैं। तथापि, इन दस्तावेजों ने सूक्ष्म स्तरीय प्रशिक्षण प्रयासों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करने के लिए किसी भी नौकरी भूमिका-विशिष्ट आवश्यकताओं को सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

पीएमकेवीवाई कौशल प्रशिक्षण डाटा के विश्लेषण से पता चला है कि कुल 56.14 लाख अभ्यर्थियों को 724 नौकरी-भूमिकाओं में एसटीटी/एसपी घटक के अंतर्गत प्रमाणित किया गया था जिनमें से लगभग 40 *प्रतिशत* कौशल प्रमाणन सीमित क्षेत्रों में केवल 10 नौकरी-भूमिकाओं में सकेंद्रित थे, जैसा कि ***तालिका 2.1 (ए)*** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1 (ए): एसटीटी/एसपी घटक के अंतर्गत कौशल प्रमाणन का संकेन्द्रण

नौकरी भूमिका	क्षेत्र	कुल अभ्यर्थी	शेयर (% में)
स्व-नियोजित दर्जी	परिधान, डीजीटी[12]	4,52,690	8.06
सिलाई मशीन ऑपरेटर	परिधान, पीडब्ल्यूडी, डीजीटी	2,09,367	3.73
फील्ड तकनीशियन कंप्यूटिंग और पेरिफेरल्स	इलेक्ट्रॉनिक्स, डीजीटी	4,02,782	7.17

[12] एमएसडीई के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी) ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किए।

नौकरी भूमिका	क्षेत्र	कुल अभ्यर्थी	शेयर (% में)
खुदरा बिक्री सहायक	खुदरा, पीडब्ल्यूडी[13]	2,38,320	4.25
खुदरा प्रशिक्षु सहायक	खुदरा, पीडब्ल्यूडी,	2,18,745	3.90
घरेलू आँकड़ा प्रविष्टि संचालक	आईटी, पीडब्ल्यूडी, डीजीटी	1,87,431	3.34
दस्तावेज़ सहायक	रसद	1,62,200	2.89
सहायक इलेक्ट्रीशियन	निर्माण, डीजीटी	1,47,069	2.62
जनरल ड्यूटी सहायक	स्वास्थ्य देखभाल	1,08,250	1.93
दूरसंचार ग्राहक सेवा कार्य	दूरसंचार, पीडब्ल्यूडी	96,464	1.72

*नोट: *पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कुल एसटीटी/एसपी प्रमाणनों में से प्रतिशत हिस्सा*

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि तथापि एक क्षेत्र में कई नौकरी-भूमिकाएं होने पर भी कई क्षेत्रों में एसटीटी/एसपी और आरपीएल प्रमाणन केवल एक चयनित नौकरी भूमिका पर ही केंद्रित थे जैसा कि ***तालिका 2.1 (बी)*** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1 (बी): विशिष्ट नौकरी-भूमिकाओं में कौशल प्रमाणन का संकेन्द्रण

क्षेत्र	प्रमाणन प्रदान की गई नौकरी भूमिकाओं की संख्या	कुल प्रमाणित अभ्यर्थी	नौकरी-भूमिकाओं जिसमें प्रशिक्षण प्रयास केंद्रित थे	नौकरी-भूमिकाओं में प्रमाणित अभ्यर्थी	नौकरी भूमिका/ क्षेत्र (% में)
ग्रीन जाब्स	10	4,27,113	सफाई कर्मचारी	3,85,880	90.35
प्रबंधन	20	4,16,014	निशस्त्र सुरक्षा गार्ड	2,82,610	67.93
स्वास्थ्य सेवा	21	1,73,687	जनरल ड्यूटी सहायक	1,16,468	67.06
सूचना प्रौद्योगिकी	11	3,08,341	घरेलू आँकड़ा प्रविष्टि संचालक	1,95,873	63.52
घरेलू कामगार	04	1,54,065	सामान्य गृहप्रबंधक	91,463	59.37

उपर्युक्त ***तालिका 2.1 (बी)*** से यह स्पष्ट है कि एनपीएसडीई या पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों में सूक्ष्म-स्तरीय कौशल-अंतरों की जानकारी के अभाव के परिणामस्वरूप विशिष्ट नौकरी-भूमिकाओं/क्षेत्रों में प्रशिक्षण का सकेन्द्रण हुआ है। इसके अतिरिक्त, एनएसडीसी (जुलाई 2022) से किए गए पत्राचार में मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत खराब प्लेसमेंट का मुख्य कारण बिना किसी कौशल-अंतर विश्लेषण और बाजार मांग के आकलन के नौकरी-भूमिकाओं का चयन बताया।

[13] दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) कौशल परिषद कई क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नौकरी-भूमिकाओं की पहचान करती है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि योजना को दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया गया था और चयनित नौकरी-भूमिकाओं में प्रशिक्षण सकेन्द्रण के बावजूद, इन नौकरी-भूमिकाओं में अधिकतम प्लेसमेंट भी रिपोर्ट किए गए थे। विशिष्ट क्षेत्रों में रोजगार-भूमिकाओं के चयन के संबंध में बताया गया कि उल्लिखित पांच क्षेत्रों में सीमित संख्या में रोजगार-भूमिकाएं थीं और बाजार मांग की आवश्यकताओं द्वारा संचालित विशिष्ट भूमिकाओं में सकेंद्रित थीं। आगे, जून 2025 में मंत्रालय ने बताया कि कौशल-अंतरों की पहचान और मांग एकत्रीकरण एक बहु-चैनल पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एसएससी, जिला और राज्य-स्तरीय कौशल विकास योजनाओं जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा आवधिक क्षेत्रीय और भौगोलिक कौशल-अंतर अध्ययन, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और उद्योगों के साथ परामर्श शामिल है।

तथापि, तथ्य यह है कि इन पांच क्षेत्रों सहित पीएमकेवीवाई एसटीटी/एसपी घटक के अंतर्गत कुल प्लेसमेंट केवल 41 *प्रतिशत* के आसपास था। यह विशिष्ट नौकरी-भूमिकाओं के लिए बाजार मांग का निष्पक्ष आकलन करने और प्रशिक्षण प्रयास को इसके अनुरूप संरेखित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के अभाव को इंगित करता है।

अनुशंसा 1: मंत्रालय को अपने कौशल प्रशिक्षण को बाजार मांग के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में नौकरी की भूमिकाओं में पहचाने गए कौशल-अंतरों के साथ संरेखित करना चाहिए।

2.1.3 पीएमकेवीवाई के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास योजना तैयार करना

5 वर्षों की अवधि में पीएमकेवीवाई के चरण 1 और 2 के कार्यान्वयन के बाद, पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों (दिसंबर 2020) में मांग-आधारित लक्ष्य आवंटन को संस्थागत बनाने के लिए जिला-स्तरीय कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) से संकलित राज्य-स्तरीय कौशल विकास योजनाओं (एसएसडीपी) को एकत्रित करके एक समग्र राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (एनएसडीपी) तैयार करने की परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएसडीपी तैयार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, आठ चयनित राज्यों में से केवल दो (महाराष्ट्र और ओडिशा) ने अपना

एसएसडीपी तैयार किया था। मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी (अगस्त 2022) यह भी दर्शाती है कि 2020-21 के दौरान, 766 जिलों में से 469 ने अपने डीएसडीपी तैयार किए थे। इस प्रकार, इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि जमीनी स्तर की मांग-आधारित लक्ष्यीकरण की परिकल्पित प्रणाली का पालन किया जा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि पीएमकेवीवाई 3.0 की छोटी अवधि तथा कोविड-19 के कारण एनएसडीपी तैयार नहीं किया जा सका था। इसने आगे बताया कि 2022-23 के दौरान, 677 जिलों ने अपने डीएसडीपी तैयार कर लिए थे। जून 2025 में, एमएसडीई ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 519 डीएसडीपी एवं 27 एसएसडीपी प्राप्त हुए हैं और एसएसडीपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर एनएसडीपी तैयार किया जाएगा।

अनुशंसा 2: मंत्रालय को परिकल्पित एनएसडीपी की तैयारी में तेजी लाकर तथा अपने कौशल प्रयासों को दिशा और निरंतरता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक योजना को अपनाकर पीएमकेवीवाई प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को अनुपालना के लिए नोट कर लिया गया है।

2.2 कौशल विकास गतिविधियों का अभिसरण

एनपीएसडीई के अनुसार, एमएसडीई की स्थापना सभी कौशल प्रशिक्षण पहलों को अभिसरित[14] करने तथा कौशल प्रयासों के पैमाने और गुणवत्ता को शीघ्र संयोजित करने के लिए की गई थी। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 3.0 योजना दिशानिर्देश, दोहराव, मानकीकरण की कमी तथा नामांकन और प्रशिक्षण के लिए मानदंड की भिन्नता को दूर करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण की भी मांग करते हैं।

[14] कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह ने तीन स्तरों पर कौशल-प्रशिक्षण वितरण प्रयासों के अभिसरण की अनुशंसा की, अर्थात (i) केंद्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच, (ii) केंद्र एवं राज्यों के बीच, और (iii) प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर विभागों के बीच। उप-समूह ने योजनाओं के एक व्यापक डेटाबेस के रखरखाव, लागतों के मानकीकरण के साथ-साथ एमएसडीई की देखरेख में योजनाओं को अभिसरित करने के लिए निकायों का मूल्यांकन और प्रमाणन करने की आवश्यकताओं की भी पहचान की।

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2023) कि 19 केंद्रीय मंत्रालयों की 43 योजनाओं में से 11 केंद्रीय मंत्रालयों की 18 कौशल योजनाओं को एसआईपी से जोड़ा गया है। इसने कौशल पारिस्थितिकी तंत्र, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और अभिसरण की दिशा में, समितियों और कैबिनेट सचिव की शीर्ष स्तर की बैठकें, पाठ्यक्रम और सामग्री का मानकीकरण, कौशल प्रशिक्षण के लिए सामान्य मानदंड निर्धारण, एसएससी की स्थापना, एनसीवीईटी, स्किल इंडिया पोर्टल की स्थापना इत्यादि के लिए किए गए कई प्रयासों को सूचीबद्ध किया। एमएसडीई ने बताया कि अन्य मंत्रालयों की कौशल योजनाओं के साथ अभिसरण गतिशील था तथा उस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि वह विभिन्न स्तरों पर परामर्श बैठकों के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों की कौशल योजनाओं के बीच नीति, क्षेत्र और डाटा स्तरों पर अभिसरण की सुविधा प्रदान कर रहा है।

यह पाया गया था कि पीएमकेवीवाई 2.0 के मूल्यांकन अध्ययन में संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न कौशल विकास परियोजनाओं के बीच समन्वय की अनुशंसा की गई थी (मार्च 2019)। तथापि, मार्च 2022 में पीएमकेवीवाई के तीसरे चरण के पूरा होने के सात साल बाद भी 8 मंत्रालयों की लगभग 25 योजनाओं तथा राज्य सरकारों की कौशल संबंधी योजनाओं का अभिसरण होना शेष था।

इस संबंध में, मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई अद्यतन स्थिति (अक्टूबर 2024) में सुधार दर्शाता है क्योंकि 23 केंद्रीय मंत्रालयों की 42 कौशल योजनाओं के साथ, 23 राज्यों की 95 योजनाओं को एसआईडीएच से जोड़ा गया था। मंत्रालय ने आगे सूचित किया (जून 2025) कि उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रम जो कई क्षेत्रो में विविध समूहों का कार्य करते हैं को कार्यान्वित करने हेतु कई केन्द्रीय मंत्रालयों[15] का सहयोग करते हैं।

---

[15] सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग के साथ पीएम-विश्वकर्मा, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जल शक्ति मंत्रालय के साथ नल जल मित्र कार्यक्रम आदि।

2.2.1 केंद्रीय स्तर पर अभिसरण

सरकार की तीन केंद्रीय योजनाओं में पीएमकेवीवाई के साथ अन्य कौशल पहलों के अभिसरण की सीमा की भी जांच की गई और परिणामों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **रेल कौशल विकास योजना के साथ अभिसरण**

  लेखापरीक्षा में पाया गया कि रेल मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई के तत्वावधान में 2021-24 के दौरान पचास हजार अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण[16] प्रदान करने के लिए रेल कौशल विकास योजना (आरकेवीवाई) को अधिसूचित किया (सितंबर 2021)। आरकेवीवाई के उद्देश्य, प्रतिभागी प्रोफाइल और प्रशिक्षण की प्रकृति पीएमकेवीवाई के समान ही थी।

  यह पाया गया कि यद्यपि एमएसडीई ने रेल मंत्रालय से पीएमकेवीवाई के साथ डाटा के एकीकरण और आरकेवीवाई के अभिसरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया था तथापि पीएमकेवीवाई के साथ डाटा एकीकरण के बिना आरकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, ये प्रशिक्षण एनसीवीईटी द्वारा पहचाने गए कौशल मानकों के अनुरूप नहीं थे (अक्टूबर 2024 तक)।

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का तकनीकी संस्थानों (टीआई) के साथ अभिसरण**

  शिक्षा मंत्रालय[17] ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के माध्यम से तकनीकी संस्थानों (पीएमकेवीवाई-टीआई) द्वारा कौशल प्रशिक्षण योजना-पीएमकेवीवाई को अधिसूचित किया था (मार्च 2016)। पीएमकेवीवाई-टीआई का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को उनकी उम्र और प्रशिक्षण की स्थिति से निरपेक्ष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएमकेवीवाई-टीआई ने अप्रैल 2019 में औपचारिक रुप से बंद होने से पहले 89,026 अभ्यर्थियों

---

16 इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एसी मैकेनिक, बढ़ई, *आदि।*

17 तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

को प्रमाणित किया और यद्यपि प्रशिक्षण एनसीवीईटी मानकों के अनुसार थे, परंतु इसका डाटा एसआईपी के साथ एकीकृत नहीं था।

- **वस्त्र क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण योजना के साथ अभिसरण**

  वस्त्र क्षेत्र में लाभकारी और सतत रोजगार के लिए युवाओं को कुशल बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा 'समर्थ' नामक योजना की शुरूआत की गई थी। इसका उद्देश्य कताई और बुनाई (वस्त्र क्षेत्र के अंतर्गत उप-क्षेत्र) को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए मांग आधारित, प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था। इस योजना में आरंभ में तीन वर्षो (2017-20) की अवधि में 10 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई थी। इसे 2023-24 तक विस्तारित किया गया था। वस्त्र मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अगस्त 2022 तक 162 कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से एक लाख लाभार्थियों को 'समर्थ' के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया था।

  वस्त्र क्षेत्र में कौशल के अभिसरण के मुद्दे पर सचिवों की समिति (सितंबर 2016) की बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि पीएमकेवीवाई कपड़ा उप-क्षेत्रों- कताई और बुनाई में प्रशिक्षण आवश्यकताओं की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित करेगा, जबकि अन्य उप-क्षेत्रों- हथकरघा, खादी, बुनाई और प्रसंस्करण को वस्त्र मंत्रालय द्वारा शामिल किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि नवंबर 2016 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान एमएसडीई ने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत वस्त्र उप-क्षेत्रों (हथकरघा, खादी, बुनाई और प्रसंस्करण) में 1.48 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, जबकि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत इन उप-क्षेत्रों में कौशल प्रयासों को दिशा नहीं देने का निर्णय (2016 में) लिया गया था। इसके अतिरिक्त, 'समर्थ' का कौशल प्रशिक्षण डाटा एसआईपी पर उपलब्ध नहीं था।

आरकेवीवाई के संबंध में, एमएसडीई ने बताया (जनवरी 2023) कि उसने रेल मंत्रालय से सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों में मानक एवं एकरूपता बनाए रखने का अनुरोध किया था। इसने यह भी बताया (मई 2023) कि कैबिनेट सचिव (नवंबर 2022) की बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि पीएमकेवीवाई-टीआई

के डाटा को एसआईपी में एकीकृत किया जाएगा और एआईसीटीई संस्थानों को पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल केंद्रों के रूप में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वस्त्र क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण योजना के संबंध में, मंत्रालय ने सचिवों की बैठक में लिए गए निर्णय संबंधी तथ्य को स्वीकार किया, परंतु बताया (मई 2023) कि इसे वस्त्र मंत्रालय के लिए निर्धारित किए गए उप-क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने से रोकने के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सचिवों की बैठक में कौशल प्रयासों के दोहराव से बचने के लिए स्पष्ट निर्णय लिया गया था लेकिन एमएसडीई द्वारा इसका पालन नहीं किया गया था।

2.2.2 राज्य एवं जिला स्तर पर अभिसरण

पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों में उल्लिखित है कि डीएससी को जिले में संचालित सभी कौशल योजनाओं के पाठ्यक्रम की जानकारी का एक समेकित डाटाबेस तैयार करना चाहिए ताकि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम के उपलब्ध न होने की स्थिति में क्षेत्र में इच्छुक अभ्यर्थियों को सबसे उपयुक्त पाठ्यक्रमों की अनुशंसा की जा सके।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत उपयुक्त नौकरी-भूमिकाओं का चयन करने के लिए डीएससी को प्रासंगिक निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि यह डीएसडीपी तैयार करने वाले डीएससी का उत्तरदायित्व था कि वे पीएमकेवीवाई के अतिरिक्त अन्य योजनाओं के माध्यम से अभ्यर्थी की आकांक्षा के अनुरूप कौशल आवश्यकताओं का मिलान करें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि **असम, बिहार, झारखंड, केरल** तथा **ओडिशा** जैसे चयनित राज्यों में कई राज्य विभागों में कौशल विकास प्रयासों के एकीकरण अथवा डाटाबेस तैयार करने के संबंध में पहल नहीं की गई थी अथवा अभी भी प्रगति पर थे। *असम और केरल में संबंधित राज्य अभिकरणों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया (क्रमशः जून 2023 और अक्टूबर 2022)। बिहार में संबंधित राज्य अभिकरण ने बताया (मार्च 2023) कि कोविड-19 के कारण, अन्य योजनाओं*

के साथ अभिसरण प्रभावित हुआ। ओडिशा में संबंधित राज्य अभिकरण ने बताया (जनवरी 2023) कि किसी भी निश्चित कार्यालय/समर्पित कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण, जिला अभिकरणों के पास अभिसरण की कोई गुंजाइश नहीं थी।

महाराष्ट्र में पांच राज्य विभागों की योजनाएं पीएमकेवीवाई के साथ मिलकर चल रही थीं जबकि अन्य तीन विभागों की योजनाएं अलग-अलग चलाई जा रही थीं। *संबंधित राज्य अभिकरण ने बताया (फरवरी 2023) कि मामले की जाँच की जा रही थी।*

राजस्थान में, एसएसडीएम *ने सूचित किया (नवंबर 2022 और मार्च 2023) कि उसके पास अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए एक अलग पोर्टल था* ताकि दोहराव से बचा जा सके और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के डाटा को रिकॉर्ड किया जा सके।

उत्तर प्रदेश में, एसएसडीएम ने समेकित डाटाबेस के अभिसरण/तैयारी के मुद्दे पर उत्तर देने के बजाय *(अगस्त 2024) सूचित किया कि पीएमकेवीवाई गतिविधि को राष्ट्रीय पोर्टल (स्किल इंडिया पोर्टल) के माध्यम से प्रशासित और प्रबंधित किया जाता था और संबंधित जिला स्तर पर कौशल विकास आवश्यकताएं तैयार की जा रही थीं।*

तथ्य यह है कि 2015-22 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य स्तरों पर डाटा एकीकरण/अभिसरण का अभाव था। परिणामस्वरूप, कौशल प्रयासों में दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए समन्वय प्रयासों की प्रभावशीलता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं था।

पीएमकेवीवाई 4.0 के दौरान, पाठ्यक्रम/सामग्री और प्रशिक्षण लागत के मानकीकरण, पुरस्कार प्रदान करने एवं मूल्यांकन करने वाले निकायों के लिए मानक, आदि के अतिरिक्त, मंत्रालय ने अभ्यर्थी स्तर पर अभिसरण (आधार आधारित ईकेवाईसी, छात्र पंजीकरण प्लेटफार्म, आदि के माध्यम से) और मंत्रालयों के साथ क्षेत्र स्तर पर अभिसरण (जिला स्तर के पदाधिकारियों को शामिल करना, विकास अवसंरचना का पारस्परिक उपयोग, आदि) को अभिसरण के अगले स्तर के रूप में पहचाना था।

अनुशंसा 3: *मंत्रालय को केंद्र और राज्यों में सभी कौशल प्रशिक्षण पहलों की मैपिंग सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उनके अभिसरण और डाटा एकीकरण के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।*

मंत्रालय ने आगे बताया (जून 2025) कि अभिसरण एक सतत् प्रयास है। यह पाठ्यक्रम सामग्री को मानकीकृत करने, कौशल पाठ्यक्रमों के लिए एक समान लागत मानदंडों के कार्यान्वयन और सभी कौशल योजनाओं को एक एकीकृत मंच पर लाने के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के परामर्श से काम कर रहा है। पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जैसे अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए गए हैं।

2.3 पीएमकेवीवाई के लिए संस्थागत ढांचा

एनपीएसडीई के प्रावधानों के अनुसार, एमएसडीई (जुलाई 2015) द्वारा नीति दस्तावेज में निर्धारित उद्देश्यों के लिए देश में सभी कौशल प्रयासों को लागू तथा समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) की शुरूआत की गई थी। एनएसडीएम योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिकल्पित संस्थागत ढांचा केवल योजना तक सीमित नहीं था (पीएमकेवीवाई के लिए विशेष रूप से गठित समितियों के अतिरिक्त) बल्कि देश में समग्र कौशल विकास प्रयासों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता था।

एनएसडीएम राज्यों को एसएसडीएम या इसी प्रकार के अभिकरणों का सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो विभिन्न लक्षित समूहों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हो। एसएसडीएम के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले पीएमकेवीवाई के राज्य घटक की शुरुआत पीएमकेवीवाई 2.0 से हुई। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 3.0 के कार्यान्वयन के दौरान, मंत्रालय ने संसद की स्थायी समिति मार्च 2022) *को भी सूचित किया था कि जिला मशीनरी की न्यूनतम भागीदारी पीएमकेवीवाई 2.0 की प्रमुख कमियों में से एक थी तथा*

पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान, संबंधित जिलों में अभ्यर्थियों की मांग और आकांक्षाओं के आधार पर डीएससी द्वारा पहचानी गई नौकरी-भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण लागू किया जा रहा था।

तथापि, पीएमकेवीवाई 4.0 में, मंत्रालय ने एसएसडीएम की भूमिका को कौशल हस्तक्षेपों (विशेष मामले के रूप में लक्ष्यों के आवंटन को छोड़कर) से बाहर रखा और डीएससी की भूमिका को केवल योजना तैयार करने तथा क्षेत्र-स्तरीय निगरानी तक सीमित कर दिया।

2.3.1 केंद्रीय स्तर पर पीएमकेवीवाई समितियां

पीएमकेवीवाई के लिए संचालन समिति (एससी-पीएमकेवीवाई) प्रक्रिया मैनुअल को मंजूरी देने, नीति निर्देश प्रदान करने तथा पीएमकेवीवाई के निष्पादन की निगरानी के लिए उत्तरदायी शीर्ष निकाय है। एससी-पीएमकेवीवाई द्वारा गठित पीएमकेवीवाई (ईसी-पीएमकेवीवाई) की कार्यकारी समिति नीतिगत सिफारिशों को लागू करती है, आरपीएल/विशेष परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा/अनुमोदन करती है तथा एससी-पीएमकेवीवाई को सामान्य मानदंड से विचलन का सुझाव देती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शुरुआत में एससी-पीएमकेवीवाई ने अप्रैल 2015 में कार्यान्वयन की निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए द्विमासिक बैठक करने का निर्णय लिया था। तथापि, मंत्रालय ने बताया (सितंबर 2022) कि कोई निश्चित बैठक कार्यक्रम नहीं था तथा पिछले आठ वर्षों में केवल 15 बैठकें ही हुई थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018 और सितंबर 2022 के बीच, एससी-पीएमकेवीवाई ने प्रति वर्ष केवल एक बैठक की थी। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया (मई 2023) कि आवश्यकताओं के आधार पर आवधिक बैठकें आयोजित की गईं थीं।

एससी-पीएमकेवीवाई एक शीर्ष निकाय था जो अन्य बातों के साथ-साथ पीएमकेवीवाई के निष्पादन की निगरानी तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को मंजूरी देने सहित पाठ्यक्रम सुधार के लिए उच्च स्तरीय हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी था। इसकी अनियमित बैठकों के कारण अनिवार्य रूप से निगरानी में कमी आई, प्रक्रिया में सुधार के अवसरों को छोड़ दिया गया तथा अनुमोदन की

प्रक्रिया कार्योत्तर हो गई। ये इस रिपोर्ट की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में परिलक्षित होते हैं।

2.3.2 कौशल गुणवत्ता आश्वासन और विनियामक तंत्र

कौशल पहल के लिए विनियामक के रूप में स्थापित एनसीवीईटी का उद्देश्य (क) प्रमाणीकरण प्रदान करने एवं मूल्यांकन करने वाले निकायों तथा कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं[18] को मान्यता देना, उनकी निगरानी करना, अनुशासित करना तथा मान्यता रद्द करना, (ख) प्रशिक्षण दिशानिर्देश तैयार करना जिनमें पुरस्कार और मूल्यांकन निकाय शामिल हैं और नौकरी-भूमिकाओं के लिए योग्यता पैक (क्यूपी) को मंजूरी देना, (ग) मान्यता प्राप्त निकायों आदि के विरुद्ध शिकायतों के निवारण की प्रणाली बनाना और निगरानी करना था।

एनसीवीईटी ने बताया (सितंबर 2022) कि पुरस्कार और मूल्यांकन निकायों की मान्यता/विनियमन/निगरानी, क्यूपी, अनुसंधान आदि की मंजूरी के कार्यों के अतिरिक्त, यह निम्नलिखित के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में था:

क) पूर्व शिक्षण पाठ्यक्रमों की मान्यता,

ख) ऐसी सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं पर मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क एवं प्रभार, तथा

ग) कौशल संबंधी सूचना प्रदाताओं की मान्यता और कार्यप्रणाली.

मंत्रालय ने यह भी बताया (मई 2023) कि (i) पुरस्कार और मूल्यांकन निकायों की मान्यता और विनियमन के लिए दिशानिर्देश अक्टूबर 2020 में अधिसूचित किए गए थे, (ii) एनसीवीईटी द्वारा शिकायत निवारण तंत्र के लिए दिशानिर्देश फरवरी 2022 में लाए गए थे, (iii) नई शिक्षा नीति/राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के शुभारंभ के कारण परिवर्तनों को शामिल करने वाला मसौदा दस्तावेज तैयार किया गया था, और (iv) एनसीवीईटी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में था।

---

[18] एनसीवीईटी अधिसूचना के अनुसार, एक कौशल सूचना प्रदाता मान्यता प्राप्त निकायों, प्रशिक्षण निकायों और प्रशिक्षुओं के बारे में जानकारी एकत्र करता है और सार्वजनिक रूप से सुलभ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जैसे एनएसडीसी द्वारा कौशल भारत पोर्टल पर प्रकाशित करता है।

इस प्रकार, पीएमकेवीवाई 2020 तक प्रासंगिक विनियामक दिशानिर्देशों के बिना काम करती रही।

एनसीवीईटी की भूमिका के बारे में, मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि यद्यपि एनसीवीईटी 2018 में स्थापित किया गया परन्तु यह अगस्त 2020 में ही पूरी तरह से चालू हो सका और इसके सदस्यों ने अप्रैल 2021 में पूर्णकालिक प्रभार संभाला, तब तक पीएमकेवीवाई ने लंबी अवधि पूरी कर ली थी।

मंत्रालय/एनसीवीईटी के उत्तर से पता चलता है कि एनसीवीईटी ने पीएमकेवीवाई के पहले तीन चरणों के कार्यान्वयन में सीमित विनियामक भूमिका निभाई थी तथा इसके परिचालन अवधि (2015-22) के दौरान कई कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार नहीं किए गए थे।

2.4 पीएमकेवीवाई के लिए डाटा प्रबंधन एवं आईटी नियंत्रण ढांचा

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) कागज-आधारित संचार और सूचना भंडारण की जगह इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार विधियों के माध्यम से किए गए लेनदेनों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। जो कागज-आधारित संचार और सूचना भंडारण की जगह लेता है। चूंकि नामांकन से लेकर प्लेसमेंट तक का पूरा पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन चक्र एसआईपी ढांचे में तैयार किया गया था इसलिए एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट डाटा प्रतिधारण नीति होना महत्वपूर्ण था।

2.4.1 पीएमकेवीवाई डाटा के प्रतिधारण के लिए नीति का अभाव

आईटी अधिनियम की धारा 7 इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के प्रतिधारण के संबंध में कानूनी प्रावधान निर्दिष्ट करती है तथा स्पष्ट विवरणी की आवश्यकता पर बल देती है जिसमें स्पष्ट रूप से उस विशिष्ट अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए रिकॉर्ड या सूचना को बनाए[19] रखना है।

पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया ने कार्यान्वयन पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों अर्थात एनएसडीसी, एसएससी और टीपी/टीसी स्तरों पर डाटा, इलेक्ट्रॉनिक

[19] अधिनियम की धारा 7 (ए) ऐसे इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

फाइलें/रिकॉर्ड/फोटो और वीडियो तैयार किए हैं। तथापि, मंत्रालय ने आईटी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रिकार्डों को संरक्षित रखने के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है। परिणामस्वरूप, प्रतिभागियों की उपस्थिति, प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की आईडी/संपर्क विवरण, प्रशिक्षण केंद्र की भौगोलिक स्थिति/पीएमकेवीवाई-1.0 में आयोजित प्रशिक्षण के मूल्यांकन की जानकारी नहीं रखी गई थी।

इसके अतिरिक्त, आरपीएल दिशा-निर्देशों में प्रमाण-पत्र वितरण समारोह की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें लेने और वीडियोग्राफी करने और अभ्यर्थियों की बैच-वार तस्वीरें लेने का निर्देश दिया गया है और इन्हें एनएसडीसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन्हें एनएसडीसी में नहीं रखा गया था और ये कार्यान्वयन पदानुक्रम में केवल एसएससी/टीपी/टीसी के पास ही उपलब्ध थे।

डाटा प्रतिधारण निर्देशों की कमी के कारण, एनएसडीसी प्रशिक्षण गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एसएससी से पूर्ण और संरक्षित साक्ष्य प्रस्तुत कराने में असमर्थ था। उदाहरण के लिए, कुछ बैचों में केवल एक या दो अभ्यर्थियों की तस्वीरें थीं, या फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के विवरण से मेल नहीं खाते थे। इससे संबंधित अन्य मुद्दों पर ***पैरा 3.8*** में विस्तार से चर्चा की गई है।

डाटा प्रतिधारण पर लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, एमएसडीई ने एनएसडीसी की आंतरिक डाटा सुरक्षा नीति के बारे में बताया (अगस्त 2022), जो प्रावधानों के अनुसार प्रतिधारण आवश्यकताओं का समाधान नहीं करती हैं। डाटा प्रतिधारण नीति की अनुपस्थिति के कारण कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा अपर्याप्त सूचना प्रतिधारण, साक्ष्य और लेखापरीक्षा के दौरान लेनदेन के साक्ष्यों प्रस्तुत करने में रुकावट पैदा करना जैसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कमजोर आंतरिक नियंत्रणों को उजागर करते हैं।

मंत्रालय ने यह भी बताया (मई 2023) कि अप्रैल 2022 में जारी किए गए उसके डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क में डाटा स्वामित्व, डाटा सुरक्षा और डाटा प्रबंधन (जीवन चक्र और डाटा गुणवत्ता मानक) के मानदंड, मुख्य डाटा अधिकारी (सीडीओ) के अधीन

डाटा सेल का निर्माण शामिल है ताकि विकेंद्रीकृत साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा दिया जा सके, हितधारकों की क्षमता निर्माण और डाटा अखंडता सुनिश्चित करने सहित परिभाषित उद्देश्यों का अनुपालन किया जा सके। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि सक्षम प्राधिकारी की उचित मंजूरी के बाद एसआईपी के बाहर कोई भी डाटा साझा करते समय दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क को पीएमकेवीवाई के सभी तीन चरणों के समाप्त होने के बाद अर्थात अप्रैल 2022 में अधिसूचित किया गया था। तथापि, इसने आईटी अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप डाटा स्वामित्व, डाटा सुरक्षा और डाटा प्रबंधन आदि के मानदंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान नहीं किया और इसमें एमएसडीई पदानुक्रम में केवल भूमिकाएं और उत्तरदायित्व शामिल थे।

लाभार्थियों के व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नीति:

पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन के दौरान, पीएमकेवीवाई कार्यकर्ताओं और विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों[20] के बीच डाटा का आदान-प्रदान किया गया। योजना को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी टीपी/टीसी जैसे निजी क्षेत्र के बहुत से हितधारकों की भी संपूर्ण लेनदेन डाटा तक पहुंच है। ये संस्थाएं, पीएमकेवीवाई के अतिरिक्त, अन्य सरकारी योजनाओं या शुल्क-आधारित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।

डाटा सुरक्षा पर प्रश्नों के उत्तर में, एनएसडीसी ने बताया (सितंबर 2022) कि मंत्रालय से कोई दिशानिर्देश या निर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, पीएमकेवीवाई डाटा को बाहरी अभिकरणों के साथ साझा करते समय प्रबंधन/मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

यह देखते हुए कि पीएमकेवीवाई पारिस्थितकी तंत्र में एसएससी, टीपी, टीसी, स्वतंत्र प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता जैसी निजी संस्थाएं शामिल हैं, जिनके पास

---

[20] अर्थात; भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस), डिजीलॉकर, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), बीमा प्रदाता आदि।

अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच है, डाटा सुरक्षा, साझाकरण और गोपनीयता नीति का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि उन्होंने योजना से संबंधित डाटा की सटीकता और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक सूचना सुरक्षा ढ़ांचा स्थापित किया है।

2.4.2 पीएमकेवीवाई के लिए कमजोर आईटी नियंत्रण ढांचा

चूंकि पूरी पीएमकेवीवाई प्रक्रिया एसआईपी के माध्यम से निष्पादित की गई थी, इसलिए एसआईपी पर डाटा बनाने/इनपुट करने के लिए, 'एसआईपी के लिए डाटा मॉडल' सहित एक आईटी नियंत्रण ढांचा बनाया गया था, जिसने पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्यान्वयन मानदंड का पालन भी सुनिश्चित किया। लेखापरीक्षा ने प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं और अभ्यर्थियों के विवरण दर्ज करते समय पीएमकेवीवाई के लिए आईटी नियंत्रण ढांचे का कमजोर कार्यान्वयन पाया जिसके बारे में आगे चर्चा की गई है:

2.4.2.1 प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की इलेक्ट्रॉनिक पहचान/संपर्क विवरण का रिकॉर्ड

प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं जो उपस्थिति सुनिश्चित करके, प्रतिभागियों को सत्यापित करके तथा प्रशिक्षण और प्रमाणन के दौरान सफल उम्मीदवार की भागीदारी की पुष्टि करके आयोजित प्रशिक्षण पर आवश्यक डाटा तैयार करते है। पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशानुसार प्रशिक्षण और मूल्यांकन केवल प्रमाणित प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए। प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं का पंजीकरण प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) द्वारा प्रशिक्षण के लिए बैच आवंटन और एसएससी द्वारा मूल्यांकन के प्रबंधन के साथ ही एसआईपी के माध्यम से किया जाता है।

एसआईपी के डाटा मॉडल के अनुसार, प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षक/मूल्यांकनकर्ता आईडी, प्रशिक्षक/मूल्यांकनकर्ता का नाम और उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए। पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 से संबंधित 3.39 लाख बैचों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि:

क) 25,908 प्रमाणित अभ्यर्थियों वाले 1,507 बैचों के मामले में प्रशिक्षक का नाम “शून्य” या “माइग्रेटेड डाटा” था, जबकि 61,12,030 प्रमाणित अभ्यर्थियों वाले 2,30,758 बैचों के मामले में प्रशिक्षक आईडी “शून्य” या “0” थी। इसके अतिरिक्त, 28,891 प्रमाणित अभ्यर्थियों वाले 1,599 बैचों के मामले में प्रशिक्षक मोबाइल नंबर या तो “शून्य” या "माइग्रेट डाटा" था अथवा अमान्य (9 अंक, 1-5 से शुरूआत) था।

ख) 851 प्रमाणित अभ्यर्थियों वाले 45 बैचों में मूल्यांकनकर्ता का नाम "शून्य" पाया गया, और 93,01,810 प्रमाणित अभ्यर्थियों वाले 3,27,220 बैचों में मूल्यांकनकर्ता संपर्क नंबर "शून्य" या "अमान्य" था। इसके अतिरिक्त, 874 अभ्यर्थियों वाले 46 बैचों में "0.00" मूल्यांकनकर्ता आईडी के मामले भी देखे गए।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि आवश्यकता के अनुसार, प्रशिक्षक के विवरण की आवश्यकता नहीं थी, तथा योजना दिशानिर्देश अनन्य फोन नंबर और ईमेल आईडी के आधार पर प्रशिक्षक के नामांकन को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। यह जांच (एसआईपी के सिस्टम डिजाइन के अनुसार) स्थापित की गई थी और बाद में योजना की आवश्यकता के अनुसार इसे रद्द कर दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि योजना के दिशा-निर्देशों में प्रशिक्षण देने के लिए केवल एसएससी प्रमाणित प्रशिक्षकों को ही नियुक्त करने का प्रावधान है। एसआईपी में की गई अनिवार्य आवश्यकताओं द्वारा इसे सुनिश्चित किया गया था। प्रशिक्षण प्रदान करना और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करना पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू थे तथा प्रशिक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं की पहचान और संपर्क विवरण दर्ज न करना प्रमाणन के लिए आवश्यक बिंदुओं को पूरा करने के बारे में आश्वासन प्रदान नहीं करता है। कार्यान्वयन के दौरान आवश्यक आईटी नियंत्रणों को रद्द करना एसआईपी प्रणाली में निर्धारित आंतरिक नियंत्रणों के साथ समझौता होने की ओर इंगित करता है।

मंत्रालय ने आगे बताया (जून 2025) कि संशोधित डिजिटल अवसंरचना के अन्तर्गत प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता और प्रशिक्षक को ई-केवाईसी प्रमाणीकरण द्वारा सुरक्षित एसआईडीएच पर एक विशिष्ट पहचानकर्ता जारी किया जाता है जिससे

अनाधिकृत प्रतिस्थापन या लिंकेज को रोका जा सके एवं प्रक्रियागत पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जा सके।

2.4.2.2 अभ्यर्थियों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान और संपर्क विवरण का रिकॉर्ड

एसआईपी में अपनाई गई अभ्यर्थी पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत अभ्यर्थियों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान और उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए उनका मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या और ईमेल सहित संपर्क विवरण भरना अनिवार्य था।

पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों में अभ्यर्थियों के पास वैध बैंक खाता होना भी अनिवार्य किया गया है। अन्यथा, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को अभ्यर्थी के लिए इसकी सुविधा प्रदान करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि नामांकन के समय अभ्यर्थियों के सटीक बैंक विवरण आईटी सिस्टम पर दर्ज किए जाएं। अभ्यर्थियों के बैंक खाता संख्या की मैपिंग भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि दिशानिर्देशों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रत्येक प्रमाणित अभ्यर्थी को ₹ 500 का भुगतान करने का प्रावधान था।

- पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के संबंधित डाटा के विश्लेषण से पता चला कि कुल 95,90,801 प्रतिभागियों में से 90,66,264 अर्थात 94.53 *प्रतिशत* मामलों में *'बैंक खाता विवरण'* फील्ड में 0, 'शून्य', 'लागू नहीं' या रिक्त स्थान था शेष 5,24,537 अभ्यर्थियों के मामले में, 52,381 प्रतिभागियों के लिए 12,122 अनन्य बैंक खाता संख्या दो या अधिक मामलों में दोहराई गई थी। जैसा कि तालिका 2.2 में विस्तृत है:

तालिका 2.2: एक ही बैंक खाता संख्या की पुनरावृत्ति

दो या अधिक उदाहरणों में एक ही बैंक खाता संख्या की पुनरावृत्ति	अनन्य बैंक खाता संख्याओं की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए उपयोग किया गया
2 से 5 के बीच	11587	24842
6 से 10 के बीच	238	1781
11 से 50 के बीच	219	4773
51 से 100 के बीच	39	2764
101 से 1000 के बीच	34	10618
1001 से 2000 के बीच	4	5497
2000 से अधिक	1	2106
कुल	**12122**	**52381**

यहाँ तक कि, एक अभ्यर्थी के लिए एक खाता (प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 472156 अनन्य खाते) के उपयोग के मामलों में भी, स्पष्टतः गलत खाता संख्याओं के उदाहरण देखे गए जैसे कि '11111111111...', '123456.....', एकल अंक खाता संख्या, या केवल पाठ, नाम, पता, या विशेष वर्ण इत्यादि। इस प्रकार, पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 डाटा में खाता संख्या फील्ड का विश्लेषण ने इस योजना के प्रतिभागियों की पहचान के बारे में पर्याप्त आश्वासन नहीं दिया।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि शुरूआत में एसआईपी पर खाता विवरण एक अनिवार्य फील्ड था, परंतु बाद में जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में समस्याओं के कारण इसे गैर-अनिवार्य बना दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि अभ्यर्थियों को धनराशि का भुगतान आधार से जुड़े बैंक खाते के आधार पर किया जाना था जिससे कि भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में हो जाए तथा बैंक खाता संख्या एकत्र करने की आवश्यकता न पड़े।

अभ्यर्थी भुगतान का ऑनलाइन वितरण: मंत्रालय के उत्तर की सत्यता की जांच करने के लिए, डीबीटी के माध्यम से किए गए अभ्यर्थी भुगतान का विवरण मांगा गया (जुलाई 2023)। मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी (अगस्त 2023) से पता चला कि पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के अंतर्गत डीबीटी भुगतान केवल 24.53 लाख प्रमाणित अभ्यर्थियों (25.58 *प्रतिशत*) के लिए भुगतान संसाधित किए गये थे तथा केवल 17.69 लाख अभ्यर्थियों (18.44 *प्रतिशत*) के लिए भुगतान सफल रहे। अक्टूबर 2024 में मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 95.91 लाख अभ्यर्थियों में से 61.14 लाख (63.75 *प्रतिशत*) को भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है। विवरण से पता चलता है कि अपर्याप्त जानकारी के कारण, संबंधित पीएमकेवीवाई चरणों के पूरा होने के बाद भी 34 लाख से अधिक प्रमाणित अभ्यर्थियों को भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने इन अभ्यर्थियों और 'बैंक खाता विवरण' के बिना प्रमाणित अभ्यर्थियों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की।

लेखापरीक्षा का मानना है कि आधार से जुड़े खातों में भुगतान स्वतः यह सुनिश्चित नहीं करता है कि भुगतान वास्तविक अभ्यर्थियों को किया गया है,

यद्यपि मंत्रालय ने प्रशिक्षण के संचालन के साक्ष्य के रूप में पूर्ण रुप से इसी पद्धति पर भरोसा किया है, जैसा कि ***पैरा 3.8*** में चर्चा की गई है। अपर्याप्त विवरणों के कारण लाभार्थियों को पुरस्कार राशि का भुगतान न किए जाने के मुद्दे पर भी ***पैरा 4.2.4*** में चर्चा की गई है।

- जिन अभ्यर्थियों ने शुरू में अपने आधार से जुड़े खाते के बारे में जानकारी नहीं दी थी, उनसे भुगतान के लिए प्रासंगिक विवरण देने हेतु संपर्क किया जाना आवश्यक था। तथापि, संपर्क विवरण के डाटा में ईमेल/मोबाइल नंबर की दोहरावपूर्ण प्रविष्टियाँ पाई गईं, जैसा कि **तालिका 2.3** में दिया गया है:

तालिका 2.3: दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिए एक ही ईमेल/मोबाइल नंबर का उपयोग

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के लिए एक ही ईमेल/मोबाईल नंबर की पुनरावृत्ति	अनन्य ईमेल की संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या जिनके लिए ईमेल[$] उपयोग किया गया	अनन्य मोबाइल नंबर	अभ्यर्थियों की संख्या[#] जिनके लिए उपयोग किया गया
2 से 10 के बीच	156928	466543	386934	862654
11 से 50 के बीच	14912	343463	2980	61246
51 से 500 के बीच	6741	976532	544	67053
501 से 5000 के बीच	773	890740	49	58763
5000 से अधिक	53	4443717	1	6759
कुल	**179407**	**7120995**	**390508**	**1056475**

[$] अभ्यर्थियों के लिए ईमेल पते के उपयोग के मामलों में केवल शून्य के बाद, @ gmail.com, abc@gmail.com, abcd@gmail.com, 123@gmail.com @ gmail.com आदि वाले ईमेल पते देखे गए।

36,49,344 अभ्यर्थियों के मामले में *'अभ्यर्थी__ईमेल'* को *'माइग्रेट डाटा'* के रूप में भी दर्ज किया गया था।

[#] इसी प्रकार, अभ्यथयों के लिए मोबाइल नंबर के उपयोग के मामलों में, 10 अंकों से कम के लगभग 87,000 ऐसे मोबाइल नंबर पाए गए जिनमें '1000000000, 1111111111 आदि शामिल थे तथा जो 1 से 5 से शुरु होते थे।

ऑनलाइन लाभार्थी सर्वेक्षण: लेखापरीक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, 2019-21 के दौरान प्रमाणित 4,330 लाभार्थियों से ऑनलाइन लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए एसआईपी से प्राप्त ईमेल/एसएमएस पर संपर्क किया गया। तथापि, ईमेल प्राप्ति विफलता दर 36.51 *प्रतिशत* (1581 ईमेल) थी और जिन मामलों में ईमेल प्राप्त किया गया था, उनमें से केवल 3.95 *प्रतिशत* (171 अभ्यर्थी) की ही प्रतिपुष्टि प्राप्त हुई थी। इसके साथ ही, इन 171 प्रतिपुष्टियों में से 131 (76.61 *प्रतिशत*)

एक ही ईमेल-आईडी से की गई थी या संबंधित टीपी/टीसी की ईमेल-आईडी थीं। इसलिए एसआईपी में अभ्यर्थियों की गलत इलेक्ट्रॉनिक पहचान के कारण यह सर्वेक्षण कार्यान्वित नहीं हो सका।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि योजना के दिशानिर्देश अनन्य फोन नंबर, ईमेल आईडी या उसी के प्रमाणीकरण के आधार पर योजना में अभ्यर्थियों के नामांकन को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, और इस कारण से ये असत्यापित विवरणों से भरे गए थे। यह भी बताया गया कि इस योजना को अभ्यर्थी आधार प्रमाणीकरण और छूट के मामलों में अभ्यर्थियों की पहचान का पता लगाने के लिए वैकल्पिक आईडी सत्यापन का उपयोग अनिवार्य किया गया था। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में अनियमित श्रमिक, निर्माण श्रमिक, किसान, महिलाएं थे, जिनके पास ईमेल आईडी होने की संभावना नहीं होती है और तदनुसार, इन डाटा क्षेत्रों को अनिवार्य नहीं बनाया गया था।

तथ्य यह है कि जमीनी स्तर पर आवश्यकताओं का आकलन किए बिना ही एसआईपी डाटा मॉडल/योजना दिशानिर्देशों में बैंक खाता विवरण, फोन नंबर और ईमेल को अनिवार्य बना दिया गया था। तथापि, इन नियंत्रणों में कोई वैकल्पिक लेखापरीक्षा पद्धति लागू किए बिना इनमें ढील दे दी गई, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर हो गई।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया कि पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत, अभ्यर्थियों को पंजीकरण के हिस्से के रूप में मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी ईमेल आईडी दर्ज करना और ई-केवाईसी (आधार आधारित प्रमाणीकरण) करना अनिवार्य किया जाएगा।

अद्यतन पीएमकेवीवाई डाटा (अक्टूबर 2024) की जांच करते समय, पीएमकेवीवाई 4.0 (09 अक्टूबर 2024 तक) के 9.45 लाख प्रमाणित अभ्यार्थियों के डाटा के विश्लेषण से पता चला कि अभी भी अमान्य (175) या दोहराए गए मोबाइल नंबर (2263) के मामले थे। इसके अतिरिक्त, 'शून्य' ई-मेल पतों (2.72 लाख से अधिक) तथा दोहराए गए ई-मेल पतों (3.08 लाख से अधिक) के मामले भी सामने आए। यह दर्शाता करता है कि मई 2023 में मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिए गए अपेक्षित आईटी नियंत्रण अभी तक प्रभावी नहीं हुए हैं।

***अनुशंसा 4**: मंत्रालय को पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत निर्धारित आईटी नियंत्रणों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए तथा डाटा प्रतिधारण नीति लागू करने पर विचार करना चाहिए जिसमें रखे जाने वाले डाटा, डाटा प्रतिधारण का स्थान एवं अवधि के साथ-साथ डाटा प्रतिधारण करने वाले निकायो के उत्तरदायित्वों को भी निर्दिष्ट करना चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि लेखापरीक्षा अनुशंसा को अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

अध्याय 3: कार्यान्वयन तथा उपलब्धियाँ

पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया के परिचालन चरण का लक्ष्य आवंटन, नामांकन, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण तथा अभ्यर्थियों का प्रतिस्थापन शामिल है। निष्पादन के इन क्षेत्रों से संबंधित प्रासंगिक मामलों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

3.1 लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

एमएसडीई ने कैबिनेट/व्यय वित्त समिति[21] द्वारा संबंधित चरणों हेतु अनुमोदित/ अनुशंसित किए गए लक्ष्यों के आधार पर पीएमकेवीवाई के सीएससीएम/ सीएसएसएम संघटकों के अंतर्गत लघु-अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी), विशेष परियोजना (एसपी) तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बनाई। पीएमकेवीवाई के तीन-चरणों तथा दो संघटको अर्थात् सीएससीएम तथा सीएसएसएम के माध्यम से नियोजित तथा प्राप्त (प्रमाणित) इन लक्ष्यों का विवरण ***तालिका 3.1*** तथा ***3.2*** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.1: पीएमकेवीवाई लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

(अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में)

पीएमकेवीवाई	लघु-अवधि प्रशिक्षण			विशेष परियोजना			पूर्व शिक्षण की मान्यता		
चरण	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रमाणित	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रमाणित	लक्ष्य	प्रशिक्षित	प्रमाणित
1.0	14.00	18.04	13.32	-	-	-	10.00	1.82	1.19
2.0	56.05	46.38	38.75	3.95	2.21	1.62	40.00	61.42	51.21
3.0	2.20	3.59	2.40	-	1.15	0.05[#]	5.80	2.63	1.88
कुल	**72.25**	**68.01**	**54.47**	**3.95**	**3.36**	**1.67**	**55.80**	**65.87**	**54.28**

(31 मार्च 2004 को कौशल भारत पोर्टल/कौशल भारत डिजिटल हब के अनुसार योजना निष्पादन आकड़े)

नोटः प्रथम तथा तृतीय चरण के दौरान विशेष परियोजनाएं श्रेणी के अंतर्गत किसी लक्ष्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था।

#कोविड 19 के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थिति के अंतर्गत 'ऑन द जॉब ट्रैनिंग' के रुप में प्रमाणित 0.75 लाख अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया।

[21] पीएमकेवीवाई 1.0 तथा 2.0 के दौरान कैबिनेट समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया था क्योकि परिव्यय ₹ 1000 करोड़ से अधिक था। पीएमकेवीवाई 3.0 के लिए प्रस्ताव की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुशंसित की गई थी क्योंकि वित्तीय परिव्यय ₹ 1000 करोड़ से कम था।

तालिका 3.2 सीएससीएम तथा सीएसएसएम के अंतर्गत पीएमकेवीवाई उपलब्धि

(अभ्यर्थियों की संख्या लाख में)

पीएमकेवीवाई चरण		लघु अवधि प्रशिक्षण	विशेष परियोजना	पूर्व शिक्षण की मान्यता	कुल
सीएससीएम	1.0	13.32	-	1.19	14.51
	2.0	32.19	1.57	51.21	84.97
	3.0	1.94	0.04	1.32	3.30
	कुल	**47.45**	**1.61**	**53.72**	**102.78**
सीएसएसएम	2.0	6.56	0.05	-	6.61
	3.0	0.46	0.01	0.56	1.03
	कुल	**7.02**	**0.06**	**0.56**	**7.64**
कुल योग		**54.47**	**1.67**	**54.28**	**110.42**

तालिका 3.1 से यह देखा जा सकता है कि कुल 132.00 लाख लक्षित अभ्यर्थियों के सापेक्ष 137.24 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था तथा केवल 110.42 लाख अभ्यर्थियों को तीनों पीएमकेवीवाई चरणों के दौरान प्रमाणित किया गया था। समग्र रूप से, एसटीटी/एसपी लक्ष्यों के प्रति 73.67 *प्रतिशत* (56.14 लाख) तथा आरपीएल लक्ष्यों के प्रति 97.28 *प्रतिशत* (54.28 लाख) अभ्यर्थी प्रमाणित किए गए थे।

पीएमकेवीवाई 2.0 तथा 3.0 दिशानिर्देश केन्द्र (सीएससीएम) तथा राज्य (सीएसएसएम) घटकों के लिए भौतिक लक्ष्यों के क्रमशः *75* तथा *25 प्रतिशत* के आवंटन को निर्धारित करते हैं। ***तालिका 3.2*** दर्शाती है कि पीएमकेवीवाई के दूसरे तथा तीसरे चरण हेतु पीएमकेवीवाई प्रशिक्षणों की 92.03 *प्रतिशत* (95.91 लाख में से 88.27 लाख प्रमाणित) उपलब्धि केंन्द्रीय संघटक अर्थात सीएससीएम के अंतर्गत थी, जबकि सीएसएसएम संघटक का *अंश* 7.97 *प्रतिशत* था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (सितबंर 2022) कि पीएमकेवीवाई के दूसरे चरण के दौरान, धीमी प्रगति के कारण, राज्यों में लक्ष्यों को 50 *प्रतिशत* तक घटाया गया था।

लेखापरीक्षा हेतु चयनित राज्यों में कौशल प्रशिक्षण की जांच ने संशोधित लक्ष्यों तथा प्रमाणित अभ्यर्थियों की तुलना में पीएमकेवीवाई के दूसरे चरण (एसटीटी-सीएसएसएम) के दौरान प्रमाणन कम हुए जैसा नीचे ***तालिका 3.3*** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: सीएसएसएम (एसटीटी) के अंतर्गत चयनित राज्यों में लक्ष्य तथा उपलब्धियां

राज्य	राज्य सहभागिता दिशानिर्देशों में अभिकल्पित लक्ष्य	अंतिम लक्ष्य (ए)	उपलब्धि	
			प्रमाणित (बी)	प्रतिशतता (बी/ए)
असम	47258	47258	26017	55.05
बिहार	89665	26484	3809	14.38
झारखण्ड	57670	40000	16101	40.25
केरल	71456	35611	17869	50.18
महाराष्ट्र	167127	128747	59005	45.83
ओडिशा	58046	46954	6075	12.94
राजस्थान	64526	41000	20989	51.19
उत्तर प्रदेश	142550	90809	66848	73.61

मंत्रालय ने (मई 2023 एवं जून 2025) सीएसएसएम संघटक के अंतर्गत धीमी प्रगति के कारणों को राज्यों द्वारा निधियों का उपयोग न करना, नए मानदंडों की शुरुआत, टीपी के नामिकायन/लक्ष्यों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने में विलम्ब तथा कोविड-19 महामारी को बताया। मंत्रालय ने आगे बताया (जून 2025) कि राज्यों के आवंटन में कटौती के कारण सीएसएसएम से बचतों को सीएससीएम संघटक के अंतर्गत उपयोग किया गया था।

तथ्य यह है कि लक्ष्यों में कटौती के पश्चात भी चयनित राज्यों (उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त) में उपलब्धि 56 *प्रतिशत* से कम थी।

3.2 पात्रता के निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के साथ पीएमकेवीवाई प्रमाणीकरणों का संरेखण

पीएमकेवीवाई के एसटीटी संघटक को स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले या बेरोजगार युवाओं को लक्षित करने हेतु डिजाइन किया गया था। प्रत्येक नौकरी-भूमिकाओं का योग्यता पैक प्रवेश स्तर न्यूनतम आयु तथा शिक्षा योग्यता/अनुभव को सभी चरणों में कौशल प्रशिक्षण हेतु निर्धारण कारक के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, केवल पीएमकेवीवाई 3.0 दिशानिर्देशों ने एसटीटी/एसपी संघटकों के लिए

15-45 वर्षों तथा आरपीएल संघटको हेतु 18-45 वर्षों की अपेक्षित आयु का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान, पीएमकेवीवाई प्रमाणित अभ्यर्थियों के डाटा का विश्लेषण अभ्यर्थियों के आयु प्रोफाइल को समझने तथा प्रतिभागियों के न्यूनतम प्रवेश मानदंड (आयु, योग्यता, कार्य अनुभव आदि), जैसा क्यूपी में विनिर्दिष्ट है, के अनुपालन की जांच हेतु विश्लेषण किया गया था।

3.2.1 अभ्यर्थियों का आयु प्रोफाइल तथा न्यूनतम मानदंडों के साथ उसकी अनुरुपता

यह पाया गया था कि ऑनलाइन पीएमकेवीवाई नामांकन प्रक्रिया में क्यूपी आवश्यकताओं[22] के अनुसार प्रतिभागियों की आयु/जन्म तिथि को सत्यापित करने का कोई तंत्र शामिल नहीं है। प्रमाणित पीएमकेवीवाई अभ्यर्थियों के आयु वर्ग को **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: प्रमाणित अभ्यर्थियों की आयु प्रोफाइल

आयु वर्ग (वर्षों में)	संख्या हजारों में				
	एसटीटी	एसपी	आरपीएल	कुल	प्रतिशतता अंश
15 से कम	15.66	0.49	23.41	39.56	0.36
15 तथा 18 से कम	518.03	19.00	144.86	681.89	6.18
18 तथा 35 से कम	4601.24	126.26	2943.33	7670.83	69.47
35 तथा 45 से कम	262.77	15.82	1331.81	1610.40	14.58
45 तथा 60 से कम	46.28	4.58	841.60	892.46	8.08
60 तथा 80 से कम	2.92	0.56	140.49	143.97	1.30
80 तथा 80 से अधिक	0.09	0.01	3.23	3.33	0.03
कुल	**5446.99**	**166.72**	**5428.73**	**11042.44**	**100.00**

[22] जन्म तिथि के अतिरिक्त प्रतिभागियों की आयु वाला भाग पीएमकेवीवाई 1.0 के डाटा में उपलब्ध नहीं था। विश्लेषण के दौरान प्रतिभागियों की आयु का पीएमकेवीवाई के सभी तीन चरणों के लिए दर्ज जन्म तिथि तथा बैच के आरंम्भ की तिथि का उपयोग करके परिकलित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, "क्यूपी मास्टर फाईल[23]" (जिसमें प्रत्येक नौकरी-भूमिकाओं हेतु न्यूनतम आयु है) के डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 705 विभिन्न नौकरी-भूमिकाओं से संबंधित 6.54 लाख प्रमाणित अभ्यर्थियों ने बैच के शुरू होने के समय क्यूपी के अनुसार-न्यूनतम प्रवेश आयु प्राप्त नहीं की। उदाहरणार्थ, 'समूह कृषि व्यवसायी' तथा 'स्व-नियोजित दर्जी' हेतु क्यूपी में क्रमशः 20 वर्ष तथा 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अपेक्षित है, जिसके सापेक्ष निर्धारित न्यूनतम आयु से कम आयु वाले क्रमश: 52,214 तथा 40,953 अभ्यर्थी प्रमाणित थे।

इसके अतिरिक्त, चालक/शोफर संबंधित नौकरी-भूमिकाओं हेतु क्यूपी के अनुसार, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु तथा एक वैध लाइसेंस अनिवार्य था। तथापि, डाटा विश्लेषण ने प्रकट किया कि 18 वर्ष से कम आयु के 1142 अभ्यर्थियों को चालक/शोफर से संबधित नौकरी-भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित तथा प्रमाणित किया गया था।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक "कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली" (एसडीएमएस) में आयु के आधार पर अभ्यर्थियों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। एसटीटी/एसपी अभ्यर्थियों के संबंध में, यह प्रस्तुत किया कि अधिक/कम आयु के प्रशिक्षण या तो चूक के कारण थे या फिर इन अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षणों को मूल्यवान पाया। कम आयु के अभ्यर्थियों को चालक/शोफर संबंधी कौशल प्रशिक्षणों के सबंध में, मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि प्रणाली में डाटा दर्ज करने के लिए उत्तरदायी प्रशिक्षण प्रदाता (टीपी) की निरीक्षण त्रुटी थी। तथापि, यह आश्वासन दिया गया कि निष्कर्षों के आधार पर पीएमकेवीवाई के आगामी चरण में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे जहाँ अभ्यर्थियों का पंजीकरण उनके आधार प्रत्यय पत्रों पर आधारित होगा तथा नौकरी की भूमिका के अनुसार न्यूनतम आयु तथा शिक्षा योग्यता की जांच हेतु प्रणाली में प्रावधान किया जा रहा था।

---

23 लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले पाए जहां क्यूपी/नौकरी-भूमिका के विभिन्न संस्करणों में न्यूनतम योग्यता अलग थी। इसके अतिरिक्त क्यूपी/नौकरी-भूमिका का संस्करण, जिसमें पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया था, को पीएमकेवीवाई 1.0 तथा पीएमकेवीवाई 2.0/3.0 के लगभग 60.95 लाख अभ्यर्थियों के लिए दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार, आयु/शैक्षिक आवश्यकता की तुलना हेतु "क्यूपी मास्टर फाईल' का उपलब्ध नवीनतम संस्करण का प्रयोग किया गया था।

अद्यतित पीएमकेवीवाई डाटा (अक्टूबर 2024) की जांच करते समय, यह पाया गया कि पीएमकेवीवाई 4.0 के संबंध में, न्यूनतम आयु आवश्यकताओं के प्रति 365 *नौकरी-भूमिकाओं हेतु 1.18 लाख कम आयु वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया गया था (09 अक्टूबर 2024 तक) जो यह दर्शाता है कि मंत्रालय ने अयोग्य उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण के लिये नामांकन से बाहर करने के लिये सुधारात्मक उपायों को अभी तक लागू नहीं किया है।*

मंत्रालय ने सूचित किया (जून 2025) कि केवल उन मामलों को जिनमें कानूनी रूप से अनिवार्य है या खतरनाक व्यवसायों के लिए है को छोड़कर एनसीवीईटी ने सामान्य आयु मानदण्ड को हटा दिया है (मई 2025)।

3.2.2 अभ्यर्थियों का शैक्षिक प्रोफाइल तथा न्यूनतम मानदंड के साथ उसकी अनुरुपता

विभिन्न शिक्षा वर्गों[24] में समूहीकृत पीएमकेवीवाई अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रोफाइल, जैसा प्रमाणीकरण के समय प्राप्त किया गया था, **तालिका 3.5 (ए)** में दिया गया है।

तालिका 3.5 (ए): प्रमाणित अभ्यर्थियों की शैक्षिक प्रोफाइल

औपचारिक शिक्षा	संख्या हजारों में				
	एसटीटी	एसपी	आरपीएल	कुल	प्रतिशतता अंश
सूचना दर्ज नहीं की गई	57.39	6.24	1182.07	1245.7	11.28
अशिक्षित	9.13	1.09	84.14	94.36	0.85
प्राथमिक (5वीं) तक बुनियादी साक्षरता	11.83	3.08	328.4	343.31	3.11
मध्य (6वीं से 8वीं)	441.44	27.9	1382.47	1851.81	16.77
माध्यमिक (9वीं-10वीं)*	1.74	0.01	2.44	4.19	0.04

[24] कुछ अभ्यर्थियों ने केवल तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा की सूचना दी जिसे तालिका 3.5 (ए) एवं (बी) के संबंध में औपचारिक शिक्षा अर्थात माध्यमिक के रुप मे प्रमाणपत्र, उच्च माध्यमिक के रुप में आईटीआई/डिपलोमा के साथ मान्यकृत किया गया है।

औपचारिक शिक्षा	संख्या हजारों में				
	एसटीटी	एसपी	आरपीएल	कुल	प्रतिशतता अंश
माध्यमिक (9वीं-10वीं)	1724.52	65.88	1194.71	2985.11	27.03
उच्च माध्यमिक (11वीं-12वीं)*	82.11	1.35	72.9	156.36	1.42
उच्च माध्यमिक (11वीं-12वीं)	2712.2	52.25	918.88	3683.33	33.36
स्नातक*	3.79	0.16	4.77	8.72	0.08
स्नातक	372.17	7.71	218.74	598.62	5.42
स्नातकोत्तर तथा उससे अधिक*	0.13	0.01	0.34	0.48	0.00
स्नातकोत्तर तथा उससे अधिक	30.54	1.04	38.87	70.45	0.64
कुल	**5446.99**	**166.72**	**5428.73**	**11042.44**	**100.00**

* तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता वाले

इस डाटा का संबंधित नौकरी-भूमिकाओं के सापेक्ष अभ्यर्थियो का प्रमाणीकरण करते समय क्यूपी के अनुसार न्यूनतम प्रवेश स्तर शिक्षा मानदंड तथा पूर्व तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता की अनुरूपता का निर्धारण करने हेतु आगे विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण का परिणाम ***तालिका 3.5 (बी)*** तथा ***तालिका 3.5 (सी)*** में दिया गया है।

तालिका 3.5 (बी): नौकरी-भूमिकाओं हेतु न्यूनतम प्रवेश योग्यता मानदंड तथा प्रमाणित अभ्यर्थियों की योग्यता

प्रमाणित/प्रशिक्षित लाभार्थियों की योग्यता	नौकरी-भूमिकाओं के अनुसार प्रवेश स्तरीय योग्यता			
	माध्यमिक (9वीं-10वीं)	उच्च माध्यमिक (11वीं-12वीं)	स्नातक	स्नातकोत्तर तथा अधिक
सूचना दर्ज नहीं की गई	535414	138475	3907	11
अशिक्षित	12310	3151	65	
प्राथमिक (5वीं) तक बुनियादी साक्षरता	69317	7091	2783	1
मध्य (6वीं से 8वीं)	431981	46977	4419	4
माध्यमिक (9वीं-10वीं)	1441459	183147	19511	3
उच्च माध्यमिक (11वीं -12वीं)	2294286	363194	27613	3
स्नातक	306138	77359	54261	670
स्नातकोत्तर तथा उससे अधिक	34808	4794	5263	108

तालिका 3.5 (सी): नौकरी भूमिकाओं हेतु न्यूनतम तकनीकी योग्यता मानदंड तथा प्रमाणित अभ्यर्थियों की योग्यता

प्रमाणित प्रशिक्षित लाभार्थियों की योग्यता	नौकरी-भूमिकाओं के अनुसार प्रवेश स्तरीय योग्यता		
	प्रमाणपत्र	डिप्लोमा	आईटीआई प्रमाण-पत्र/ डिप्लोमा
सूचना दर्ज नहीं की गई	8058	599	5465
अशिक्षित	34	371	1
प्राथमिक (5वीं) तक बुनियादी साक्षरता	69	16	637
नियमित शिक्षा (6वीं कक्षा से स्नातकोत्तर और उससे उपर तक)	10898	21629	71786
व्यावसायिक[25]	15	30	7
प्रमाणपत्र	15	-	-
डिप्लोमा	349	1177	717
आईटीआई - प्रमाण पत्र/डिप्लोमा	211	160	1054
तकनीकी - स्नातक/स्नातकोत्तर[26]	49	59	127

उपरोक्त तालिकाएं दर्शाती हैं कि नौकरी-भूमिका आवश्यकताओं हेतु न्यूनतम प्रवेश मानदंड को पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों की एक बड़ी संख्या को पीएमकेवीवाई में प्रमाणित किया गया था। नौकरी-भूमिकाओं में प्रमाणित 60,68,523 अभ्यर्थियों, जिन्हें 9वीं कक्षा से अधिक शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है, जैसा **तालिका 3.5 (बी)** में दर्शाया गया है, के विश्लेषण से प्रकट होता है कि अपेक्षित सूचना को 6,77,807 (11.17 *प्रतिशत*) मामलों में दर्ज नही किया गया था। इसके अतिरिक्त, 8,09,046 (13.33 *प्रतिशत*) अभ्यर्थी अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा नहीं कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त **तालिका 3.5 (सी)** में दर्शाए गए के अनुसार, उन नौकरी-भूमिकाओं जिनमें तकनीकी योग्यता की आवश्यकता है, के लिए 1,23,533 प्रमाणित अभ्यर्थियो में से 1,05,493 (85.40 *प्रतिशत*) अभ्यर्थी अशिक्षित/बुनियादी साक्षरता/नियमित शिक्षा आदि प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त, 14,122 अभ्यर्थियों (11.43 *प्रतिशत*) के मामले में सूचना दर्ज नहीं की गई थी।

---

25 उदाहरणार्थ बी.एड बीबीए, एलएलबी, चिकित्सा स्नातक आदि

26 उदाहरणार्थ बीई, बीटेक, बीसीए, एमसीए आदि

3.2.3 अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव तथा न्यूनतम मानदंड के साथ उसकी अनुरुपता

ऐसी नौकरी-भूमिकाओं में बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे जिनमें कम से कम एक वर्ष का पूर्व कार्य अनुभव अपेक्षित था जैसे खाद्य एवं पेय सेवा-प्रबंधक (प्रमाणित 86,447 अभ्यर्थी), एलईडी लाईट मरम्मत तकनीशियन (प्रमाणित 16,990 अभ्यर्थी) तथा डेयरी किसान/उद्यमी (प्रमाणित 70,639 अभ्यर्थी)। तथापि, विश्लेषण के दौरान यह पाया गया था कि यद्यपि एसआईपी डाटा मॉडल में कार्य अनुभव को दर्ज करने का प्रावधान था फिर भी ऐसा नहीं किया जा रहा था। अतः इस मानदंड के अनुपालन को सुनिश्चित करने की पद्धति को लागू नहीं किया गया था।

न्यूनतम शिक्षा तथा कार्य अनुभव आवश्यकताओं से संबंधित मामलों के उत्तर में मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) (टीपी के लिए संदर्भित) को अभ्यर्थियों के अध्ययन/अनुभव के मौजूदा स्तर का निर्धारण करने हेतु उनकी पूर्व-जांच करना अपेक्षित था। तथापि, आरपीएल अभ्यर्थियों को शैक्षिक डाटा उपलब्ध नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की होगी या उनके पास आवश्यक शिक्षा नहीं है। आगे यह भी सूचित किया गया कि प्रारंभ में एसडीएमएस में दिए गए मानदंडों के आधार पर अभ्यर्थियों को हटाने का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, नौकरी-भूमिकाओं के अनुसार-न्यूनतम आयु तथा शिक्षा की जांच हेतु प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं (पीएमकेवीवाई 4.0)।

*अद्यतित पीएमकेवीवाई डाटा की जांच करते समय (अक्टूबर 2024) लेखापरीक्षा ने पाया कि अभ्यर्थियों के पिछले कार्य अनुभव को दर्ज करने के प्रावधान को अभी भी पीएमकेवीवाई 4.0 में स्थापित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, औपचारिक/तकनीकी शिक्षा के संबंध में योग्यता पैक आवश्यकता के अनुपालन में भी कमी थी जैसा **अनुलग्नक 3.1** में ब्यौरा दिया गया है। यह पाया गया था कि नौकरी-भूमिकाओं में प्रमाणित 40,897 अभ्यर्थियों जिन्हें 9वीं कक्षा तथा उससे अधिक औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है, के पास अपेक्षित न्यूनतम प्रवेश स्तरीय योग्यता नहीं थी। इसी प्रकार, नौकरी-भूमिकाओं में प्रमाणित 4,361 अभ्यर्थियों, जिन्हें पूर्व तकनीकी शिक्षा की अवश्यकता है, के पास अपेक्षित योग्यताएं नहीं थी।*

मंत्रालय के उत्तर तथा अनुवर्ती लेखापरीक्षा जाँच/विश्लेषण ने दर्शाया कि पीएमकेवीवाई प्रमाणीकरणों का निर्धारित न्यूनतम मानदंड के साथ संरेखण को सुनिश्चित करने की प्रणाली को अभी भी पीएमकेवीवाई 4.0 में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाना बाकी है। यद्यपि मंत्रालय ने न्यूनतम प्रवेश स्तरीय मानदंड के अनुपालन की आवश्यकता को स्वीकार किया फिर भी इसने ऐसे अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व पीआईए को सौंप दिया तथा इसके द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले नियोजित नियंत्रण तंत्र से संबंधित आश्वासन (मई 2023) को अभी भी पूरा नहीं किया गया था (अक्टूबर 2024)।

3.2.4 लक्षित लाभार्थियों को शामिल करने की प्रणाली

पीएमकेवीवाई के एसटीटी संघटक का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं या स्कूल/कॉलेज छोड़ने वालों को लक्षित करना है। तथापि, इसकी पंजीकरण प्रक्रिया में आवेदकों की रोजगार स्थिति या उनके स्कूल/कॉलेज छोड़ने के इतिहास को शामिल नहीं किया गया था।

इस संबंध में, मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2023) कि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण शुरू होने से पहले प्राप्त की गई उच्चतम शैक्षिक योग्यता को एसआईपी पर पंजीकरण के दौरान दर्ज किया जाता है। मंत्रालय ने आगे बताया कि योजना में अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा परामर्श करते समय टीपी अभ्यर्थियों की रोजगार तथा शिक्षा स्थिति की जांच करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसआईपी डाटा में लाभार्थियों की रोजगार स्थिति या स्कूल/कॉलेज छोड़ने के इतिहास पर सूचना की कमी थी जिससे लाभार्थियों को लक्षित करने के मानदंड के अनुपालन की जांच करना कठिन हो गया।

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडाइस[27]): कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों के एक उप-समूह (मार्च 2015 में नीति आयोग द्वारा गठित) ने अपनी रिपोर्ट (सितंबर 2015) में कौशल विकास से संबंधित विभिन्न मामलों

---

27 **यूडाइस,** एक जिला आधारित सूचना एकत्रीकरण तंत्र है जो 2012-13 से कार्य कर रहा है और जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों की स्कूल स्तरीय सूचना एकत्रित करना है जिसमें *अन्य बातों के साथ साथ* विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की प्रोन्नति शामिल है जिससे राज्यों में स्कूल छोड़ने वालो का पता चलता है। प्रारम्भ में, इसमें कागज के प्रारुप में मैन्युअल डाटा भरना तथा बाद में कम्प्यूटर में फीडिंग करना शामिल था जिसे 2018-19 से यूडाइस+ (अर्थात् यूडाइस का अद्यतित अगला संस्करण) के रुप में ऑनलाईन डाटा एकत्रण में परिवर्तित कर दिया गया था।

अर्थात् समन्वय, निगरानी, कार्यान्वयन, वित्तपोषण आदि को शामिल किया। रिपोर्ट में औपचारिक स्कूल छोडने वालों को कौशल प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करते हुए स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ड्रापआउट की दर का उल्लेख करने हेतु यूडाइस के आकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। पीएमकेवीवाई 1.0 प्रस्ताव में मंत्रालय ने राज्य/जिला-वार लक्ष्यों का निर्णय लेते समय ड्रापआउट छात्रों के लक्षित समूह पर विचार करने की योजना बनाई थी। यद्यपि मंत्रालय ने प्रारंभ में सूचित किया (सितंबर 2022) कि इसके पास यूडाइस के साथ डाटा साझा करने के संबंध में कोई तंत्र मौजूद नहीं है तथापि इसने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया के समर्थन हेतु यूडाइस+ से डाटा प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है (मई 2023)। मंत्रालय ने आगे बताया (जून 2025) कि यूडाइस डाटा का कौशल परिस्थितिकी तंत्र में एकीकरण प्रक्रियाधीन था तथा सीमित राज्यों से संस्थानों की मैपिंग को एसआईडीएच पर पूर्ण कर लिया गया है।

अनुशंसा 5: *मंत्रालय को पीएमकेवीवाई पंजीकरण के साथ यूडाइस डाटा के एकीकरण के तंत्र में तेजी लानी चाहिए तथा ड्रापआउट छात्रों को अच्छे प्रकार से लक्षित करने हेतु योजना दिशानिर्देशों/योग्यता पैक के अनुसार न्यूनतम प्रवेश मानदंड के कड़े अनुपालन में लक्षित लाभार्थियों को शामिल करने को सुनिश्चित करना चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत अभ्यर्थियों का पंजीकरण आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से किया जाता है जहाँ अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता तथा फोटो आधार से स्वतः प्राप्त हो जाती है तथा प्रशिक्षण एसआईडीएच पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जाता है जो निर्धारित न्यूनतम प्रवेश मानदण्ड को लागू करता है।

3.3 प्रशिक्षण प्रदाताओं को लक्ष्य प्रदान करना

प्रशिक्षण प्रदाता (टीपी) पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन, कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) की देखरेख, योजना संवर्धन, परामर्श, पंजीकरण, प्रशिक्षण, आकलन, नौकरी प्रदान करने तथा अभ्यर्थियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीएमकेवीवाई दिशानिर्देश टीपी, जो टीसी के माध्यम से लक्ष्य आवंटन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उतरदायी हैं, के लिए एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। अक्टूबर 2024 तक का एसआईपी डाटा यह दर्शाता है कि तीन

पीएमकेवीवाई चरणों में 6,099 अलग-अलग टीपी ने भाग लिया है। तथापि, डाटा विश्लेषण से पता चलता है कि यह योजना बहुत ही कम संख्या में टीपी पर निर्भर थी, जैसा कि ***चार्ट 3.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: टीपी को लक्ष्य आवंटन का हिस्सा

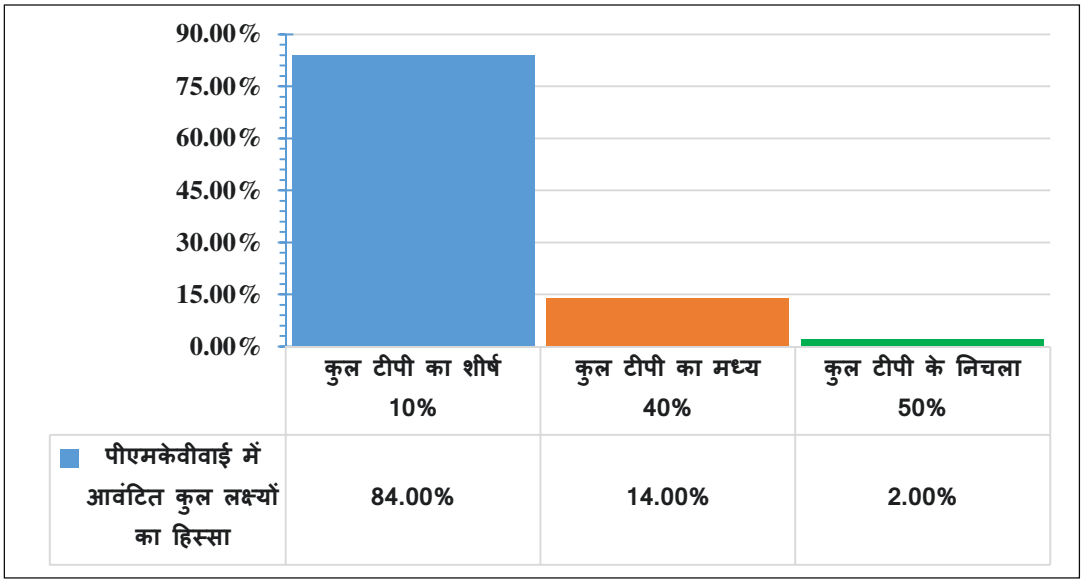

उपरोक्त ***चार्ट 3.1*** दर्शाता है कि कुल पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण लक्ष्यों के लगभग 84 *प्रतिशत* का कुल टीपी के 10 *प्रतिशत* को आवंटन किया गया था, जबकि केवल लगभग दो *प्रतिशत* लक्ष्य 50 *प्रतिशत* टीपी[28] को आवंटित किए गए थे।

[28] **तीन पीएमकेवीवाई चरणों के दौरान लक्ष्यों का आवंटन**

कुल 6099 अलग-अलग टीपी		बैच की संख्या	कुल बैच का हिस्सा	प्रमाणीकरणों की संख्या	कुल प्रमाणीकरणों का हिस्सा
चरण 1.0 (1217 टीपी)	शीर्ष 10% (121)	48272	65.73%	1025400	70.64%
	मध्य 40% (487)	21653	29.48%	389855	26.86%
	निचला 50% (609)	3514	4.78%	36381	2.51%
चरण 2.0 (3703 टीपी)	शीर्ष 10% (370)	264997	83.04%	7840314	85.61%
	मध्य 40% (1481)	46910	14.70%	1153730	12.60%
	निचला 50% (1852)	7197	2.26%	163634	1.79%
चरण 3.0 (1896 टीपी)	शीर्ष 10% (189)	16448	82.02%	369485	85.31%
	मध्य 40% (759)	2467	12.30%	51315	11.85%
	निचला 50% (948)	1139	5.67%	12323	2.85%

तीन चरणों/संघटकों में टीपी की पुनरावृत्ति के कारण टीपी की कुल संख्या विशिष्ट टीपी से भिन्न है

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 'मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र कौशल परिषद', 'घरेलू श्रमिक क्षेत्र कौशल परिषद', तथा 'निर्माण क्षेत्र कौशल परिषद' ने क्षेत्र विनियामकों के साथ-साथ प्रशिक्षण प्रदाता दोनों के रूप में भी कार्य किया तथा टीपी के शीर्ष 10 *प्रतिशत* समूह में शामिल हैं जैसा **चार्ट 3.1** में दर्शाया गया है। टीपी के रूप में कार्य करते हुए, मीडिया एवं निर्माण क्षेत्रों (क्रमशः 5,18,082 तथा 1,53,358) द्वारा प्रदत्त 100 *प्रतिशत* प्रमाणीकरण और घरेलू श्रमिक क्षेत्र (69,971) द्वारा 99.57 *प्रतिशत* प्रमाणीकरण आरपीएल-बीआईसीई संघटक के अंतर्गत थे, जहां विभिन्न कार्यान्वयन संबंधी अनियमितताएं पाई गईं, जैसा कि इस प्रतिवेदन के **पैरा 3.8** में विस्तार से चर्चा की गई है।

एसटीटी/एसपी संघटकों (5866 टीपी सहित) जहां प्लेसमेंट पीएमकेवीवाई प्रक्रिया का अंतिम परिणाम था, के लिए इसी प्रकार के विश्लेषण ने प्रकट किया कि शीर्ष 10 *प्रतिशत* (586 टीपी) में 114 टीपी शामिल हैं जहां अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट की प्रतिशतता 10 *प्रतिशत* से कम थी (अर्थात इन टीपी द्वारा प्रमाणित 5.88 लाख अभ्यर्थियों में से केवल 0.20 लाख को ही प्लेसमेंट मिला)।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2023) में स्वीकार किया कि यद्यपि टीपी को लक्ष्य आवंटित करने में एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें प्रस्तावों का आकलन किया गया था तथा अंतिम अनुमोदन हेतु कार्यकारी/संचालन समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था फिर भी अधिकांश प्रशिक्षण लक्ष्य कुछ सहभागियों पर ही केंद्रित थे, जैसा लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किया गया। मंत्रालय ने आगे बताया (मई 2023 तथा जून 2025) कि पिछले चरणों में, टीपी अक्सर अल्पकालिक या किराए के परिसर से कार्य करते थे। हालांकि, वर्तमान नीति स्थायी अवसंरचना विशेषतः शैक्षणिक संस्थानों तथा स्थापित सुविधाओं में अधिक टीपी की स्थापना को प्राथमिकता देती है। तथापि, उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विषम आवंटन तथा शीर्ष टीपी के प्रदर्शन के मुद्दों का निपटान नहीं किया गया था।

3.3.1 प्रशिक्षण केंद्र

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, संबंधित एसएससी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न नौकरी-भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र (टीसी) पंजीकृत किए जाते हैं। मंत्रालय/एनएसडीसी द्वारा प्रदत्त डाटा

(सितंबर 2022) के अनुसार, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विभिन्न कौशल प्रशिक्षण परियोजनाओं में लगभग 14,800 टीसी शामिल थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान, चयनित राज्यों में सहभागियों के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की जांच हेतु 90 चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों (टीसी) का निरीक्षण तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1045 अभ्यर्थियों का सर्वेक्षण किया गया था। ये निरीक्षण केवल उन्हीं केन्द्रों पर किए जाने की योजना की गई थी जहां सर्वेक्षण के समय पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण चल रहे थे। इन निरीक्षणों तथा सर्वेक्षण के परिणाम क्रमशः ***अनुलग्नक 3.2 एवं अनुलग्नक 3.3*** में दिए गए हैं।

सर्वेक्षण परिणामों के उत्तर में मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम की अवधि तथा समग्र गुणवत्ता आदि में आगे और सुधार सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के परामर्श से प्रयास किए जा रहे हैं।

तथापि, टीसी के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि डीएससी प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रुप से किए गए सर्वेक्षण के समय **बिहार** में 10 टीसी में से तीन[29] तथा **ओडिशा** में 17 में से एक प्रशिक्षण केंद्र बंद थे।

बिहार के शिवहर जिले में निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र बंद पाये गये।

बिहार में, तीन बंद टीसी में से, बांका जिले में स्थित एक टीसी के एसआईपी डाटा ने दर्शाया कि इसके दो बैचों (सीएसएसएम संघटक के अंतर्गत) का प्रशिक्षण भौतिक निरीक्षण की तिथि पर निर्धारित किया गया था। तथापि, साथ आए राज्य अधिकारी ने सूचित किया कि ये प्रशिक्षण छह महीने पहले ही पूर्ण हो चुके थे तथा उनका मूल्यांकन लंबित था। राज्य अभिकरणों द्वारा एसआईपी डाटा और इन

[29] बांका, मधेपुरा, तथा शिवहर जिला

प्रशिक्षणों की वास्तविक अनुसूची में अंतर के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, मधेपुर जिले में एक अन्य बंद टीसी, जहां प्रशिक्षण के लिए चार बैच निर्धारित किए गए थे, के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा (13.09.2022) यह दर्शाए जाने के पश्चात भी कि टीसी बंद पाया गया था, बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम) ने इन प्रशिक्षणों के लिए पहली किश्त के प्रति ₹ 5.72 लाख का भुगतान किया।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के दौरान राज्यों में प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण से उजागर लेखापरीक्षा निष्कर्ष की सराहना करते हुए बताया (मई 2023) कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण केंद्र को बंद करने का कारण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निरंतरता के बारे में चिंता पैदा करता है।

3.4 पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया

एसटीटी और विशेष परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण पीएमकेवीवाई के तीन चरणों में प्रमाणित कुल अभ्यर्थियों का लगभग 50.84 *प्रतिशत* है। यह प्रक्रिया मान्यता प्राप्त/संबद्ध टीसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है तथा इसमें नामांकित अभ्यर्थियों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रशिक्षण, आकलन, प्रमाणीकरण तथा प्लेसमेंट शामिल है। पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) जिसमें पांच विभिन्न पद्धतियां शामिल हैं (जैसा **पैरा 1.3.1** एवं **अनुलग्नक-2.1** में ब्यौरा दिया गया है), उन व्यक्तियों के आकलन, मान्यता तथा प्रमाणीकरण हेतु पीएमकेवीवाई के अंतर्गत एक कौशल मान्यता तंत्र है जिन्होंने अनौपचारिक रूप से कौशल प्राप्त किया है। एसटीटी के विपरीत, आरपीएल के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्रक्रिया में कोई कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के परिणाम शामिल नहीं है। अल्पकालिक प्रशिक्षण, विशेष परियोजना तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता के माध्यम से पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.4.1 रक्षा कार्मिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण

सेवा कार्मिकों और पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों सहित, अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने और दूसरी आजीविका के माध्यम से उनके पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए एमएसडीई तथा रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के बीच एक समझौता (एमओयू) किया

गया (जुलाई 2015)। जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया (फरवरी 2023), पीएमकेवीवाई कार्यकारी समिति ने समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार सैन्य कर्मियों, पूर्व सैनिकों तथा उनके बच्चों के लिए पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी।

पीएमकेवीवाई डाटा/रिकार्ड के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि योजना के तीन चरणों के दौरान 4153 बैचों में 264 टीसी के माध्यम से 1.17 लाख रक्षा कार्मिकों/पूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 0.98 लाख को प्रमाणित किया गया था।

क) लेखापरीक्षा में पाया गया कि समझौता ज्ञापन में 'आयुध निर्माणी बोर्ड', 'रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों' और रक्षा बलों द्वारा संचालित स्कूलों के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि प्रशिक्षण केवल मान्यता प्राप्त टीसी में ही आयोजित किया जाना चाहिए। तथापि, इस प्रशिक्षण प्रक्रिया में लगे 264 केंद्रों (जिनमें 4153 बैच शामिल हैं) में से केवल दो केंद्र (जिसमें चार बैचों में 52 प्रमाणित अभ्यर्थी शामिल हैं) सभी अपेक्षित मान्यता/संबद्धता मानदंड को पूरा कर रहे थे, जबकि 38 केंद्र (जिनमें 74 बैचों में 1067 प्रमाणित अभ्यर्थी शामिल हैं) सशर्त मान्यता[30] प्राप्त थे। इसलिए, अधिकांश अभ्यर्थियों को गैर-मान्यता प्राप्त टीसी के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया था जो यह दर्शाता है कि ये प्रशिक्षण पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण की शर्तों के अनुरूप नहीं थे।

ख) पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी टीपी के लिए आवंटित लक्ष्यों के लिए किसी भी प्रकार के उप-अनुबंध, उप-पट्टा, फ्रेंचाइजी व्यवस्था की अनुमति नहीं है। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 81 एसटीटी बैचों के

---

30 प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन और संबद्धता के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, "किसी केंद्र को सशर्त मान्यता प्राप्त माना जा सकता है, जब वह (क) एसएससी प्रमाणित प्रशिक्षकों (ख) आधार आधारित निगरानी प्रणाली आदि को छोड़कर सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करता है। पूर्ण मान्यता के लिए पात्र होने के लिए इन मापदंडों को केंद्र मान्यता की तिथि से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सशर्त मान्यता प्राप्त केंद्रों को संबद्धता शुल्क के भुगतान पर सशर्त संबद्धता प्रदान की जाएगी। "इन शर्तों की कमी से प्रशिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

डाटा/रिकार्ड की जांच में, यह पाया गया कि 77 बैचों में, संबंधित टीपी (भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक निदेशालय/डीआईएवी) ने तीसरे पक्ष अर्थात् 'आईएल एंड एफएस' तथा 'निदान टेक प्राइवेट लिमिटेड' के माध्यम से 1843 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया था, जो पीएमकेवीवाई योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी एवं मई 2023) कि डीआईएवी द्वारा टीपी/सुविधा-प्रदाता का चयन एनएसडीसी/एसएससी की सहायता से विधिवत गठित समिति के माध्यम से किया गया था, जबकि अवसंरचना तथा जुटाव सहायता डीआईएवी द्वारा की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कार्रवाई निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में थी।

ग) 0.98 लाख अभ्यर्थियों में से केवल 9,987 प्रमाणित अभ्यर्थियों (अर्थात 10.11 *प्रतिशत*) को नया प्रशिक्षण (एसटीटी) प्रदान किया गया, जिनमें से 726 (अर्थात 7.27 *प्रतिशत*) को प्लेसमेंट[31] मिला। इस प्रकार, यह समझौता ज्ञापन रक्षा कार्मिकों के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्त करने या उनके रोजगार को सुविधाजनक बनाने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

3.4.2 कौशल केन्द्र पहल

15 जनवरी 2021 को प्रमोचित पीएमकेवीवाई 3.0 को प्रारंभ में ₹948.90 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए योजनाबद्ध किया गया था तथा इसे, मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमकेवीवाई 3.0 के भाग के रूप में, जनवरी 2022 में, एमएसडीई द्वारा शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु ₹ 700 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 'कौशल केन्द्र पहल' (एसएचआई) शुरू की गई थी। दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएचआई के प्रारंभिक चरण में पढ़ाई छोड़ चुके तथा

[31] नौकरी-भूमिकाओं के अंतर्गत सहायक सौंदर्य चिकित्सक (413), स्व-नियोजित दर्जी (202) तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर (111) शामिल हैं।

शिक्षा से वंचित अभ्यर्थियों[32] को लक्षित किया गया। पीएमकेवीवाई डाटा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि पीएमकेवीवाई 3.0 के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2024 तक कुल 1.18 लाख छात्रों को एसएचआई के अधीन प्रमाणित किया गया था।

3.4.2.1 एसएचआई प्रशिक्षण केंद्रों के ऑनलाइन सर्वेक्षण के परिणाम

लेखापरीक्षा के दौरान अवसंरचना, प्रशिक्षक, सहभागी संघटन आदि की उपलब्धता का आकलन करने के लिए एसएचआई से जुड़े प्रशिक्षण अभिकरणों (जैसे, सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, प्रधान मंत्री कौशल केंद्र, आदि) का ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया था। 1267 सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को प्रश्नावली भेजी गई, जिनमें से 761 संस्थानों ने उत्तर दिया (अर्थात 60 *प्रतिशत*)। 21.08 *प्रतिशत* संस्थानों ने प्रशिक्षण कराने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं न होने की सूचना दी। 24.05 *प्रतिशत* संस्थानों ने प्रशिक्षक प्रोत्साहन राशि कम (एसएचआई दिशानिर्देश 120 अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षक परिश्रमिक के रुप में ₹ 2.40 लाख प्रति वर्ष का प्रावधान करता है) होने के कारण प्रशिक्षक संघटन में कठनाई का हवाला दिया। 27.49 *प्रतिशत* उत्तरदाताओं ने निर्धारित लक्ष्यों के लिए सहभागियों के संघटन में कठिनाइयों, स्कूल/संस्था के वार्षिक कैलेंडर की अन्य गतिविधियों को ध्यान में न रखने तथा लक्ष्य निर्धारित करते समय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में न रखने का उल्लेख किया।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष बतातें हैं कि एसएचआई के अंतर्गत, ऐसे कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की तैयारी का आकलन किए बिना ही लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए थे। मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि योजना का कार्यान्वयन कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ।

3.4.2.2 एसएचआई प्रशिक्षण प्रदान करने वाले टीसी का भौतिक निरीक्षण

ओडिशा में टीसी के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि एसएचआई प्रशिक्षणों में शामिल 108 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जो योजना के दिशानिर्देशों से

---

[32] **स्कूल छोड़ने वाले** (कक्षा **6**वीं से **12**वीं तक) - क्रेडिट असाइनमेंट के माध्यम से व्यवसाय कौशल प्रमाणिकरण और शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त करना तथा जहां भी संभव हो, स्कूल की मुख्यधारा में वापस लाना। **शिक्षा से वंचित** - कौशल/पुनः कौशल/कौशल वृद्धिपाठ्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक कौशल प्रमाणपत्र और शैक्षणिक क्रेडिट प्राप्त करना।

विचलन था, अर्थात केवल पढ़ाई छोड़ चुके या शिक्षा से वंचित अभ्यर्थी ही इस प्रशिक्षण के पात्र थे। *ओडिशा कौशल विकास अभिकरण (ओएसडीए) ने बताया (जनवरी 2023) कि वह अपना मत देने की स्थिति में नहीं था क्योंकि एसएचआई उसके माध्यम से कार्यान्वित नहीं किया गया था।*

3.4.3 पीएमकेवीवाई के अंतर्गत *गरीब कल्याण रोजगार अभियान*

कोविड-19 महामारी के दौरान, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने 11 अन्य मंत्रालयों के साथ, वापस लौटे प्रवासियों को तत्काल रोजगार एवं आजीविका प्रदान करने तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य से *गरीब कल्याण रोजगार अभियान* (जीकेआरए) शुरू किया। यद्यपि एमएसडीई इस पहल का भाग नहीं था, फिर भी इसने पीएमकेवीवाई के दायरे के अंतर्गत इसी नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया (जून 2020) तथा 65,423 एसटीटी प्रशिक्षण तथा 30,033 आरपीएल प्रमाणपत्र प्रदान किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संसदीय समिति[33] ने अपनी रिपोर्ट (मार्च 2022) में उल्लेखित किया था कि एमएसडीई-जीकेआरए पहल के अंतर्गत प्लेसमेंट का स्तर निम्न (अर्थात 30.66 *प्रतिशत*) था। समिति को दिए गए उत्तर में एमएसडीई ने इस तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया कि *'...प्रशिक्षु के एक बड़े समूह ने कौशल प्रशिक्षण प्रक्रिया से बाहर निकलने का विकल्प चुना और कोविड-19 प्रतिबंधों में राहत के पश्चात अपने पिछले रोजगार स्थान पर वापस लौटने का विकल्प चुना...'*। इस प्रकार, यह पहल पीएमकेवीवाई उद्देश्यों से जुड़े अभिकल्पित सार्थक परिणाम प्रदान करने में विफल रही। इसने न तो तत्काल रोजगार एवं आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए और न ही कोई सार्वजनिक अवसंरचना या आजीविका परिसंपत्तियां सृजित कीं, जैसा जीकेआरए के उद्देश्यों में अभिकल्पना की गई थी।

3.5 राज्यों में आकलन गतिविधियाँ

पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएससी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैच का अनुमोदन होते ही बैच के आकलन की तिथि के साथ आकलन

---

[33] एमएसडीई के लिए 'अनुदान की मांग' (2022-23) पर विचार करते समय श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर स्थायी समिति।

अभिकरण को भी अंतिम रूप दे दिया जाए। प्रशिक्षण का आकलन परिणाम आकलन पूरा होने के सात दिनों के भीतर अपलोड किया जाना था। इसके अतिरिक्त, आकलन में शामिल होने के पात्र बनने हेतु छात्रों की न्यूनतम 70 *प्रतिशत* उपस्थिति अनिवार्य थी।

आठ चयनित राज्यों में, सीएससीएम और सीएसएसएम दोनों संघटको के अंतर्गत, 1.61 लाख बैचों में 48.53 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। एसआईपी डाटा की जांच से प्रकट हुआ कि इन राज्यों में प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मूल्यांकन करने में 1270 दिनों तक का विलम्ब था। इसी प्रकार, 82,158 बैचों (50.95 *प्रतिशत*), जिसमें 23.87 लाख अभ्यर्थी (49.20 *प्रतिशत*) शामिल थे, में आकलन की तिथि से अंतिम प्रमाणीकरण में 1,257 दिनों (सात दिनों से अधिक) तक का विलम्ब पाया गया था।

- तीन राज्यों अर्थात् **बिहार, ओडिशा और राजस्थान** में यह पाया गया कि निर्धारित न्यूनतम 70 *प्रतिशत* उपस्थिति के बावजूद, कम उपस्थिति वाले अभ्यर्थियों का भी मूल्यांकन किया गया। *इस संबंध में, बिहार के संबंधित अभिकरण ने बताया (सितंबर 2024) कि एसएससी को प्रमाणीकरण से पहले न्यूनतम उपस्थिति मानदंड को सत्यापित करना अपेक्षित था। राजस्थान के अभिकरण ने बताया (सितंबर 2024) कि इसके बावजूद, केवल पात्र अभ्यर्थियों को ही भुगतान किया गया था।*
- **असम, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र** और **उत्तर प्रदेश** के संबंध में संबंधित अभिकरणों ने बताया (अगस्त 2024) कि उपस्थिति मानदंड का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को पढ़ाई छोड़ने वालो के रुप में माना गया और उनका आकलन नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने (मई 2023) ऐसे कारणों को सूचीबद्ध किया जो कम उपस्थिति के कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोविड-19 के कारण मैन्युअल उपस्थिति, प्रशिक्षण के बाद पढ़ाई छोड़ देना, अयोग्य अभ्यर्थियों के आकलन के मूल मुद्दे का निपटान किए बिना एसआईपी पर सूचना का अद्यतन करने में विलम्ब।

***अनुशंसा 6**: मंत्रालय को निर्धारित कमियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन गतिविधियों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ करना चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत मूल्यांकन में पहचानी गई कमियों का निवारण मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण हेतु एक 'मानक संचालन प्रक्रिया' जारी करके (फरवरी 2025) कर दिया गया है।

3.6 पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रमाणित अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट

पीएमकेवीवाई दिशानिर्देश में प्लेसमेंट को ऐसी प्रक्रिया के रुप में परिभाषित करते है जिसमें अभ्यर्थी को नौकरी मिलती है, या वैकल्पिक रूप से, किसी कंपनी को कर्मचारी मिलता है। पीएमकेवीवाई के आरपीएल संघटक, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों के अनौपचारिक रूप से अर्जित कौशल को प्रमाणित करना है, के विपरीत पीएमकेवीवाई का एसटीटी/एसपी संघटक प्रतिभागियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्व-रोजगार के मामले में, टीसी को अभ्यर्थियों से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करना अपेक्षित था, तथापि, दिशा-निर्देशों में स्व-रोजगार श्रेणी के अंतर्गत माने जाने वाली नौकरी-भूमिकाओं को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

आकड़ों के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि पीएमकेवीवाई के एसटीटी/एसपी संघटको के अंतर्गत प्रमाणित कुल अभ्यर्थियों *अर्थात्* 56.14 लाख (724 नौकरी-भूमिकाओं में) में से, 23.18 लाख अभ्यर्थियों अर्थात् 41 *प्रतिशत* (498 नौकरी-भूमिकाओं में) को 35 क्षेत्रों में नियुक्त किया गया, जैसा कि ***अनुलग्नक 3.4*** में विस्तृत रुप से दर्शाया गया है।

यह देखा जा सकता है कि इनमें से अधिकांश प्रमाणीकरण तथा प्लेसमेंट शीर्ष पांच क्षेत्रों में थे, जिनमें 31.70 लाख प्रमाणीकरण (*अर्थात* 56.47 *प्रतिशत*) के साथ 13.46 लाख प्लेसमेंट[34] (अर्थात 58.08 *प्रतिशत*) शामिल थे। 'परिधान' क्षेत्र में सबसे अधिक प्रमाणीकरण (4.53 लाख *अर्थात* 8.07 *प्रतिशत*) और प्लेसमेंट (2.33 लाख *अर्थात* 10.05 *प्रतिशत*) 'स्व-नियोजित दर्जी' की नौकरी-भूमिकाओं के अंतर्गत थे। इन शीर्ष क्षेत्रों की तुलना में, 19 क्षेत्रों[35] में कुल प्लेसमेंट केवल

---

[34] परिधान (4.11 लाख), इलेक्ट्रूनिक्स (3.91), रिटेल (2.06 लाख), लॉजिस्टिक (1.94 लाख) तथा सौन्दर्य एवं कल्याण (1.43 लाख)

[35] पूंजीगत माल, हरित नौकरी, प्लबिंग, पीडब्ल्यूडी, लोह एवं इस्पात, जेम एवं ज्वैलरी, रबड़, खाद्य प्रसंस्करण, जीवन विज्ञान, घरेलू श्रमिक, फर्निचर एण्ड फीटिंग्स, हस्तकला एवं कालीन, खनन, एयरोस्पेस एवं विमानन, खेल, अवसंरचना, हाइड्रोकार्बन, प्रशिक्षण महानिदेशालय, पेंट एवं कोटिंग तथा इस्ट्रमेंटेशन

1.74 लाख थी, तथा उनके क्षेत्र में प्लेसमेंट योगदान शून्य या एक *प्रतिशत* से भी कम था।

लेखापरीक्षा का मानना है कि क्यूपी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों की अवहेलना में प्रशिक्षण तथा योजना कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति/योजना का अभाव पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कम प्लेसमेंट के कारक हो सकते हैं। मंत्रालय ने एनएसडीसी के साथ विचार विमर्श करते हुए (जुलाई 2022) बिना किसी कौशल-अंतराल विश्लेषण तथा बाजार की मांग के आकलन के कौशल विकास के लिए नौकरी-भूमिकाओं के चयन को भी खराब प्लेसमेंट के मुख्य कारणों के रूप में पहचान की थी। इन मामलों पर इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्यायों में चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि एसटीटी/एसपी संघटक का उद्देश्य भावी युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना था। उसने आगे आश्वासन दिया कि निष्कर्षों के आधार पर, पीएमकेवीवाई के अगले चरण में सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

प्रमाणित एसटीटी/एसपी अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट का प्रतिशत पीएमकेवीवाई 2.0[36] की तुलना में पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान काफी कम रहा। दूसरी ओर, एमएसडीई ने पीएमकेवीवाई 4.0 में कौशल प्रक्रिया से इस अंतिम परिणाम को अलग कर दिया। एसटीटी/एसपी संघटको के अंतर्गत ऑन-जाब प्रशिक्षण को अभ्यर्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था।

---

36 **तीन पीएमकेवीवाई चरण के दौरान प्रमाणित और प्लेसमेंट दिए गए अभ्यार्थी**

पीएमकेवीवाई चरण	प्रमाणित अभ्यार्थी	प्लेसमेंट किए गए अभ्यार्थी	प्लेसमेंट की प्रतिशतता
1.0	13.32	2.23	16.74
2.0	40.37	20.62	51.08
3.0	2.45	0.33	13.47
कुल	**56.14**	**23.18**	**41.29**

3.6.1 राज्यों में प्लेसमेंट गतिविधियाँ

पीएमकेवीवाई के एसटीटी/एसपी संघटको के अंतर्गत 56.14 लाख प्रमाणित और 23.18 लाख नौकरी प्रदान किए गए अभ्यर्थियों में से 7.08 लाख प्रमाणित तथा 2.33 लाख नौकरी प्रदान किए गए अभ्यर्थी सीएसएसएम संघटक[37] के अंतर्गत थे। इस संबंध में, चयनित राज्यों में राज्य संघटक के अंतर्गत प्लेसमेंट का विवरण **तालिका 3.6** में दिया गया है।

तालिका 3.6: चयनित राज्यों में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्लेसमेंट

राज्य	प्रमाणित	प्लेसमेंट	प्लेसमेंट प्रतिशतता
असम	28232	13820	49.0
बिहार	4835	295	6.1
झारखण्ड	16611	3015	18.2
केरल	19635	5455	27.8
महाराष्ट्र	63574	8091	12.7
ओडिशा	7557	805	10.7
राजस्थान	24321	161	0.7
उत्तर प्रदेश	71236	12616	17.7

नोट: एसआईपी और राज्य कौशल विकास कार्यालयों के डाटा में अंतर पाए गए थे, जिसके संबंध में मंत्रालय ने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटिग्रेशन, डाटा भेजने में देरी और डाटा तक पहुंच में विलंब आदि जैसे विभिन्न मुद्दे प्रस्तुत किए।

चयनित राज्यों में प्रमाणित अभ्यर्थियों के कम प्लेसमेंट के कारण निम्नानुसार थे:

असम - चार क्षेत्र (प्लम्बिंग, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य देखभाल और चमड़ा) जहां पीएमकेवीवाई 2.0 के दौरान प्लेसमेंट 84 *प्रतिशत* थी, पर पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान कौशल प्रशिक्षण के लिए विचार नहीं किया गया था।

बिहार - पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों में निर्धारित प्लेसमेंट कार्यनीतियाँ अर्थात संभावित नियोक्ताओं की मैपिंग, उद्योग आवश्यकता, रोजगार मैट्रिक्स तैयार करना, उद्योग के साथ जुड़ने की नीति, स्वरोजगार आदि को नहीं अपनाया गया था।

ओडिशा - प्रमाणित अभ्यर्थियों के रोजगार के लिए कोई कार्य योजना/रणनीति तैयार नहीं की गई तथा रोजगार उपलब्ध कराने में उनकी क्षमता का आकलन किए बिना ही टीपी को पेनल में शामिल कर लिया गया।

---

[37] पीएमकेवीवाई 1.0 के दौरान कोई राज्य घटक (सीएसएसएम) नहीं था।

उत्तर प्रदेश - यद्यपि केन्द्र स्तर पर उपलब्ध कराए गए डाटा ने 12,616 अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट को दर्शाया फिर भी राज्य अभिकरण के पास कोई अभिलेख नहीं पाया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (मई 2023) कि कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक अनिश्चितता कम प्लेसमेंट दर का कारण थी।

मामला अध्ययन: केरल में प्लेसमेंट को मान्यता देने में कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रदर्शन

पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशनुसार प्रमाणित अभ्यर्थियों[38] के प्लेसमेंट परिणाम के आधार पर भुगतान की तीसरी किश्त (*अर्थात*, 20 *प्रतिशत*) प्रशिक्षण प्रदाता (टीपी) को जारी की जाती हैं। इस संबंध में, **केरल** में दो टीपी द्वारा अपने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्लेसमेंट दावों, *अर्थात* नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, प्रशिक्षुओं के बैंक विवरण *आदि* की तीन संबंधित कंपनियों में लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच की गई तथा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **कंपनी ए** ने सूचित किया कि टीपी द्वारा कथित रूप से दावा किए गए 14 प्रशिक्षुओं, में से कंपनी ने केवल पांच को ही रोजगार दिया था। शेष नियुक्ति पत्र और वेतन विवरण कंपनी द्वारा जारी नहीं किए गए थे तथा उनमें लगी मुहर कंपनी की नहीं थी।
- **कंपनी बी** ने सूचित किया कि उसके द्वारा प्लेसमेंट प्रदान किए गए यथासूचित 17 प्रशिक्षुओं में से किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया तथा संबंधित नियुक्ति पत्र, वेतन पर्चियां भी कंपनी द्वारा जारी नहीं की गईं थी।
- **कंपनी सी** ने सूचित किया कि उसके द्वारा प्लेसमेंट प्रदान किए यथासूचित 18 प्रशिक्षुओं में से किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया था तथा संबंधित नियुक्ति पत्र, वेतन पर्चियां भी उसके द्वारा जारी नहीं की गई थीं।

इस प्रकार, एसएसडीएम से अनुदान की शेष अंतिम किश्त प्राप्त करने के लिए, दोनों टीपी ने संदिग्ध प्लेसमेंट दस्तावेज प्रस्तुत किए जो संबंधित कंपनियों द्वारा जारी नहीं किए गए थे।

---

[38] पीएमकेवीवाई 2.0 के दौरान, प्रथम और द्वितीय चरण के दौरान भुगतान, अर्थात् क्रमशः 50 और 30 *प्रतिशत*, अभ्यर्थियों के नामांकन और प्रमाणीकरण के दौरान किया गया। पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान यह अनुपात बदलकर 40:30:30 कर दिया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्लेसमेंट का उत्तरदायित्व टीसी/टीपी द्वारा एसएससी की सहायता से नियोक्ताओं के साथ संपर्क, रोजगार मेलों के आयोजन, नियोजन के बाद ट्रैकिंग आदि के माध्यम से पूरी की जानी है।

लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाए जाने के बाद, राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई तथा अप्रैल 2023-फरवरी 2024 के बीच, संदिग्ध प्लेसमेंट दस्तावेज प्रस्तुत करने में शामिल टीपी को काली सूची में डालने के अतिरिक्त उनसे कुल ₹ 22.33 लाख की राशि वसूली गई थी।

3.7 आरपीएल प्रमाणन के लिए बढ़ी प्राथमिकता

जैसा **तालिका 3.1** में विवरण दिया गया है कि पीएमकेवीवाई (2016-20) के दूसरे चरण के लिए आरपीएल संघटक के अंतर्गत 28 *प्रतिशत* अधिक प्रमाणीकरण था, अर्थात 40 लाख के लक्ष्य के प्रति 61.42 लाख प्रशिक्षित किए गए तथा 51.21 लाख प्रमाणित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमकेवीवाई की संचालन समिति (एससी-पीएमकेवीवाई) ने सीएससीएम संघटक के पीएमकेवीवाई 2.0 लक्ष्यों को एसटीटी/एसपी के लिए 39.50 लाख से घटाकर (जून 2018) 29.95 लाख, तथा आरपीएल लक्ष्यों को 40 लाख से बढ़ाकर 67.92 लाख कर दिया था।

लेखापरीक्षा ने इस बैठक के कार्यवृत्त से यह भी पाया कि वित्तीय बाधाएं इस परिवर्तन की प्राथमिक कारण थी क्योंकि नियोजित एसटीटी/एसपी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ₹ 6,600 करोड़ की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी। पीएमकेवीवाई की कार्यकारी समिति (ईसी-पीएमकेवीवाई) द्वारा प्रस्तुत विचार-विमर्श, जिसने इस संशोधन के लिए एससी-पीएमकेवीवाई निर्णय को प्रभावित किया, ने एसटीटी संघटक के लिए औसत प्रशिक्षण लागत के गलत प्रारंभिक अनुमान को दर्शाया। आरपीएल संघटक, जिसमें प्रति प्रतिभागी कम लागत शामिल है, को उपलब्ध निधियों के भीतर अधिक प्रमाणीकरण प्राप्त करने की प्राथमिकता दी गई।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि वित्तीय बाधाओं के अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई में परिवर्तन आरपीएल संघटक के माध्यम से बड़े अप्रमाणित कार्यबल को प्रमाणीकरण प्रदान करने पर केंद्रित है, अर्थात नए प्रकार के आरपीएल जैसे ' श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता' और 'मांग के माध्यम से' की शुरूआत के परिणामस्वरूप आरपीएल लक्ष्यों की अधिक प्राप्ति हुई। इसने आगे बताया कि योजना में बाजार की मांग, आवश्यकता आदि के आधार पर लक्ष्यों के गतिशील निर्धारण का प्रावधान था तथा एसटीटी/एसपी लक्ष्य को भी बाद में 46.90 लाख तक संशोधित कर दिया गया था।

तथापि, मंत्रालय ने अपने उत्तर के समर्थन में लक्ष्यों के पुनर्आवंटन के लिए एनएसडीसी द्वारा प्रस्तावित संशोधित लक्ष्य और निधि आवंटन पद्धति ही प्रस्तुत की (जुलाई 2023)। एससी-पीएमकेवीवाई बैठकों के कार्यवृत्त/कार्यसूची दर्शाती है कि समिति ने ईसी-पीएमकेवीवाई द्वारा दिए गए वित्तीय कारणों की वजह से अनुमोदित बजट के भीतर संशोधित लक्ष्य संख्या को अनुमोदित किया।

3.8 आरपीएल-बीआईसीई के अंतर्गत प्रमाणीकरण

आरपीएल के इस उप-संघटक, जिसे पूर्ण रुप से एनएसडीसी के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था को दिसंबर 2017 में पीएमकेवीवाई के दूसरे चरण के दौरान जोड़ा गया था। आरपीएल-बीआईसीई का उद्देश्य एसएससी के माध्यम से शीर्ष बड़े नियोक्ताओं का चयन करना तथा उनके संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके अप्रमाणित कार्यबल को प्रमाणित करना था।

आरपीएल-बीआईसीई कार्यान्वयन की मौलिक अवधारणा तथा कार्यक्षेत्र दो महत्वपूर्ण शर्तों - बड़े नियोक्ता (श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ के रूप में वर्गीकरण के योग्य) तथा नियोक्ता-कर्मचारी संबंध (बीआईसीई और प्रतिभागियों के बीच) को पूर्व निर्धारित करता है। आरपीएल-बीआईसीई में कोई औपचारिक अभिविन्यास/प्रशिक्षण शामिल नहीं है तथा इसमें केवल पहले से कुशल कर्मचारियों के आकलन एवं प्रमाणीकरण की सरलीकृत प्रक्रिया शामिल है। आरपीएल-बीआईसीई की कार्यान्वयन प्रक्रिया का ***अनुलग्नक 3.5*** में विवरण दिया गया है:

बीआईसीई कार्यान्वयन प्रक्रिया के अनुसार, एसएससी उद्योग तक पहुंच, आकलनकर्ता एवं लाभार्थियों को उन्मुख करने, लक्ष्यों के आवंटन, कार्यान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव तैयार करने की मुख्य कड़ी थी। इन गतिविधियों के लिए, एसएससी ने एनएसडीसी से ₹ 800 तथा ₹ 1200 (प्रति अभ्यर्थी) का शुल्क प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रमाणित अभ्यर्थी एनएसडीसी से ₹ 500 का भुगतान प्राप्त करने के पात्र थे जिसे डीबीटी के माध्यम से किया जाना था। आरपीएल-बीआईसीई के अंतर्गत 12.64 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण में ₹ 167.56 करोड़[39] का भुगतान और मूल्यांकन प्रभार शामिल था। आरपीएल-बीआईसीई प्रमाणीकरण की वर्षवार प्रगति ***तालिका 3.7*** में दी गई है:

[39] ₹ 500 प्रति अभ्यर्थी के भुगतान तथा ₹ 800 एवं ₹ 1200 के मूल्यांकन शुल्क के आधार पर।

तालिका 3.7: प्रमाणित अभ्यर्थी तथा भुगतान

वर्ष	प्रमाणित अभ्यर्थी	प्रति अभ्यर्थी लागत		कुल *(₹ करोड़ में)*
		भुगतान	एसएससी प्रभार	
2019	34640	500	800	4.50
2020	1147180	500	800	149.13
2021	78500	500	1200	13.35
2022	3389	500	1200	0.58
कुल	**1263709**			**167.56**

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि यद्यपि 33 एसएससी ने आरपीएल-बीआईसीई प्रक्रिया में भाग लिया, फिर भी 34.93 *प्रतिशत* कौशल प्रमाणीकरण केवल दो क्षेत्रों अर्थात मीडिया एवं मनोरंजन (26.37 *प्रतिशत*) और हरित नौकरी (8.56 *प्रतिशत*) में केंद्रित थे। अन्य 16 एसएससी के संबंध में, प्रतिभागियों की संख्या 1.07 से 6.24 *प्रतिशत* के बीच थी जबकि शेष 15 एसएससी के लिए यह एक *प्रतिशत* से भी कम थी। परिणामस्वरूप, मीडिया क्षेत्र के अंतर्गत आरपीएल-बीआईसीई प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान केन्द्रित किया गया था। आरपीएल-बीआईसीई के दौरान कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाने वाले परिणामों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

3.8.1 नियोक्ताओं द्वारा कौशल प्रमाणीकरण जो 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' के रूप में वर्गीकरण के योग्य नहीं थे

आरपीएल-बीआईसीई दिशानिर्देशों में *'टॉप-ऑफ-द-लाइन'*, *'बड़े नियोक्ता'* जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, तथा 'श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ' के रूप में कौशल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए उपयुक्त नियोक्ता की पहचान करने के लिए कुल बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, शेयर बाजार में सूचीकरण, संचालन के वर्ष, उद्योग पुरस्कार/मान्यता प्राप्तकर्ता आदि जैसे मापदंडों की अनुशंसा की गई है। संबंधित एसएससी[40] द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर संघों, यूनियनों, निगमों,

[40] मीडिया एवं मनोरंजन एसएससी के संबंध में (i) व्यापार संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 500 से अधिक पंजीकृत सदस्यों वाले फिल्म यूनियनों/उद्योग गैर-लाभकारी संघों तथा (ii) कम से कम 150 कर्मचारियों एवं ₹ 50 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार वाली निजी लिमिटेड कंपनियों को बीआईसीई के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया (जून 2019)।

लघु नियोक्ताओं तथा इसी प्रकार की संस्थाओं को शामिल करने के लिए पीएमकेवीवाई कार्यकारी समिति (2018 और 2019 में आयोजित बैठकों के माध्यम से) द्वारा मानदंड में ढील दी गई थी।

मंत्रालय ने सूचित किया (मई 2023) कि मीडिया तथा अन्य एसएससी ने सीमित भौतिक उपस्थिति परन्तु विशाल ऑनलाइन उपस्थिति वाले लघु नियोक्ताओं को शामिल किया था। तथापि, यह पाया गया था कि ये नियोक्ता गैर-वर्णनात्मक प्रकृति के थे तथा उन्होंने अपने कर्मचारियों के संबंध में संदिग्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए थे जो आरपीएल-बीआईसीई प्रमाणीकरण प्रक्रिया पर मंत्रालय के कमजोर नियंत्रण को दर्शाते हैं। मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के अंतर्गत लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए कुछ मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

नीलिमा मूविंग पिक्चर्स (एनएमपी): लेखापरीक्षा ने पाया कि नियोक्ता (एनएमपी), एक स्वामित्व वाला व्यावसायिक अभिकरण जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन) में पंजीकृत नहीं है, उसने मीडिया एवं मनोरंजन एसएससी के माध्यम से जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक आठ राज्यों[41] में 21 नौकरी-भूमिकाओं[42] के लिए 33,493 प्रतिभागियों (कर्मचारियों) को कौशल प्रमाणपत्र प्रदान किया था। तथापि, लेखापरीक्षा (03 अक्टूबर 2022) के दौरान नियोक्ता (एनएमपी) को अस्तित्व में नहीं पाया गया था। उत्तर में, संबंधित एसएससी ने बताया (अक्टूबर 2022) कि इकाई कोविड-19 के दौरान बंद हो गई थी।

पीएमकेवीवाई-आरपीएल दिशा-निर्देशों में अभ्यर्थियों की बैचवार फोटो सहित प्रमाणीकरण प्रक्रिया की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली फोटो और वीडियोग्राफी अपलोड करने की अभिकल्पना की गई है। एसएससी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए 24 बैचों के फोटोग्राफिक साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला कि एनएमपी ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न बैचों से संबंधित कौशल प्रमाणीकरण के संबंध में एक ही फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। इन 24 बैचों के आयोजन में फोटोग्राफिक साक्ष्य में पाई गई विसंगतियों के कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं:

---

41 बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

42 अभिनेता, एनिमेटर, कैमरा ऑपरेटर, डांसर, डिजिटर मार्किंग मैनेजर, इडिटर आदि

बैच 57241, गया, बिहार

बैच 67518, बहराइच, उत्तर प्रदेश

बैच 68501, बहराइच, उत्तर प्रदेश

बैच 68922, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश

बैच 69132, जलगांव, महाराष्ट्र

बैच 71748, श्री गंगा नगर, राजस्थान

एनएमपी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उपयुक्तता के संबंध में, मंत्रालय ने एनएमपी के अस्तित्व/योग्यता की पुष्टि करने के लिए कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना कंपनी की 'लिंक्डइन' प्रोफ़ाइल (*अर्थात*, व्यवसाय और रोजगार-उन्मुख वेब सेवा) साझा की (मई 2023)।

'लिंक्डइन' पेज की जांच से पता चला कि एनएमपी में कर्मचारियों की संख्या केवल 2 से 10 तक थी तथा इसके मात्र 143 फॉलोअर थे, जिससे मंत्रालय के इस दावे का खंडन होता है कि इसकी विशाल ऑनलाइन उपस्थिति थी। लेखापरीक्षा द्वारा फोटोग्राफिक साक्ष्य में अनियमितताएँ इंगित किए जाने पर मंत्रालय ने एसएससी की ओर से मानवीय चूक, अनुरक्षित डाटाबेस में गड़बड़ी तथा कोविड-19 के बाद कर्मचारियों के परिवर्तन जैसे कारणों का उल्लेख किया। एनएमपी द्वारा प्रमाणित 725 बैचों एवं 33,493 कर्मचारियों में से, मंत्रालय ने 24 बैचों में आयोजित प्रशिक्षणों के समर्थन में नए दस्तावेज (*अर्थात* प्रोफाइल चित्र, बैच और *आधार* विवरण) प्रस्तुत किए (मई 2023) जहां लेखापरीक्षा ने पहले विसंगतियों को इंगित किया था।

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए नए साक्ष्य (मई 2023) की फिर से जांच की गई, जहां यह पाया गया कि इन 24 बैचों में 812 अभ्यर्थियों में से केवल 694 अभ्यर्थियों के प्रोफाइल फोटो तथा केवल 132 अभ्यर्थियों के *आधार* विवरण उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, ऊपर दर्शाए गए फोटो के समान ही 58 प्रोफ़ाइल फोटो में भी दोहराव/जालसाजी मौजूद थे। नीचे कुछ उदाहरण दिये गये हैं:

e310edc4-00d2-437c-ac6af50f82c13b2e_गायत्री पटेल	e4170dae-05b8-4860-88b728ea3759e745_ गायत्री पटेल	90f516fc-e894-4f7d-b09e7951b40b3df7_ गायत्री पटेल	2a06c69e-09d6-42dd-b1dab85cec4c496c_ गायत्री पटेल
cc67e2ed-a184-4949-b799abc45a3622ac_ मौ. शमशेर एसके	a48fc9f7-c5ed-4d81-b59e1f578edd277a_ मौ. शमशेर एसके	888bdd87-4250-47d0-95d8ff5465027990_ मौ. शमशेर एसके	7b225566-5140-4664-b8fcfb79486a0c89_ मौ. शमशेर एसके

मंत्रालय ने बताया कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है क्योंकि भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया था और इसलिए इसमें कोई दोहराव नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला सामने आता है तो इसकी गहन जांच की जाएगी तथा निष्कर्ष के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

मंत्रालय के उत्तर में एनएमपी को बीआईसीई के रूप में निर्धारित करने की प्रक्रिया के मूल मुद्दे का निपटान नहीं किया गया। एनएमपी में कर्मचारियों की संख्या दो से 10 तक थी। तथापि, एनएमपी ने प्रमाणीकरण के समर्थन में संदिग्ध साक्ष्य के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रमाणित किया जबकि मंत्रालय ने कर्मचारियों के प्रमाणीकरण के साक्ष्य के रूप में केवल अभ्यर्थियों के भुगतान पर ही विश्वास किया।

रेडिएट डिजाइन: लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक ऐसी कंपनी जिसने 2014-15 के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी) में कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया था तथा जिसे आरओसी द्वारा 'हटा दिया गया' (कंपनी का नाम हटाना) था, उसने बिहार, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित कई नौकरी-भूमिकाओं (*जैसे* अभिनेता, सहायक कैमरामैन, डांसर आदि) में 15,218 प्रतिभागियों को प्रमाणित करने का दावा (जनवरी- फरवरी 2020) किया था। लेखापरीक्षा (03 अक्टूबर 2022) के दौरान रेडिएट डिज़ाइन्स का पता एक दुकान के रूप में पाया गया, जिस पर इसके रेडीयेंट डिजाइन्स होने का कोई स्पष्ट संकेत/साइनबोर्ड नहीं था।

श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रुप में रेडियेंट डिजाइन की उपयुक्तता के संबंध में मंत्रालय ने कंपनी के अस्तिव की पुष्टि करने के लिए कोई अन्य अधिकारिक

दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना इसका वैबसाईट लिंक साझा किया (मई 2023)। इसमें उल्लेखित है कि रेडियेंट डिजाइन के कार्य का बड़ा भाग ग्राहक के स्थान पर किया जाता था तथा इसलिए उसके कार्यालय की भौतिक उपस्थिति न्यूनतम थी।

इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने बताया कि पीएमकेवीवाई ब्रांडिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान यह योजना बंद कर दी गई थी। मंत्रालय द्वारा साझा किए गए वेब-लिंक की जांच से पता चला कि कंपनी प्रदर्शनी-स्टॉलों के डिजाइन और निर्माण में शामिल थी परन्तु उन नौकरी-भूमिकाओं से जुड़ी नहीं थी जिनके लिए उसने 15,218 कर्मचारियों को प्रमाणित किया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी के 'लिंक्डइन' पेज पर केवल 102 फॉलोअर्स थे जो इसकी सीमित पहुंच को दर्शाता है। मंत्रालय ने रेडियेट डिजाइन के टर्नओवर/कर्मचारियों के संबंध में कोई टिप्पणी/सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी। इस प्रकार, रेडिएट डिजाइन को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में कोई निर्णायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

प्रेजेंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड: 100 घोषित कर्मचारियों एवं एक लाख संविदा कर्मचारियों वाली एक कंपनी ने नौ राज्यों[43] में डांसर, हेयरड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट जैसी नौकरी-भूमिकाओं के अंतर्गत मीडिया और मनोरंजन एसएससी के माध्यम से 19,561 व्यक्तियों को प्रमाणित किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रेजेंट मीडिया ने विभिन्न आरपीएल-बीआईसीई प्रमाणीकरण के लिए एक ही फोटो का प्रयोग किया था तथा अन्य सरकारी योजनाओं/क्षेत्रों/अवधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों के साक्ष्य को अपने स्वयं के कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया था। प्रारंभिक लेखापरीक्षा के दौरान, एनएसडीसी ने प्रेजेंट मीडिया की उपलब्धियों के अभिलेख प्रस्तुत किए (अक्टूबर 2022) जिसमें तीन अलग-अलग अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रशंसापत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

[43] गुजरात, मणिपुर, दिल्ली, झारखण्ड, हरियाणा, पंजाब, केरल, मिजोरम तथा उत्तर प्रदेश

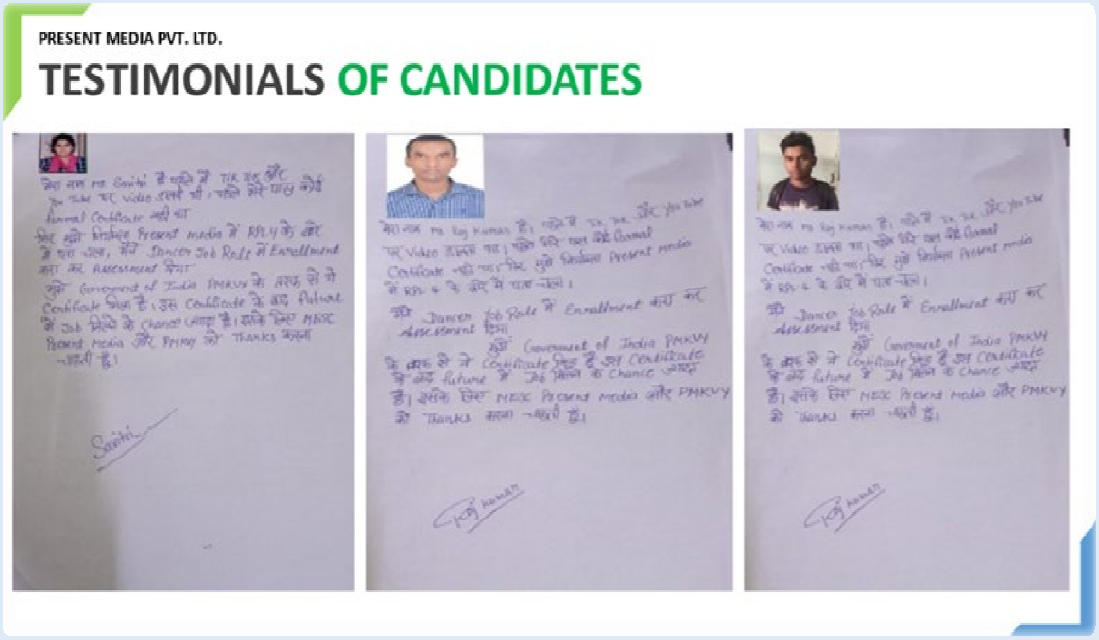

लिंग संदर्भ एवं हस्ताक्षर सहित एक ही प्रशंसापत्र का प्रयोग विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग फोटो के साथ किया गया था।

इसके अतिरिक्त, एनएसडीसी ने अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के प्रमाण के रूप में संबंधित एसएससी से दस्तावेज प्रस्तुत किए। तथापि, बैच विवरण निर्दिष्ट किए बिना अलग-अलग तारीखों पर मूल्यांकन दिखाने के लिए एक ही फोटो का प्रयोग किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

बैच दिनाँक 14.05.2020

बैच दिनाँक 08.06.2020

प्रस्तुत प्रशिक्षण (14.05.2020) साक्ष्य डीडीयू-ग्रामीण कौशल योजना के संबंध में था न कि पीएमकेवीवाई के लिए जैसा कि पृष्ठभूमि में बैनर से देखा जा सकता है।	प्रस्तुत प्रशिक्षण (14.05.2020) साक्ष्य सरकार की दैनिक-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के संबंध में था न कि पीएमकेवीवाई के लिए जैसा कि पृष्ठभूमि में बैनर से देखा जा सकता है।
प्रस्तुत प्रशिक्षण (14.05.2020) साक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में था जैसा कि अभ्यर्थियों की ड्रेस से देखा जा सकता है, जबकि आयोजित प्रशिक्षण मीडिया क्षेत्र के लिए था।	मीडिया क्षेत्र के लिए प्रस्तुत प्रशिक्षण (06.06.2020) साक्ष्य फर्नीचर एवं फिटिंग कौशल क्षेत्र के संबंध में था जैसा कि पृष्ठभूमि में बैनर से देखा जा सकता है।

प्रेजेंट मीडिया की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उपयुक्तता के संबंध में, मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि कंपनी इंडिपेंडेंट कंनेट प्रोडयुसर तथा मीडिया प्लेटफार्मों के बीच एक कड़ी थी। संदिग्ध साक्ष्य के मामले पर विशेष टिप्पणी के बिना, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया कि कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई क्योंकि भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया था तथा प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक बार ही भुगतान किया गया था।

आरपीएल-बीआईसीई दिशा-निर्देशों में, कर्मचारियों को नियोक्ता के साथ न्यूनतम एक वर्ष से काम कर रहे वेतनभोगी या संविदा कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया है। तथापि, पीआईए ऐसे कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं था। बीआईसीई की पात्रता, प्रमाणित अभ्यर्थियों के विवरण तथा वास्तविक मूल्यांकन एवं

प्रमाणीकरण के संदिग्ध साक्ष्यों पर ध्यान देने के बजाय मंत्रालय ने अभ्यर्थियों को दिए गए भुगतान पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि ***पैरा 2.4.2.2*** में पहले ही चर्चा की गई है अभ्यर्थियों को किया गया भुगतान प्रशिक्षण आयोजन या बीआईसीई के रूप में अभिकरण के अस्तित्व में होने के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता है।

जयपुर सांस्कृतिक समिति (जेसीएस): पीएमकेवीवाई-आरपीएल दिशानिर्देशों में कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रिंट मीडिया, आउटडोर विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपनी गतिविधियों का प्रचार करना एवं बढ़ावा देना अपेक्षित है। जेसीएस (जयपुर की एक सांस्कृतिक समिति) ने मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में 56,203 व्यक्तियों (कर्मचारियों) के प्रमाणीकरण का दावा किया था। इस संबंध में, जेसीएस द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के साक्ष्य के रूप में एनएसडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से, लेखापरीक्षा ने पाया कि समिति ने संपादित मीडिया कवरेज रिपोर्ट तैयार की थीं जिसमें मिटाए गए कौशल केन्द्र का विवरण शामिल हैं तथा मिटाए गए भाग में अन्य विभिन्न केंद्र के नाम, स्थान और तारीखें भरी गई थीं (जिसमें कार्यक्रम की तारीख 31 फरवरी 2020 दर्शाना भी शामिल हैं)। कुछ ऐसे उदाहरण जहां दिनांक/स्थान संपादित किए गए थे, नीचे दिए गए हैं:

कौशल विकास योजना प्रमाण पत्र वितरण

सम्भल । भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) के तहत एमईएससी आरपीएल –4 के प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन 26/02/2020 को स्किल सेंटर पर किया गया। समारोह में मानव कल्याण विश्वापीठ संसथान के सचिव ने प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। आयोजक सुरेश कुमार और अनंतराम चलौदा ने कहा कि कौंसिल मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारत सरकार की इस योजना का लाभ दिलाकर उन्हें नई पहचान दिलाने का कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि (एन एस डीसी, एमईएससी,एमओएसडी) एवं एंपलॉयर जयपुर कल्चरल सोसायटी द्वारा संयुक्त रुप से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। वहां मौजूद सभी ने एमईएससी के चेयरमैन सुभाष घई एवं सीईओ मोहित सोनी का आभार जताया।

कौशल विकास योजना प्रमाण पत्र वितरण

सम्भल । भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)के तहत एमईएससी आरपीएल–4 के प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन 03/03/2020 को- जी के इंटरप्राइजेज सेंटर पर किया गया। समारोह में मानव कल्याण विश्वापीठ संस्थान के सचिव ने प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। आयोजक सुरेश कुमार और अनंतराम चलौदा ने कहा कि कौंसिल मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारत सरकार की इस योजना का लाभ दिलाकर उन्हें नई पहचान दिलाने का कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि (एन एस डीसी, एमईएससी, एमओएसडी) एवं एंपलॉयर जयपुर कल्चरल सोसायटी द्वारा संयुक्त रुप से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है वहां मौजूद सभी ने एमईएससी के चेयरमैन सुभाष घई एवं सीईओ मोहित सोनी का आभार जताया।

कौशल विकास योजना प्रमाण पत्र वितरण

सम्भल । भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)के तहत एमईएससी आरपीएल –4 के प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन 31/02/2020 को ए सलेक्शन ऐकडमी स्किल सेंटर पर किया गया।समारोह में मानव कल्याण विश्वापीठ संस्थान के सचिव ने प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए।आयोजक सुरेश कुमार और अनंतराम चलौदा ने कहा कि कौंसिल मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारत सरकार की इस योजना का लाभ दिलाकर उन्हें नई पहचान दिलाने का कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि (एन एस डीसी, एमईएससी,एमओएसडी) एवं एंपलॉयर जयपुर कल्चरल सोसायटी द्वारा संयुक्त रुप से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। वहां मौजूद सभी ने एमईएससी के चेयरमैन सुभाष घई एवं सीईओ मोहित सोनी का आभार जताया।

कौशल विकास योजना प्रमाण पत्र वितरण

मुरादाबाद । भारत सरकार के उपक्रम के अंतर्गत (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना)के तहत एमईएससी आरपीएल–4 के प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन 28/02/2020 को- जी के इंटरप्राइजेज सेंटर पर किया गया। समारोह में मानव कल्याण विश्वापीठ संसथान के सचिव ने प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। आयोजक सुरेश कुमार और अनंतराम चलौदा ने कहा कि कौंसिल मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारत सरकार की इस योजना का लाभ दिलाकर उन्हें नई पहचान दिलाने का कार्य कर रही है उन्होंने बताया कि (एन एस डीसी, एमईएससी,एमओएसडी) एवं एंपलॉयर जयपुर कल्चरल सोसायटी द्वारा संयुक्त रुप से यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। वहां मौजूद सभी ने

साक्ष्यों से छेड़छाड़ और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रमाणीकरण के मामलों पर विशेष टिप्पणी के बिना, मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि 'जयपुर सांस्कृतिक समिति' ने फिल्मों, टीवी शो, वॉयस ओवर आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया था।

कुछ नियोक्ताओं के बीआईसीई के रूप में वर्गीकरण पर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में, मंत्रालय ने स्वीकार किया (मई 2023) कि यद्यपि ये सभी लघु भौतिक उपस्थिति वाले छोटे नियोक्ता थे, परंतु उनकी गतिविधियां बड़ी थीं तथा उस क्षेत्र में लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि सभी डुप्लिकेट फोटो की जांच कर ली गई है तथा उन्हे अपलोड करते समय मानवीय चूक हुई है। उसने आगे बताया कि जांच करने पर पाया गया कि अभ्यर्थियों में कोई दोहराव नहीं था तथा प्रत्येक प्रमाणित अभ्यर्थी को डीबीटी के माध्यम से केवल एक बार ही भुगतान किया गया था तथापि, मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि मीडिया एसएससी को चेतावनी दे दी गई तथा भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। इसमें संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करने तथा आवश्यक जांच के लिए सिफारिशें प्रदान करने हेतु तीसरे पक्ष की सेवाएं शामिल हैं।

तथ्य यह है कि अभ्यर्थियों की डुप्लिकेट फोटो के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने इन अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत संपादित फोटोग्राफिक साक्ष्यों को भी इंगित किया है। आरपीएल कार्यान्वयन प्रक्रिया के अनुसार, फोटोग्राफिक साक्ष्य प्रमाणीकरण के स्थान पर एकत्रित किए जाने थे तथा निरीक्षण के दौरान उन्हें वास्तविक समय में अपलोड किया जाना था जिससे त्रुटि और मिश्रण की बहुत कम गुंजाइश रहे, जैसा मंत्रालय ने उल्लेख किया है। लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई अनियमितताओं का खंडन करने के लिए मंत्रालय कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। उपरोक्त चार बीआईसीई ने मिलकर 1.24 लाख अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया जिसमें कार्यान्वयन अभिकरणो को कम से कम ₹ 9.96 करोड़ का मूल्यांकन शुल्क शामिल है। तथापि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के इस तर्क कि इन अभिकरणों ने प्रमाणीकरणों हेतु संदिग्ध एवं सम्पादित साक्ष्य प्रस्तुत किए थे को अनदेखा करते हुए आरपीएल प्रमाणीकरण के साक्ष्य के रूप में केवल अभ्यर्थियों को किए गए भुगतान पर ही जोर दिया।

3.8.2 प्रमाणीकरण अभिकरण तथा अभ्यर्थियों के बीच कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों का अभाव

आरपीएल-बीआईसीई दिशा-निर्देशों में 'नियोक्ता-मूल्यांकनकर्ता' को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति (जैसे, कार्यकारी शेफ, विभागीय प्रमुख, पर्यवेक्षक, कार्यशाला प्रबंधक, वरिष्ठ कार्यकारी, मास्टर प्रशिक्षक आदि) के रूप में देखा गया है जो संबंधित विभाग के अन्य कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम होता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि बड़ी संख्या में आरपीएल-बीआईसीई प्रमाणपत्र (जिन पर पिछले पैराग्राफ में चर्चा की गई है) इस पूर्व-स्थापित नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की अवहेलना में प्रदान किए गए थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

एडुजॉइन ट्रेनिंग फाउंडेशन: एनएसडीसी के साथ टीपी एवं टीसी के रूप में जुड़े एडुजॉइन ने तीन क्षेत्रों अर्थात खाद्य प्रसंस्करण, मीडिया एवं मनोरंजन, तथा खेल में 77,490 कर्मचारियों को आरपीएल-बीआईसीई प्रमाणपत्र प्रदान किए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि खेल क्षेत्र के संबंध में, एडुजॉइन द्वारा 10 राज्यों[44] में 25,348 अभ्यर्थियों को 'फिटनेस ट्रेनर' नौकरी-भूमिकाओं के कौशल प्रमाणीकरण प्रदान किए गए थे। इस संबंध में, मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि एडुजॉइन के बजाय इन मामलों में नियोक्ता जिम थे जिनमें प्रमाणीकरण हेतु एक या दो कर्मचारी थे। इसने यह भी बताया कि एडुजॉइन ने आठ विभिन्न राज्यों में उनके नाम बताए बिना 33 जिम केंद्रों के साथ गठजोड़ के आधार पर लक्ष्य आवंटित किया, (डाटा से निर्धारित राज्यों की संख्या के साथ भी असंगत)। इसने आगे बताया कि स्पोर्ट्स एसएससी ने इन जिमों में 10,000 अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट दिया था तथा लगभग 30,000 अभ्यर्थी इनके लिए काम कर रहे थे।

मंत्रालय का उत्तर स्वयं विरोधाभासी था क्योंकि इसमें यह दावा किया गया था कि अंतिम नियोक्ता जिम थे, जिनका एडुजॉइन के साथ गठजोड़ था। इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन में एडुजॉइन का उल्लेख बीआईसीई के रूप में किया गया था। अभिकरण ने 31 मार्च 2024 तक (टीपी/टीसी के रूप में) 21 क्षेत्रों के अंतर्गत

[44] असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण (एसटीटी/आरपीएल) भी प्रदान किया था तथा इन सभी मामलों में उसे नियोक्ता (बीआईसीई) नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, 33 जिम में 10,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तथा 30,000 की कर्मचारी क्षमता भी सही नहीं थी, क्योंकि मंत्रालय ने स्वयं उल्लेख किया था कि प्रत्येक जिम में केवल एक या दो कर्मचारी थे। शीर्ष दो राज्यों जहां फिटनेस ट्रेनर के लिए सबसे अधिक प्रमाणीकरण प्रदान किए गए थे, लेखापरीक्षा ने पाया कि झारखंड में अधिकतम प्रमाणपत्र पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रदान किए गए (8922 में से 7145) जबकि राजस्थान में सभी 5444 प्रमाणीकरण चुरू जिले में कर्मचारी-नियोक्ता संबंध सुनिश्चित किए बिना प्रदान किए गए थे।

ए के ग्रुप ग्रिफ़िनेस (एकेजीजी): बीआईसीई के रूप में कार्य करते हुए, खेल क्षेत्र में इस टीसी ने छह राज्यों[45] में 'लाइफगार्ड पूल एण्ड बीच' की नौकरी-भूमिकाओं के लिए 14,178 अभ्यर्थियों को कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह देखते हुए कि प्रत्येक पूल एवं बीच पर केवल कुछ ही ऐसे पेशेवर काम करते हैं, एकेजीजी द्वारा एक विशिष्ट कार्य के लिए कई कर्मचारी होने के दावे पर मंत्रालय से प्रश्न पूछा गया था (सितंबर 2022)।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा चिंता को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2023) कि एकेजीजी के माध्यम से प्रमाणित लाइफगार्ड वास्तव में इस समूह के कर्मचारी नहीं थे बल्कि वे पश्चिम बंगाल लाइफसेविंग अकादमी, पुत्तूर एक्वाटिक क्लब जैसे संगठनों के संविदा कर्मचारी थे, जो रीजेंसी होम्स, रेजीडेंसी क्लब, ओकवुड होटल्स आदि में कार्यरत थे। इस प्रकार, मंत्रालय/एनएसडीसी की निगरानी/पर्यवेक्षण प्रणाली प्रस्ताव की जांच के दौरान इस पहलू पर विचार करने में असमर्थ थी।

एमएसडीई ने बताया (मई 2023) कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए नियोक्ता तथा कर्मचारी का पात्रता मानदंड संबंधित एसएससी द्वारा तैयार किया गया था। यह दावा स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को पहले ही दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा चुका था तथा एसएससी द्वारा इसे पुनः परिभाषित नहीं किया जा सकता था। लेखापरीक्षा का तर्क है कि यह केवल इसी

[45] दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

पूर्व शर्त के कारण था कि औपचारिक प्रशिक्षण/अभिविन्यास की आवश्यकता को आरपीएल-बीआईसीई में शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, कर्मचारी-नियोक्ता संबंध के मूल आधार की पूर्ति का आश्वासन दिए बिना ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को आरपीएल-बीआईसीई के अंतर्गत प्रमाणीकरण प्रदान कर दिए गए। इन अभ्यर्थियों के लिए अपनाई गई प्रमाणीकरण प्रक्रिया आरपीएल-बीआईसीई के अंतर्गत उपयुक्त नहीं थी।

3.8.3 आरपीएल-बीआईसीई की परियोजनाओं की निगरानी में अनियमितताएं

पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसडीसी और सूचीबद्ध निरीक्षण अभिकरण प्रशिक्षण की गुणवत्ता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करेंगी जैसे कि स्व-लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग, कॉल सत्यापन, औचक निरीक्षण तथा आईटी प्रणाली के माध्यम से निगरानी। तदनुसार, एनएसडीसी आरपीएल-बीआईसीई प्रक्रिया का यादृच्छिक भौतिक निरीक्षण भी कर रहा था। इन निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान, एनएसडीसी निरीक्षक साइट का दौरा करता है और अवलोकन, मौके पर ली गई फोटो को जियो-टैगिंग के साथ एक वेब-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपलोड करता है। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2023) कि यह निगरानी प्रक्रिया व्यापक नहीं थी तथा बिना किसी नियम-आधारित मानदंड या निगरानी योजना के निरीक्षकों की सुविधा के अनुसार चुने गए कुछ बैचों तक सीमित थी।

आरपीएल-बीआईसीई की कार्यान्वयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने एनएसडीसी द्वारा प्रदान की गई 1463 निरीक्षण रिपोर्टों (14 कौशल क्षेत्रों सहित) की संवीक्षा की, जिसने गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया में भी कमियों को प्रकट किया, जैसा कि नीचे उप-पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.8.3.1 विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए साक्ष्य के रूप में एक ही फोटो का प्रयोग

निरीक्षण के समय, मौके पर ली गई फोटो आकलन प्रक्रिया के संबंध में आश्वासन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य होती हैं। तथापि, यह पाया गया कि 45 निगरानी रिपोर्टों में विभिन्न प्रशिक्षणों के साक्ष्य के रूप में एक ही फोटो का प्रयोग किया गया था। उदाहरणार्थ, 'घरेलू तथा निर्माण क्षेत्र कौशल परिषदों'

से संबंधित नमूना-जांच की गई निगरानी रिपोर्टों के विवरण ने प्रकट किया कि निरीक्षण के दौरान ली गई एक ही फोटो का प्रयोग किया गया था, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीसी की निगरानी रिपोर्ट में विभिन्न प्रशिक्षण बैचों में एक जैसे व्यक्ति देखे गए

	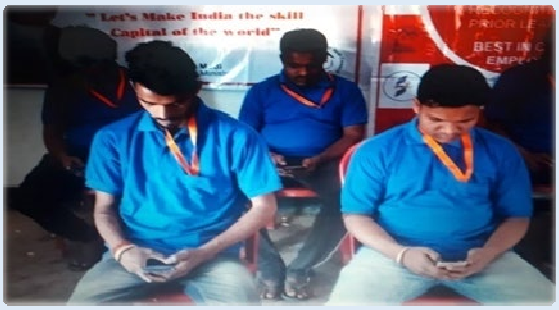
बैच-आईडी 93215 (23.02.2020) **कटनी, मध्य प्रदेश**	**बैच-आईडी 95011 (23.02.2020)** **कटनी, मध्य प्रदेश**
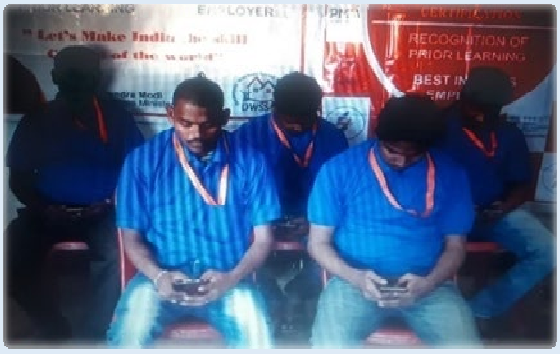	
बैच-आईडी 94538 (23.02.2020) **कोलम, केरल**	**बैच-आईडी 93647 (23.03.2020)** **औरंगाबाद, महाराष्ट्र**
बैच-आईडी 94585 (23.02.2020) **कटनी, मध्य प्रदेश**	**बैच-आईडी 94407 (23.02.2020)** **कटनी, मध्य प्रदेश**

बैच-आईडी 91169 (22.02.2020) **जबलपुर, मध्य प्रदेश**	**बैच-आईडी 90139 (21.02.2020)** **मुंबई, महाराष्ट्र**

29.01.2020 की बैच तिथि के सापेक्ष में, दो अलग-अलग बैचों को दर्शाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों के एक ही समूह का अलग-अलग तिथियों/समय पर फेरबदल किया हुआ पाया गया।

बैच-आईडी 58279 (29.01.2020) **दीमापुर, नागालैंड**	**बैच-आईडी 62466 (29.01.2020)** **दीमापुर, नागालैंड**

मंत्रालय को सूचित किए गए 45 मामलों के संबंध में, उसने बताया (फरवरी और मई 2023) कि संबंधित अभिकरणों/एसएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थिति अभिलेखों तथा आधार संख्या में कोई विसंगति नहीं थी। इसने संबंधित कार्यान्वयन अभिकरणों से प्राप्त स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किए, जिनमें विभिन्न कारण बताए गए थे जैसे (क) यह उल्लेख करना कि फोटो में दिखाए गए व्यक्ति एक ही परिवार के भाई थे (3 बैच), (ख) यह बताया कि फोटो अपलोड प्रक्रिया के दौरान फोटो आपस में मिल गई होंगी (18 बैच)। एमएसडीई ने यह भी बताया कि इस संबंध में दोनों अभिकरणों को चेतावनी जारी कर दी गई थी। शेष अभिकरणों (24 बैच) के संबंध में, उसने यह बताया कि संबंधित अभिकरणों को उक्त बैचों के लिए प्राप्त राशि वापस करने को कहा गया है।

लेखापरीक्षा का तर्क है कि इन निरीक्षणों ने यह आश्वासन प्रदान किया कि प्रशिक्षण/मूल्यांकन, अनुमोदित कार्य-भूमिकाओं के लिए, पूर्व-निर्धारित स्थल पर, निर्दिष्ट मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा, उन्हीं लाभार्थियों के लिए किया जा रहा था, जो मूल्यांकन किए जा रहे बैच का हिस्सा हैं। तथापि, उपर्युक्त मामलों में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निरीक्षण के साक्ष्य संदिग्ध पाए गए, जो आरपीएल-बीआईसीई प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते है।

3.8.3.2 एक ही निरीक्षक द्वारा एक ही दिन/समय पर कई राज्यों में निरीक्षण

जांच में 80 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें एक ही दिन में एक ही एनएसडीसी निरीक्षक द्वारा विभिन्न राज्यों में कई स्थानों का दौरा किया गया था। इन्हें ***तालिका 3.8*** के माध्यम से दर्शाया गया है:

तालिका 3.8: एनएसडीसी निरीक्षकों द्वारा सूचित निगरानी दौरे

	दौरे की तिथि	भौतिक रुप से दौरा किए गए राज्य	निरीक्षण
निरीक्षक 1 (आशीष सेनवाल)	21.02.2020	आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा तेलंगाना	19
	22.02.2020	कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना	06
	23.02.2020	केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	30
निरीक्षक 2 (प्रवीण कुमार)	24.10.2019	हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना	02
निरीक्षक 3 (सदानंदम)	12.01.2021	कर्नाटक और तमिलनाडु	06
	13.01.2021	कर्नाटक और तमिलनाडु	03
	08.01.2021	मध्य प्रदेश और तमिलनाडु	08
	09.01.2021	मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड	03
निरीक्षक 4 (सुशम बैनर्जी)	22.09.2019	बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल	03

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि एक ही निरीक्षक के एक ही समय में अलग-अलग स्थानों पर होने के निम्न कारण बताए (क) संबंधित एसएससी के पास केवल एक ही लॉगिन की उपलब्धता, तथा (ख) नेटवर्क और संचार संबंधी समस्याओं के कारण, साक्ष्य को मुख्य कार्यालय से अपलोड किया गया। मंत्रालय ने आगे बताया (जून 2025) कि व्यक्तिगत आधार पर ऐप तक पहुंच हेतु अलग-अलग लॉग-इन बनाए गए हैं तथा ऐप को इस प्रकार अद्तित किया गया है कि निरीक्षक फोन गैलरी से टीसी की फोटो अपलोड नहीं कर सकता है, जिससे वास्तविक समय में जियो-टैग छवि को अपलोड करना सुनिश्चित किया जा सके।

मंत्रालय के उत्तर से यह स्पष्ट है कि एनएसडीसी द्वारा अपनाई गई आरपीएलबीआईसीई गतिविधियों की निगरानी अर्थात प्रशिक्षण/प्रमाणीकरण के समय प्रक्रिया के संचालन के संबंध में तथ्य स्थापित करने के लिए जियो-टैग्ड उपकरणों के साथ भौतिक निरीक्षण का उद्देश्य विफल हो गया था। चूंकि निरीक्षण एनएसडीसी निरीक्षकों द्वारा किए गए थे इसलिए संबंधित एसएससी के पास एकल लॉगिन की उपलब्धता से एनएसडीसी द्वारा योजना की स्वतंत्र निगरानी के मुख्य उद्देश्य से समझौता हुआ। यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एनएसडीसी के निरीक्षक-1 (जैसा कि ऊपर **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है) पिछले पैराग्राफ में सूचित 24 बैचों की निगरानी प्रक्रिया में भी शामिल थे, जिसमें आरपीएल-बीआईसीई के विभिन्न बैचों के लिए साक्ष्य के रूप में एक ही फोटोग्राफ का प्रयोग किया गया था।

3.8.3.3 निरीक्षण पूरा करने के लिए जियो-टैगिंग का अभाव तथा अनियमित समय पैटर्न

वेब-आधारित एप्लिकेशन पर अपलोड की गई सूचना की जियो-टैगिंग वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए की गई जांच में से एक है कि मौके पर भौतिक निरीक्षण किया गया है। तथापि, यह पाया गया कि 1232 मामलों (अर्थात 84.21 *प्रतिशत*) में जियो-टैगिंग उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण प्रारंभ करने तथा इसके समापन (निरीक्षण अवधि) की पुष्टि करने वाले ऑन लाईन प्रस्तुतीकरण के बीच[46] का समय अंतराल 12 सेकंड से 698 घण्टों के बीच था। 295 मामलों में, एक ही निरीक्षक द्वारा एक ही तिथि को विभिन्न स्थानों पर दो निरीक्षणों की शुरूआत करने के बीच का अंतर पांच मिनट से भी कम था।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि विसंगति मुख्य रूप से निरीक्षण के समय निर्दिष्ट केंद्रों पर ऐप का प्रयोग करते समय तकनीकी समस्याओं के कारण थी। इसने आगे बताया कि गैलरी से फोटो अपलोड करने पर प्रतिबंधित करके तथा

[46] एक घण्टे से कम- 1307, 1 से 12 घण्टे- 93, 12 से 24 घण्टे- 17, 24 से 100 घण्टे-31, 100 घण्टों से अधिक- 6 तथा एनए/तकनीकी चूक-11

प्रयोगकर्ताओं को अन्य मोबाइल फोन पर फोटो की फोटो लेने से रोक कर ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक प्रणालीगत जांच स्थापित की जा रही है।

पीएमकेवीवाई 4.0 में, आरपीएल प्रक्रिया में परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को अनिवार्य प्रशिक्षण (सामान्य अभिविन्यास एवं व्यावसायिक मानकों के साथ अभिविन्यास-एनओएस) लेना है, जिसके बाद मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि पीएमकेवीवाई 4.0 से आरपीएल-बीआईसीई संघटक को समाप्त कर दिया गया है।

अनुशंसा 7: *मंत्रालय को निरीक्षण तंत्र को सुदृढ करना चाहिए तथा प्रभावी निगरानी के लिए प्रणाली सत्यापन जांच को सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

अध्याय 4: वित्तीय प्रबंधन

पीएमकेवीवाई एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे एनएसडीसी और राज्य स्तरीय अभिकरणों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें सरकार द्वारा 100 *प्रतिशत* हिस्सा प्रदान किया जाता है । इस अध्याय में पीएमकेवीवाई निधियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है।

4.1 पीएमकेवीवाई निधि का बजट, निर्गम एवं उपयोग

पीएमकेवीवाई का पहला चरण मंत्रालय द्वारा केवल एनएसडीसी के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। तथापि, दूसरे चरण से, पीएमकेवीवाई निधि का 75 *प्रतिशत* आवंटन एनएसडीसी (सीएससीएम घटक) एवं 25 *प्रतिशत* राज्यों के लिए (सीएसएसएम घटक) स्वीकृत किया गया था। पीएमकेवीवाई के अपने दो घटकों अर्थात् सीएससीएम और सीएसएसएम के माध्यम से विभिन्न चरणों के अंतर्गत अनुमानित परिव्यय, जारी और उपयोग की गई निधियां ***तालिका 4.1*** में दर्शाई गई हैं।

तालिका-4.1: पीएमकेवीवाई के अंतर्गत निधि का अनुमान, निर्गम और उपयोग

(₹ करोड़ में)

पीएमकेवीवाई	परिव्यय	निर्गम			उपयोग		
		सीएससीएम	सीएसएसएम	कुल	सीएससीएम	सीएसएसएम	कुल
पीएमकेवीवाई 1.0	1500.00	1557.63	--	1557.63*	1174.48	--	**1174.48**
पीएमकेवीवाई 2.0	12000.00	6611.02	1257.91	7868.93	6525.04	996.36	**7521.40**
पीएमकेवीवाई 3.0	948.90	644.27	122.96	767.23	457.83	107.11	**564.94**
कुल	**14448.90**	**8812.92**	**1380.87**	**10193.79**	**8157.35**	**1103.47**	**9260.82**

*मार्च 2024 तक की स्थिति. *=इसमें पूर्व कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना (एसटीएआर) की अप्रयुक्त शेष राशि से एनएसडीसी द्वारा हस्तांतरित ₹ 222.63 करोड़ शामिल है।*

पीएमकेवीवाई के विभिन्न चरणों के अंतर्गत बजटीय और जारी निधियों का वर्ष-वार विश्लेषण ***तालिका 4.2*** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.2: पीएमकेवीवाई के अंतर्गत वर्षवार बजट एवं निधियों का निर्गम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बीई	आरई	पीएमकेवीवाई चरण के लिए जारी करना[47]			
			1.0	2.0	3.0	कुल
2014-15	*	*	435.00			435.00
2015-16	1000.00	1000.00	900.00			900.00
2016-17	1100.00	1249.99		700.00		700.00
2017-18	1300.00	1723.19		1719.08		1719.08
2018-19	1984.34	1946.45	222.63	1909.19		2131.82
2019-20	2116.00	1749.22		1613.26		1613.26
2020-21	1350.00	1534.38		1492.73	22.03	1514.76
2021-22	1438.00	1438.00		379.22	663.99	1043.21
2022-23	1442.00	739.26		55.46	81.21	136.67
2023-24	1558.00	920.00				
कुल	**13288.34**	**12300.49**	**1557.63**	**7868.94**	**767.23**	**10193.80**

*बीई=बजट अनुमान, आरई=संशोधित अनुमान; **= 2014-15 के दौरान, एसटीएआर योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान उपलब्ध थे; नोट: 2022-23 और 2023-24 के दौरान, पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए मंत्रालय द्वारा एनएसडीसी को क्रमशः ₹ 96.42 करोड़ और ₹ 373.14 करोड़ जारी किए गए।*

उपरोक्त ***तालिका* 4.1** दर्शाता है कि पीएमकेवीवाई के पिछले दो चरणों के दौरान, केंद्रीय और राज्य घटकों के लिए निर्धारित 75 और 25 *प्रतिशत* आवंटन के प्रति औसत निर्गमन क्रमशः 84 *प्रतिशत* और 16 *प्रतिशत* जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, ***तालिका 4.2*** दर्शाती है कि पीएमकेवीवाई के अंतर्गत वार्षिक आधार पर जारी की गई निधियाँ ज्यादातर वर्षों में बीई/आरई से कम थी। आवंटन के प्रति सभी चरणों में उपयोग भी कम था। 2016-17 के दौरान, आरई की तुलना में ₹ 549.99 करोड़ कम जारी हुए थे।

कार्यान्वयन अभिकरणों को वर्ष वार जारी की गई कुल पीएमकेवीवाई निधियों और प्रमाणन की भौतिक प्रगति को भी ***ग्राफ 4.1*** के माध्यम से दर्शाया गया है।

[47] प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए योजना-चरण की समाप्ति तिथि के बाद भी निधियां जारी करना अपेक्षित था।

ग्राफ 4.1: पीएमकेवीवाई के अंतर्गत निधियों का निर्गम एवं प्रमाणन

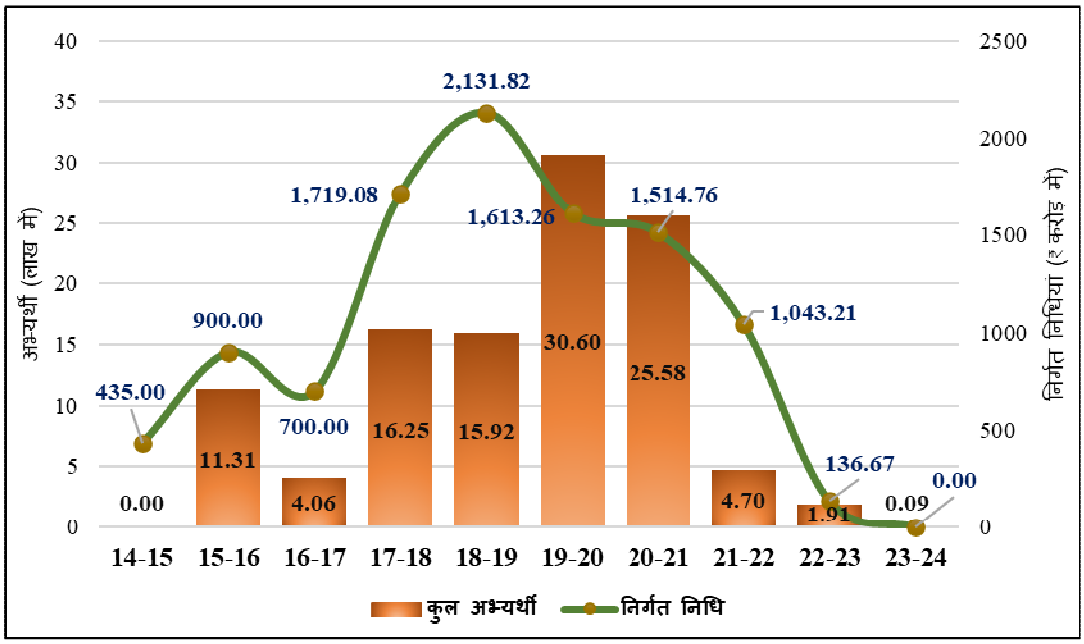

उपरोक्त ***ग्राफ 4.1*** दर्शाता है कि योजना का भौतिक निष्पादन जारी की गई निधि के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, 2018-19 के बाद अभिकरणों को पीएमकेवीवाई निधि जारी करने में गिरावट दर्ज की गई और साथ ही भौतिक प्रगति के साथ इसकी सुसंगतता का अभाव रहा। उपरोक्त ***तालिका*** और ***ग्राफ अध्याय 2*** में व्यय की प्रवृत्ति पर चर्चित लेखापरीक्षा चिंताओं को सुदृढ़ करती है कि एक परिप्रेक्ष्य दीर्घकालिक योजना का अभाव था जिससे पीएमकेवीवाई का असमान कार्यान्वयन हुआ।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (सीएसएसएम घटक) को जारी की गई एवं उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों की वर्ष-वार स्थिति का विवरण ***तालिका-4.3*** और ***ग्राफ 4.2*** में दिया गया है।

तालिका-4.3: सीएसएसएम घटक के अंतर्गत वर्ष-वार निधियों का निर्गम एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

पीएमकेवीवाई	वर्ष ➡	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	कुल
पीएमकेवीवाई	जारी	149.99	586.60	21.23	149.26	239.15	56.22	55.46	--	**1257.91**
2.0	उपयोग	0	13.07	136.78	327.55	225.32	166.70	54.76	72.18	**996.36**
पीएमकेवीवाई	जारी	--				22.03	19.72	81.21	--	**122.96**
3.0	उपयोग					0	4.21	65.18	37.72	**107.11**

नोट: मार्च 2024 तक की स्थिति

ग्राफ 4.2: सीएसएसएम घटक के अंतर्गत पीएमकेवीवाई निधियों का निर्गम एवं उपयोग

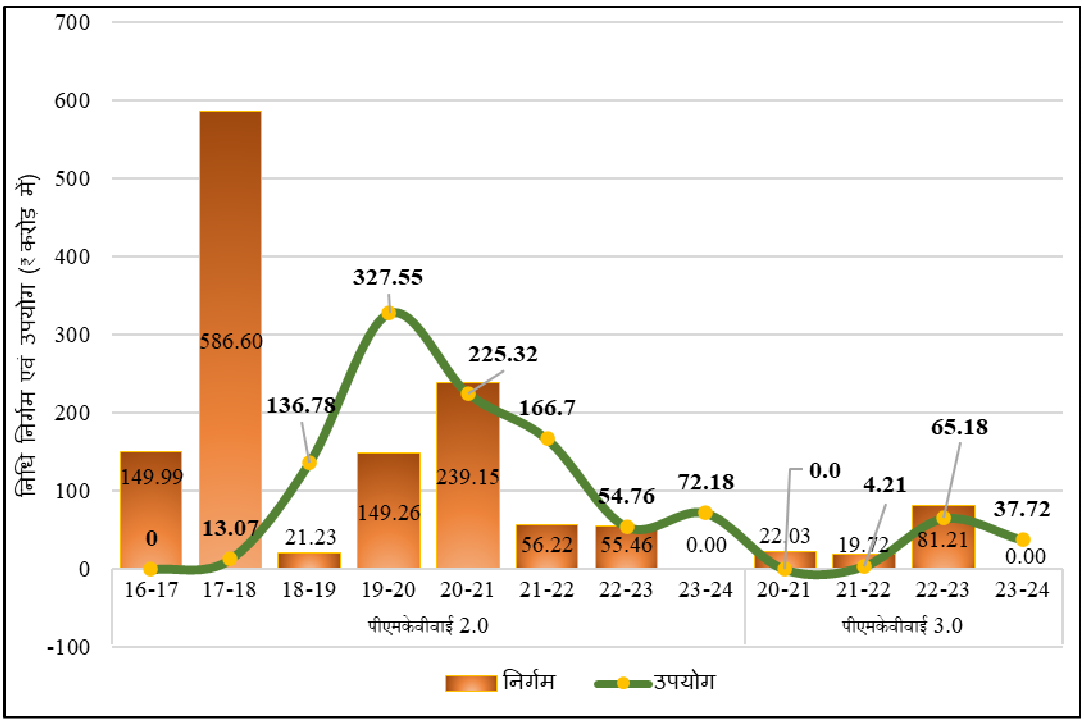

उपरोक्त ***ग्राफ 4.2*** से स्पष्ट है कि 2018-19 और 2019-20 के दौरान, सीएसएसएम घटक के अंतर्गत पीएमकेवीवाई 2.0 का उपयोग पिछले वर्षों के निर्गम संचय को देखते हुए अधिक था। यह पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने (***तालिका 4.3***) के दौरान आठ राज्यों को ₹ 149.99 करोड़ जारी किए गए थे, जिससे पीएमकेवीवाई के सीएसएसएम घटक की धीमी शुरुआत हुई।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि पीएमकेवीवाई 2.0 (सीएसएसएम) के राज्य घटक दिशानिर्देश नवंबर 2016 में जारी किए गए थे और वर्ष के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से सीमित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्तावों के उचित अनुमोदन के बाद ही निधि वितरित की गई। यह भी बताया गया कि राज्य राजकोष से एसएसडीएम के संबंधित खातों में निधियों के शीघ्र हस्तांतरण और निधियों को आगे जारी करने के लिए मंत्रालय को समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ कई बार संपर्क किया गया है।

तथापि, दिशानिर्देशों/निधियों को जारी करने में विलम्ब से योजना के सीएसएसएम घटक की शुरुआत में देरी हुई। ***तालिका 4.3*** से यह भी देखा जा सकता है कि 2017-18 तक, दो वर्षों में कुल ₹ 736.59 करोड़ जारी करने के सापेक्ष में केवल ₹ 13.07 करोड़ का उपयोग दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाद के चरण में लक्ष्यों में कमी आई।

4.2 पीएमकेवीवाई निधियों पर बजटीय और वित्तीय नियंत्रण

लेखापरीक्षा ने पीएमकेवीवाई निधियों के निर्गम और उपयोग पर मंत्रालय के अप्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण पाया, जैसा कि नीचे उप-अनुछेदों के माध्यम से चर्चा की गई है:

4.2.1 एनएसडीएफ के माध्यम से वित्तपोषण

देश में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक न्यास के रूप में (दिसंबर 2008) राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (एनएसडीएफ) की स्थापना की थी। एनएसडीएफ का संचालन और प्रबंधन एक न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें एमएसडीई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय एवं उद्योग प्रतिनिधियों के अधिकारी शामिल होते हैं तथा एनएसडीसी सहित इसकी कार्यान्वयन शाखा है। 2008-12 की अवधि के दौरान, एनएसडीएफ को देश में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सरकार से ₹ 1745.10 करोड़ का कोष प्राप्त हुआ था, जिसमें से 2008-15 के बीच, ₹ 1243.95 करोड़ एनएसडीसी को कौशल विकास अभिकरणों के साथ निवेश करने और उन्हें अनुदान/ऋण प्रदान करने के लिए वितरित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, सीएसआर योगदान से एनएसडीएफ को ₹ 169.69 करोड़ प्राप्त हुए और एनएसडीएफ को एमएसडीई तथा अन्य केंदीय मंत्रालयों की कौशल प्रशिक्षण योजनाओं के लिए भी निधियों की प्राप्ति हुई जिसे बाद में एनएसडीसी को हस्तांतरित कर दिया गया।

मंत्रालय द्वारा कैबिनेट को सौंपे गए पीएमकेवीवाई योजना दस्तावेज एवं प्रस्ताव में, पहले दो चरणों के लिए, योजना के वित्तपोषण में एनएसडीएफ की भूमिका की

कल्पना नहीं की गई थी[48]। तथापि, यह देखा गया कि इन चरणों के दौरान एनएसडीएफ के माध्यम से एनएसडीसी को नियमित रूप से निधियां भेजी गईं, जैसा कि नीचे **तालिका 4.4** में दर्शाया गया है।

तालिका-4.4: एनएसडीएफ के माध्यम से एनएसडीसी को पीएमकेवीवाई का वित्तपोषण

(₹ करोड़ में)

पीएमकेवीवाई चरण	मंत्रालय द्वारा एनएसडीएफ को हस्तांतरित		एनएसडीएफ द्वारा एनएसडीसी को हस्तांतरित	
	राशि	तिथि	राशि	तिथि
1.0	435.00	24.03.2015	435.00	04.06.2015
	500.00	21.09.2015	500.00	27.06.2016
	150.00	15.03.2016	400.00	14.09.2016
	250.00	29.03.2016		
2.0	550.00	30.09.2016	550.00	13.10.2016

एनएसडीएफ के माध्यम से एनएसडीसी को वित्तपोषित करने का यह तंत्र सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सितंबर 2017) की शुरुआत के साथ बदल गया, जिसके बाद मंत्रालय द्वारा सीधे एनएसडीसी को बजटीय अनुदान जारी किए गए। उपरोक्त ***तालिका 4.4*** से यह स्पष्ट है कि पीएमकेवीवाई 1.0 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अंत में बजटीय सहायता की कमी से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा निधियों को संचित करने के लिए एनएसडीएफ का उपयोग किया गया था।

इसके अतिरिक्त, प्राप्ति एवं भुगतान (आरएंडपी) नियमावली 1983 के नियम 100(2) के अनुसार, सरकारी लेखों से कोई भी पैसा तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता न हो। मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान की समाप्ति को रोकने के लिए सरकारी लेखें से धन

[48] अगस्त 2013 से सितंबर 2014 के दौरान 'कौशल प्रमाणन और पुरस्कार योजना (एसटीएआर)' लागू की गई थी। पीएमकेवीवाई को मंत्रालय द्वारा (मार्च 2015) इस एसटीएआर योजना की निरंतरता और संशोधन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा पहले की एसटीएआर योजना की तरह ही समान व्यवस्था अर्थात् एनएसडीएफ के माध्यम से एनएसडीसी को निधियां अंतरित करना अपनाया गया।

निकालना अनुमेय नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014-15 के दौरान, मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय[49] द्वारा जारी मितव्ययिता अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट से छूट प्राप्त करने के बाद सीएफआई से ₹ 435 करोड़ की राशि आहरित की थी तथा वर्ष के दौरान निधियां एनएसडीएफ के पास रखी थीं। यह राशि जून 2015 में अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष 2015-16 में एनएसडीसी को हस्तांतरित की गई जो मौजूदा नियमों का उल्लंघन था।

एनएसडीएफ के माध्यम से एनएसडीसी को निधियां हस्तांतरित करने के संबंध में, मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि निधियां पूर्व तंत्र के अनुसार एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की गई थी। ₹ 435 करोड़ जारी करने में छूट के संबंध में, मंत्रालय ने बताया कि पीएमकेवीवाई के पहले चरण के प्रमोचन में विलंब हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पीएमकेवीवाई 1.0 और 2.0 के निर्धारित दिशा-निर्देश एनएसडीएफ के माध्यम से एनएसडीसी को निधियां हस्तांतरित करने के संबंध में कोई व्यवस्था निर्दिष्ट नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, मितव्ययिता उपायों के सापेक्ष में कैबिनेट से छूट मांगते समय, मंत्रालय ने एनएसडीएफ के पास निधियां संचित रखने के निर्णय से अवगत नहीं कराया। मंत्रालय की कार्रवाई भी पूर्वोक्त आरएंडपी नियमों का उल्लंघन थी।

4.2.2 वित्तीय संसाधनों का गलत अनुमान एवं निधियों के हस्तांतरण में विलंब

पीएमकेवीवाई 1.0 (***तालिका 4.1***) के लिए ₹ 1500 करोड़ के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के संबंध में, मंत्रालय ने अपने कैबिनेट नोट (मार्च 2015) में प्रस्तुत किया कि ₹ 65 करोड़ पहले से ही एनएसडीसी के पास उपलब्ध थे (पूर्ववर्ती एसटीएआर योजना से शेष) जबकि शेष निधि अर्थात् ₹ 1435 करोड़ भारत की समेकित निधि (सीएफआई) के माध्यम से प्राप्त की जानी थी।

---

[49] वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, वित्त मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को मितव्ययिता संबंधी अनुदेश (अक्टूबर 2014) जारी किए, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* मार्च 2015 माह में व्यय को बजट अनुमान के 15 *प्रतिशत* तक सीमित करना शामिल था।

इस अनुमान के सापेक्ष में, जैसा कि ***तालिका 4.2*** में दर्शाया गया है, मंत्रालय द्वारा पीएमकेवीवाई 1.0 की कार्यान्वयन अवधि, अर्थात् 2014-16 के दौरान सीएफआई के माध्यम से ₹ 1335 करोड़ प्रदान किए गए थे। तथापि, एसटीएआर योजना की अप्रयुक्त निधि (₹ 222.63 करोड़) एनएसडीसी द्वारा अप्रैल 2018 में पीएमकेवीवाई 1.0 अर्थात् पहले चरण के समापन और पीएमकेवीवाई 2.0 के अगले चरण (2016 में) के प्रमोचन के काफी बाद हस्तांतरित की गई थी।

एनएसडीसी के लेखों से यह पाया गया कि 2014-15 और 2015-16 के दौरान, तत्कालीन एसटीएआर योजना के अंतर्गत, ₹ 200 करोड़ से अधिक का औसत शेष उपलब्ध था। तथापि, मंत्रालय ने उपलब्ध शेष राशि केवल ₹ 65 करोड़ होने का अनुमान लगाया। तत्पश्चात्, 2018-19 में ₹ 222.63 करोड़ हस्तांतरित करने के बाद, एनएसडीसी ने 2019-20 में अप्रयुक्त पीएमकेवीवाई 1.0 निधि[50] के रूप में सीएफआई को ₹ 464.70 करोड़ वापस किए।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2023) कि एसटीएआर योजना से अप्रयुक्त निधि के हस्तांतरण का प्रस्ताव दिसंबर 2017 में पीएमकेवीवाई संचालन समिति के समक्ष रखा गया था एवं वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के परामर्श के बाद, एनएसडीसी को (अगस्त 2019) शेष निधि सीएफआई को प्रेषित करने के लिए कहा गया था। मंत्रालय ने आगे बताया (मई 2023) कि उसने उचित प्रक्रिया का पालन किया था एवं ₹ 65 करोड़ का आंकड़ा एनएसडीसी अर्थात् कार्यान्वयन अभिकरणो के साथ अनुमान और प्रतिबद्ध देनदारियों के आधार पर निकाला गया था।

उत्तर कमजोर वित्तीय नियंत्रण की ओर इंगित करता है, क्योंकि मंत्रालय एनएसडीसी के पास उपलब्ध निधियों, पीएमकेवीवाई 1.0 के लिए जुटाई जाने वाली निधियों का उचित रूप से अनुमान लगाने तथा कैबिनेट द्वारा पहले से स्वीकृत पिछली योजना से अप्रयुक्त निधि का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, निधियां एनएसडीसी के पास पड़ी रहीं एवं निर्धारित पीएमकेवीवाई चरण 1.0 के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया।

---

[50] इसमें एसटीएआर निधि का शेष, केंद्रीय अनुदान से अप्रयुक्त निधि और अर्जित ब्याज शामिल है।

4.2.3 राज्यों में पीएमकेवीवाई निधियों का अप्रभावी उपयोग

पीएमकेवीवाई 3.0 दिशा-निर्देशों में, मंत्रालय ने ऐसे प्रावधान किए थे, जिनके अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणो द्वारा तीसरे चरण में पीएमकेवीवाई 2.0 की अप्रयुक्त शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। इस मुद्दे पर, संसद की स्थायी समिति ने चिंता व्यक्त की थी और उल्लेखित किया था (मार्च 2022) कि इस तरह के प्रावधान से व्यय में हुई कमियों के कारणों को दूर करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसलिए, समिति ने बजटीय आवंटन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय से और अधिक ठोस प्रयास करने की मांग की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएमकेवीवाई 3.0 चरण के पूरा होने के बाद भी, जुलाई 2023 तक पीएमकेवीवाई 2.0 से संबंधित ₹ 337.16 करोड़ राज्यों के पास अप्रयुक्त पड़े थे। मंत्रालय ने अपने उत्तर में (मई 2023) बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान ने पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के कार्यान्वयन को बहुत प्रभावित किया तथा सभी निर्णय अर्थात् केंद्र और राज्य के आवंटन *प्रतिशत* में परिवर्तन, वित्तीय लक्ष्यों का युक्तिकरण सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से किए गए थे। मंत्रालय ने आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे में भी सूचित किया।

तथापि मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 2016-24 की अवधि के दौरान राज्यों को संवितरित पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के लिए कुल ₹ 1380.87 करोड़ की निधियों में से, मार्च 2024 तक, ₹ 277.40 करोड़ (अर्थात्, 20.09 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रहीं। इसके अतिरिक्त, कोविड-पूर्व अवधि अर्थात् 2016-19 के दौरान, ₹ 757.82 करोड़ के सापेक्ष में उपयोग केवल ₹ 149.85 करोड़ था, जैसा कि ***तालिका 4.3*** के माध्यम से दर्शाया गया है।

चयनित राज्यों में वित्तीय नियंत्रण पहलुओं के संबंध में निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- **बिहार** में, 2017-18 में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कुल ₹ 36.82 करोड़ की पीएमकेवीवाई निधि में से, एसएसडीएम पर्याप्त टीसी की अनुपलब्धता, कौशल-अंतर अध्ययन की अनुपलब्धता, कोविड-19 आदि के कारण

मार्च 2022 तक केवल ₹ 3.62 करोड़ का उपयोग करने में सक्षम था। *मंत्रालय ने कारणों की पुष्टि करते हुए बताया (जून 2025) कि मार्च 2024 तक कुल उपयोग ₹ 5.96 करोड़ था और ₹ 30.85 करोड़ की अप्रयुक्त राशि जून 2024 में मंत्रालय को अभ्यर्पित कर दी गई।*

- **ओडिशा** के संबंध में, कुल ₹ 27.71 करोड़ (अगस्त 2017 और फरवरी 2018) जारी किए गए, एसएसडीएम पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के दौरान मार्च 2024 तक केवल ₹ 7.39 करोड़ का उपयोग करने में ही सफल हुआ था और मंत्रालय को ₹ 6.39 करोड़ के ब्याज के साथ ₹ 20.33 करोड़ की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी। *एसएसडीएम ने बताया (जनवरी 2023) कि निधियों का उपयोग पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।*
- **महाराष्ट्र** में पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के दौरान जारी की गई कुल ₹ 136.51 करोड़ पीएमकेवीवाई निधि में से ₹ 18.94 करोड़ अव्ययित रहे और अभिकरण के पास बकाया थे (अक्टूबर 2024)।

पांच चयनित राज्यों में से शेष तीन राज्यों ने अगस्त 2023 से मई 2024[51] के बीच कुल ₹ 19.43 करोड़ की अप्रयुक्त राशि वापस कर दी।

4.2.4 लाभार्थियों को पुरस्कार राशि और प्रोत्साहन राशि का भुगतान न करना

पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन प्रक्रिया में सभी प्रमाणित अभ्यर्थियों को ₹ 500 की पुरस्कार राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। निर्दिष्ट श्रेणियों अर्थात् महिलाओं, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए, गृह जिले से बाहर प्रशिक्षण के लिए परिवहन शुल्क (₹ 1000 से ₹ 1500 प्रति माह के बीच), पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता (अधिकतम तीन महीने तक ₹ 1500 प्रति माह) जैसे अन्य प्रोत्साहनों का भी प्रावधान योजना दस्तावेज़ में किया गया था। इसके अतिरिक्त जिलों से बाहर प्रशिक्षण के लिए केंद्र के स्थान के मामले में, टीपी के लिए अभ्यर्थियों के भोजन तथा आवास शुल्क का प्रावधान निर्धारित किया गया था।

---

[51] **असम** (निर्गम ₹ 58.60 करोड़, वापस किया गया ₹ 6.30 करोड), **झारखंड** (निर्गम ₹ 29.60 करोड़, वापस किया गया ₹ 1.57 करोड़), **केरल** (निर्गम ₹ 34.58 करोड़, वापस किया गया ₹ 4.74 करोड़), **राजस्थान** (निर्गम ₹ 26.19 करोड़, वापस किया गया 'शून्य') तथा **उत्तर प्रदेश** (निर्गम ₹ 115.21 करोड़, वापस किया गया ₹ 11.56 करोड़)।

पीएमकेवीवाई 1.0 के दौरान, सफल अभ्यर्थियों को पुरस्कार राशि के रूप में प्रशिक्षण लागत प्रदान की गई और औसत राशि ₹ 2200 (आरपीएल) एवं ₹ 8000 (एसटीटी) थी। यह पाया गया कि इस चरण के दौरान, गलत/अपूर्ण बैंक और आधार विवरण के कारण लाभार्थियों को ₹ 40 करोड़ की डीबीटी राशि का भुगतान नहीं किया गया था एवं एनएसडीसी ने अप्रयुक्त राशि को सीएफआई को हस्तांतरित कर दिया था।

पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के संबंध में, जैसा कि ***पैरा 2.4.2.2*** में चर्चा की गई है, 34 लाख अभ्यर्थियों के संबंध में डीबीटी भुगतान अभी भी बकाया है।

चल रहे प्रशिक्षण बैचों के अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 20 *प्रतिशत* (1045 में से 195) प्रशिक्षुओं ने बताया कि उन्हें अभ्यर्थियों को दिए जाने वाले नकद लाभों के बारे में जानकारी नहीं थी।

चयनित राज्यों में लाभार्थियों को भुगतान से संबंधित अन्य मुद्दों पर नीचे दी गई ***तालिका 4.5*** में चर्चा की गई है:

तालिका-4.5: चयनित राज्यों में पीएमकेवीवाई का वित्तपोषण

असम	• एसएसडीएम ने बताया (अगस्त 2024) कि एनएसडीसी द्वारा साझा किए गए अभ्यर्थियों के आंकड़ों के अनुसार, पीएमकेवीवाई 2.0 के 25,970 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से 5,093 अभ्यर्थियों को पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया था। तथापि, पीएमकेवीवाई 3.0 के संबंध में, सभी 2,215 पात्र अभ्यर्थियों का विवरण एनएसडीसी द्वारा साझा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसने आगे सूचित किया कि एसएसडीएम द्वारा अभ्यर्थियों को परिवहन, भोजन तथा आवास शुल्क के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था।

बिहार	• एसएसडीएम ने बताया (सितंबर 2024) कि एसटीटी घटक (सीएसएसएम) के अंतर्गत पीएमकेवीवाई 2.0 के दौरान 3,442 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से 854 अभ्यर्थियों के संबंध में पुरस्कार राशि अमान्य बैंक विवरण और गलत फोन नंबर के कारण वितरित नहीं की जा सकी। • एसएसडीएम ने आगे बताया किया कि जबकि पीएमकेवीवाई 2.0 को बीएसडीएम पोर्टल के माध्यम से संचालित किया गया था फिर भी पीएमकेवीवाई 3.0 के लिए बैच एसआईपी के माध्यम से चलाए गए थे, जिस कारण उनके आधार विवरण उनके पास उपलब्ध नहीं थे एवं मंत्रालय/एनएसडीसी द्वारा भी इसे प्रदान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान 1832 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से किसी को भी पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया गया।
झारखंड	• पीएमकेवीवाई 3.0 (मार्च 2024) में 4,128 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से किसी को भी एसएसडीएम द्वारा ₹ 500 का पुरस्कार और अन्य प्रोत्साहन जैसे कि परिवहन लागत, एकमुश्त प्लेसमेंट लागत, पोस्ट-प्लेसमेंट छात्रवृत्ति आदि का भुगतान नहीं किया गया। *संबंधित अभिकरण ने इसका कारण (जनवरी* 2023) *एसआईपी, पीएफएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कई अनुमति स्तरों तथा टीपी द्वारा दावों के अभाव को भी बताया।*
केरल	• पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के दौरान प्रमाणित 21,312 अभ्यर्थियों में से 5,883 को डीबीटी हस्तांतरण निष्क्रिय/बंद बैंक खाते, बैंक खाते के साथ आधार लिंक न होने जैसे कारणों से नहीं हो सका।
महाराष्ट्र	• पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के दौरान प्रमाणित 67,154 अभ्यर्थियों में से 14,405 अभ्यर्थियों को निष्क्रिय बैंक खाता/आधार, बैंक खाते के साथ आधार का न जोड़ा जाना, नाम का मिलान न होना, अमान्य खाता संख्या, अमान्य प्रत्यय पत्र

	आदि कारणों से पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया गया। • 39,190 महिलाओं और एक दिव्यांगजन अभ्यर्थी के वाहन सहायता के लिए पात्र होने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया गया था। साथ ही, भोजन और आवास, पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता आदि के लिए भी किसी अभ्यर्थी को भुगतान नहीं किया गया था। *संबंधित अभिकरणों ने बताया (अगस्त* 2024) *कि इस संबंध में न तो अभ्यर्थियों से और न ही टीपी से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ। इसने यह भी प्रस्तुत किया कि अभ्यर्थियों के खाता विवरण भी उपलब्ध नहीं थे।*
ओडिशा	• पीएमकेवीवाई 2.0 और 3.0 के अंतर्गत 9593 प्रमाणित अभ्यर्थियों में से 8,958 अभ्यर्थियों को ₹ 500 की पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी) द्वारा बैंक विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, एसएसडीएम द्वारा अतिरिक्त सहायता का भुगतान भी नहीं किया गया था।
राजस्थान	• दूसरे और तीसरे चरण के दौरान प्रमाणित कुल 23,754 अभ्यर्थियों में से, दूसरे चरण (मार्च 2024) से केवल 150 अभ्यर्थियों को ₹ 500 की पुरस्कार राशि का भुगतान किया गया था। किसी भी पात्र अभ्यर्थी को ₹ 1,450 की पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता और ₹ 1,000- ₹ 1,500 की वाहन सहायता का भुगतान नहीं किया गया था। *एसएसडीएम ने पुरस्कार राशि और वाहन सहायता के गैर-भुगतान की अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए सूचित किया (मार्च* 2023) *कि प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत दावों का भुगतान केवल पात्र प्रशिक्षुओं के संबंध में किया गया है।*
उत्तर प्रदेश	• पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन के दौरान 0.74 लाख अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी को पुरस्कार राशि, वाहन और पोस्ट-प्लेसमेंट सहायता के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया। *एसएसडीएम ने बताया (अगस्त* 2024) *कि अभ्यर्थियों को सीधे भुगतान पर उनके द्वारा विचार नहीं किया गया था।*

राज्य स्तरीय कार्यान्वयन इकाइयों (एसएसडीएम) में लेखापरीक्षा से प्राप्त उपरोक्त निष्कर्ष, अभ्यर्थियों की पहचान और खाता विवरण से संबंधित अपर्याप्त डाटा प्रतिधारण के बारे में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अभ्यर्थियों को भुगतान वितरीत नहीं किया गया।

पीएमकेवीवाई 4.0 के दौरान, सभी प्रमाणित अभ्यर्थियों को पुरस्कार राशि के भुगतान की अवधारणा को हटा दिया गया और इसके स्थान पर गैर आवासीय प्रशिक्षणों में महिलाओं और दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं के लिए परिवहन लागत को छोड़कर प्रति अभ्यर्थी ₹ 500 की राशि की वर्दी, इंडक्शन किट एवं प्रतिभागी पुस्तिका का प्रावधान किया गया।

4.2.5 हितधारकों को सीधे शुल्क का भुगतान न करना

पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, एसएससी द्वारा सूचीबद्ध अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया था। इसके अतिरिक्त, भुगतान सीधे हितधारकों के बैंक खाते में किया जाना था। **राजस्थान** में, यह पाया गया कि ₹ 1.26 करोड़ की राशि का मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क मूल्यांकन अभिकरणों/मूल्यांकनकर्ताओं के बजाय सीधे टीपी को भुगतान किया गया था।

एसएसडीएम ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2023/सितंबर 2024) कि इन टीपी द्वारा एसएससी को प्रस्तुत भुगतान चालानों को ध्यान में रखते हुए टीपी को शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था जो सीधे हितधारक के बैंक खातों में भुगतान के हस्तांतरण को निर्धारित करता है।

4.3 एनएसडीसी द्वारा पीएमकेवीवाई निधियों का प्रबंधन

पीएमकेवीवाई के तीन चरणों के दौरान, एनएसडीसी को सीएससीएम घटक के लिए ₹ 8812.92 करोड़ प्राप्त हुए (***तालिका 4.1***)। एनएसडीसी द्वारा पीएमकेवीवाई निधियों के प्रबंधन में पाई गई अनियमितताओं पर आगामी उप-अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

4.3.1 पीएमकेवीवाई अनुदान के सापेक्ष में अर्जित ब्याज का गलत लेखांकन

एनएसडीसी द्वारा प्राप्त कुल अनुदान ₹ 1,557.63 करोड़ में से, ₹ 1,174.48 करोड़ का उपयोग किया गया (***तालिका 4.1*** का संदर्भ लें) और शेष राशि अर्थात्

₹ 81.55 करोड़[52] के ब्याज सहित ₹ 383.15 करोड़ (कुल ₹ 464.70 करोड़) इनके द्वारा वापस कर दिया गया (***पैरा 4.2.2*** का संदर्भ लें)। यह पाया गया कि ₹ 1,174.48 करोड़ के कुल व्यय में से, एनएसडीसी ने ₹ 1,111.48 करोड़ का योजना व्यय (अभ्यर्थियों को मौद्रिक पुरस्कार के वितरण के लिए), ₹ 45.00 करोड़ का जागरूकता और जुटाव शुल्क और ₹ 18.00 करोड़ का प्रशासनिक व्यय का दावा किया था। इस संबंध में, निम्नलिखित अभ्युक्तियां हैं:

- सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 में यह प्रावधान है कि किसी भी अनुदान प्राप्त संस्थान को जारी किए गए अनुदान या अग्रिम के सापेक्ष में सभी ब्याज या अन्य आय को लेखों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद सीएफआई को अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए।

  यह पाया गया कि, अगस्त 2019 में एनएसडीसी द्वारा प्रेषित ₹ 81.55 करोड़ की ब्याज आय की गणना मार्च 2019 तक की अवधि के लिए की गई थी। अप्रैल-अगस्त 2019 की अवधि के दौरान, एनएसडीसी ने अव्ययित पीएमकेवीवाई 1.0 निधि पर ₹ 12.16 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भी अर्जित किया था, जिसे सीएफआई को हस्तांतरित नहीं किया गया था एवं इसके पास ही रहा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया एवं सीएफआई में एनएसडीसी (मई 2023) से ₹ 12.16 करोड़ की वसूली/जमा की सूचना दी

- एनएसडीसी द्वारा भेजी गई ₹ 12.16 की राशि को 44 महीने से अधिक समय तक (अर्थात सितंबर 2019-अप्रैल 2023) रखा गया। तथापि, एनएसडीसी द्वारा इस ₹ 12.16 करोड़ पर अर्जित अतिरिक्त ब्याज के बारे में मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेखापरीक्षा ने सरकार की उधार दरों के आधार पर लगभग ₹ 2.08 करोड़ के ब्याज निहितार्थ का अनुमान लगाया।

---

52 ***एनएसडीसी द्वारा प्रेषित ब्याज***

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज				07.08.2019 को प्रेषित कुल संचित ब्याज
2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.66*	30.10	17.21	32.58	81.55

* वास्तविक ब्याज ₹ 30.02 करोड़ अर्जित हुआ - ₹ 28.36 करोड़ के प्रशासनिक व्यय

- एनएसडीसी ने 2015-16 के लिए ₹ 1.66 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 81.55 करोड़ के ब्याज आय की गणना की। यह पाया गया कि 2015-16 के लिए ब्याज की गणना ₹ 30.02 करोड़ की वास्तविक ब्याज आय से ₹ 28.36 करोड़ के प्रशासनिक व्यय को समायोजित करने के बाद की गई थी।

  इस प्रकार, ₹ 22.23 करोड़ के स्वीकार्य प्रशासनिक व्यय (₹ 1,111.48 करोड़ के दो *प्रतिशत* की दर पर) के सापेक्ष में एनएसडीसी ने प्रशासनिक व्यय के रूप में ₹ 46.36 करोड़ आबंटित किए थे (अर्थात् 2015-16 में ब्याज आय को घटाकर ₹ 28.36 करोड़ एवं वास्तविक दावे में ₹ 18.00 करोड़) जो कि ₹ 24.13 करोड़ अधिक था।

  इस मुद्दे पर, मंत्रालय ने प्रारंभिक रूप से बताया (जनवरी 2023) कि अर्जित ब्याज के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण, एनएसडीसी द्वारा ब्याज आय से प्रशासनिक व्यय वसूला गया था। तथापि, बाद के वर्षों से, एनएसडीसी ने पीएमकेवीवाई से प्रशासनिक/जुटाव व्यय वसूला। मंत्रालय ने यह भी बताया (मई 2023) कि एनएसडीसी को पीएमकेवीवाई निधि से सात *प्रतिशत* के बराबर प्रशासनिक और जुटाव व्यय वसूलने की अनुमति थी। यदि यह अर्जित ब्याज से प्रभारित नहीं किया जाता तो इस प्रशासनिक व्यय को पीएमकेवीवाई निधि से प्रभारित किया जाता।

  मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से 'प्रशासनिक व्यय' (दो *प्रतिशत*) और 'जागरूकता और जुटाव व्यय' (पांच *प्रतिशत*) का प्रावधान था और इन दोनों खर्चों को एक साथ जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। तथ्य यह है कि ₹ 45.00 करोड़ के 'जागरूकता और जुटाव व्यय' शुल्क के अतिरिक्त, एनएसडीसी ने ₹ 22.23 करोड़ के स्वीकार्य प्रशासनिक व्यय के प्रति ₹ 46.36 करोड़ का प्रशासनिक व्यय भी उद्ग्रहण किया। एनएसडीसी द्वारा प्रभारित प्रशासनिक व्यय कुल योजना व्यय का 4.2 *प्रतिशत* था, जबकि दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दो *प्रतिशत* की अनुमति थी।

सितंबर 2019 से एनएसडीसी द्वारा अर्जित ₹ 12.16 करोड़ के ब्याज को लेखा में लिया जाना चाहिए और ब्याज आय के गलत लेखांकन के कारण ₹ 24.13 करोड़

के प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त दावे के साथ सीएफआई को वापस किया जाना चाहिए।

4.3.2 जिला कौशल समितियों के लिए निर्धारित निधियों का हस्तांतरण न होना

पीएमकेवीवाई 3.0 योजना दिशानिर्देशों में सीएससीएम घटक के अंतर्गत, समग्र कार्यक्रम निधि का 11 *प्रतिशत* 'प्रशासन' (छह *प्रतिशत*), 'जागरूकता और जुटाव' (तीन *प्रतिशत*), और 'पोस्ट-प्लेसमेंट' (दो *प्रतिशत*) से संबंधित गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन तीन श्रेणियों में व्यय के लिए जिला कौशल समितियों (डीएससी) को इस 11 *प्रतिशत* निर्धारित निधि में से, पांच *प्रतिशत* ('प्रशासन' के लिए दो *प्रतिशत*, 'जागरुकता एवं संघटन' के लिए दो *प्रतिशत* तथा 'पोस्ट-प्लेसमेंट' के लिए एक *प्रतिशत*) प्रदान किया जाना था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, मंत्रालय ने एनएसडीसी (सीएससीएम घटक) को ₹ 644.27 करोड़ इस अनुदेश के साथ जारी किया कि वह डीएससी को उसका हिस्सा (अर्थात्, ₹ 644.27 करोड़ के 5 *प्रतिशत* की दर पर ₹ 32.21 करोड़) तत्काल जारी करें।

यह पाया गया कि एनएसडीसी द्वारा डीएससी के लिए निर्धारित निधियां उन्हें हस्तांतरित नहीं की गई थीं। अभिकरण ने अपने उत्तर में (जून 2022) बताया कि 'डीएससी को भुगतान नहीं किया गया क्योंकि इस संबंध में उनसे कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था'। तत्पश्चात, मंत्रालय द्वारा भी यही उत्तर दिया गया (जनवरी 2023, मई 2023, अक्टूबर, 2024 एवं जून 2025)।

इन अनिवार्य गतिविधियों पर व्यय के संबंध में मंत्रालय के स्पष्ट अनुदेश के बावजूद, पीआईए को लक्ष्य आवंटित करते समय एनएसडीसी द्वारा डीएससी को निधियां जारी नहीं की गई, जो मंत्रालय द्वारा खराब निगरानी और निरीक्षण को दर्शाता है। मंत्रालय/एनएसडीसी ने अपने उत्तरों में निधियों की उपलब्धता और हस्तांतरण के संबंध में डीएससी को सुग्राही बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सूचित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति आदेश में, एनएसडीसी को निधियां जारी करते समय, मंत्रालय ने आगे निधियां जारी करने के संबंध में विशिष्ट एसएसडीएम/डीएससी की पहचान/पृष्ठांकित नहीं किया था। डीएससी को अभीष्ट हिस्सा (प्रशासन, जागरुकता और प्लेसमेंट संबंधी व्यय) जारी न करने से जिला स्तर पर इन क्षेत्रों में व्यय सुनिश्चित करने का उद्देश्य विफल हो गया।

- **ओडिशा** में, चयनित जिलों में किसी भी प्रकार के जुटाव, परामर्श गतिविधि के अभाव के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी के उत्तर में, संबंधित अभिकरण (एसएसडीएम) ने बताया (जनवरी 2023) कि डीएससी के लिए पृथक बैंक खाते खोलने और मंत्रालय को विवरण प्रदान करने के बावजूद, उन्हें निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई।

4.4 क्षेत्र कौशल परिषदों के बकाया भुगतान

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान संपर्क किए गए 37 एसएससी में से 26 एसएससी ने उत्तर दिया, जिनमें से 23 एसएससी ने उनके कामकाज में आ रही रुकावटों के बारे में बताया क्योंकि अप्रैल 2016 से अगस्त 2022 तक की अवधि के लिए एनएसडीसी/एसएसडीएम से कुल ₹ 52.15 करोड़ का भुगतान बकाया था। एसएससी द्वारा इस संबंध में बताए गए कारणों में एनएसडीसी/एसएसडीएम के पास दावों का लंबित होना और अभ्यर्थियों की उपस्थिति संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि वह पीएमकेवीवाई और अन्य कौशल योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एसएससी की कार्यपद्धति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्यनीति अपनाएगा।

अनुशंसा 8: *मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीति रुप से योजना बनानी चाहिए कि पीएमकेवीवाई चरणों के बीच योजना की व्यय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा हितधारकों द्वारा निधियों का समयोचित हस्तांतरण एवं लेखांकन के लिए अपने वित्तीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।*

मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि 'कौशल भारत कार्यक्रम'[53] नामक समग्र केन्द्रीय क्षेत्र योजना की मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने एवं सरकार के 'हाइब्रिड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट' मॉडल से निधियों के हस्तांतरण को जोड़ने के बाद, योजना के व्यय के अंतर्गत आने वाली रुकावटें दूर हो गई हैं।

[53] कौशल भारत कार्यक्रम में तीन घटक शामिल हैं- पीएमकेवीवाई 4.0, पीएम-राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (पीएम-एनएपीएस) एवं जन शिक्षण संस्थान।

अध्याय 5: जुटाव, निगरानी एवं प्रतिपुष्टि

पीएमकेवीवाई कार्यान्वयन दिशानिर्देश विशेष रूप से 'ब्रांडिंग और प्रचार', 'कौशल और रोजगार मेलों' के आयोजन, 'निगरानी', 'प्रशिक्षुओं से प्रतिपुष्टि' आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन पहलुओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर इस अध्याय में चर्चा की गई है।

5.1 पीएमकेवीवाई के लिए जुटाव

पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों में जुटाव को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया था जो लक्षित समूह में जागरूकता बढ़ाती है और उन्हे योजना के अंतर्गत कौशल विकास पाठ्यक्रमों, से जुडने के लिए प्रेरित करती है। दिशानिर्देश 'समावेशीपन' के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए टीपी द्वारा *'कौशल मेलों'* (जागरूकता पैदा करने और उपयुक्त अभ्यर्थियों को नामांकित करने के लिए एक शिविर-आधारित दृष्टिकोण) के आयोजन को निर्दिष्ट करते हैं।

मंत्रालय द्वारा उप्लब्ध करवाई गई जानकारी (अक्टूबर 2024) के अनुसार, पीएमकेवीवाई 2.0 के दौरान 1671 'कौशल मेलों' का आयोजन किया गया[54]। वर्ष 2017 और 2018 के दौरान कुल 1453 'कौशल मेलों' (1671 का 86.95 *प्रतिशत*) के साथ अधिक 'कौशल मेलों' का आयोजन किया गया था।

पीएमकेवीवाई 3.0 के संबंध में मंत्रालय ने (अगस्त 2022) बताया कि जिला कौशल समिति (डीएससी) को अभ्यर्थियों को संगठित करने, परामर्श देने और टीसी की सहायता करने का कार्य सौंपा गया था। तथापि, जुटाव गतिविधियों (अर्थात् कौशल मेला, जागरूकता एवं पक्ष-समर्थन, प्रचार) के संचालन के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि पीएमकेवीवाई 3.0 के दौरान, डीएससी द्वारा जुटाव और जागरूकता गतिविधियों के लिए निर्धारित दो *प्रतिशत* (₹ 12.89 करोड़) निधि (सीएससीएम घटक) मंत्रालय/एनएसडीसी द्वारा उन्हें हस्तांतरित नहीं की गई थी (***पैरा 4.3.2 का संदर्भ लें***)।

---

[54] दिशा-निर्देशों के अनुसार, टीपी को हर छह महीने में 'कौशल मेला' आयोजित करना आवश्यक था। हालाँकि, यह दिशानिर्देश टीपी द्वारा विशेष रूप से आयोजित *'कौशल मेला'* की संख्या विनिर्दिष्ट नहीं करतें है अर्थात् 4504 मौजूदा कौशल मेले।

लेखापरीक्षा के दौरान सर्वेक्षण किए गए 1045 प्रशिक्षुओं में से केवल एक प्रशिक्षु (अर्थात् 0.10 *प्रतिशत*) ने बताया कि उनके पीएमकेवीवाई जागरूकता का स्रोत कौशल मेला था, जबकि लगभग 43 *प्रतिशत* प्रशिक्षुओं ने इसका श्रेय 'मित्रों और परिवार' को दिया। सर्वेक्षण के दौरान बताए गए अन्य प्रचार स्रोतों में टीपी (25.36 *प्रतिशत*), सोशल मीडिया (9.86 *प्रतिशत*), नियोक्ता (8.52 प्रतिशत), प्रिंट मीडिया (7.94 *प्रतिशत*) और स्थानीय प्रचार अभियान (4.78 *प्रतिशत*) शामिल हैं।

5.1.1 जिला कौशल सूचना केंद्र

पीएमकेवीवाई 3.0 दिशा-निर्देशों में डीएससी के तत्वावधान में जिला स्तरीय कौशल सूचना केंद्र (डीएसआईसी) के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जहाँ संभावित लाभार्थी विभिन्न क्षेत्रों में कौशल-अंतर/आवश्यकताओं, प्रशिक्षण केंद्रों की अवस्थिति, रोजगार के अवसरों, बाजार प्रासंगिक नौकरी-भूमिकाओं आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नोडल डीएसआईसी के निर्माण की स्थिति के बारे में, मंत्रालय ने बताया (मई 2023) कि कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व व्यवधान के कारण, इस पर काम नहीं किया जा सका, तथापि, डीएससी जिले में कौशल विकास कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

5.2 पीएमकेवीवाई में निगरानी तंत्र

केंद्र और राज्य स्तर पर योजना की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तंत्रों की चर्चा नीचे उप-पैराग्राफों में की गई है:

5.2.1 आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस)

पीएमकेवीवाई 2.0 दिशानिर्देश प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एईबीएएस के उपयोग को निर्धारित करते हैं। पीएमकेवीवाई की संचालन समिति ने 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी योजना के अंतर्गत सभी प्रशिक्षण घटकों के लिए एईबीएएस के उपयोग को अनिवार्य किया था। तथापि, प्रशिक्षण अवधि कम होने के कारण, आरपीएल प्रशिक्षण परियोजनाओं अर्थात् कुल पीएमकेवीवाई प्रशिक्षणों का लगभग 50 *प्रतिशत* में एईबीएएस का पालन नहीं किया जा रहा था। पीएमकेवीवाई संचालन समिति ने ऐसे सभी मामलों में कार्योत्तर छूट प्रदान की जहाँ एईबीएएस का पालन नहीं किया गया था और अगले चरण अर्थात् पीएमकेवीवाई 4.0 से इसका 100 *प्रतिशत* अनुपालन करने का निर्देश दिया।

इस संबंध में, पीएमकेवीवाई डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 01 अप्रैल 2018 से आयोजित एसटीटी/एसपी प्रशिक्षणों के 23,64,359 प्रतिभागियों वाले 98,488 पीएमकेवीवाई 2.0/3.0 बैचों में से केवल 13 *प्रतिशत* (3,09,615 प्रतिभागियों वाले 12,538 बैच) में ही एईबीएएस लागू थे। इसके अतिरिक्त, टीसी के सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया कि 86 टीसी में से 24 टीसी में एईबीएएस कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित बुनियादी अवसंरचना उपलब्ध[55] नहीं थी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2023 तथा जून 2025) में एईबीएएस के गैर-अनुपालन के निम्न कारण बताए (क) एईबीएएस डिवाइस की खरीद की चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया, (ख) नेटवर्क/कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण एईबीएएस का उपयोग न करना, (ग) टीसी में संस्थान प्रमुख की बदली होना, (घ) कोविड-19 आदि। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2025 तक 85 *प्रतिशत* अभ्यर्थी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए एईबीएएस पोर्टल पर पंजीकृत थे।

उत्तर यह इंगित करता है कि पीएमकेवीवाई 4.0 में एईबीएएस अभी भी पूर्ण रुप से कार्यान्वित नहीं किया गया था।

5.2.2 राज्य और जिला स्तरीय निगरानी तंत्र

पीएमकेवीवाई के लिए राज्य सहभागिता दिशा-निर्देश एसएसडीएम को सीएससीएम और सीएसएसएम दोनों घटकों की निगरानी करने का आदेश देते हैं तथा एनएसडीसी को उनके साथ प्रशिक्षण डाटा साझा करने की आवश्यकता होती है। तथापि, लेखापरीक्षित आठ राज्यों में से छह राज्यों (असम, बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा) में, एसएसडीएम के पास एनएसडीसी के केंद्रीय घटक प्रशिक्षण डाटा तक पहुँच नहीं थी, जिससे उनकी निगरानी क्षमता सीमित हो गई।

दिशानिर्देशों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता, अवसंरचना एवं प्लेसमेंट की निगरानी के लिए राज्य एवं जिला कौशल निगरानी समितियों (एसएसएमसी/डीएसएमसी) का भी उल्लेख है। मंत्रालय (अक्टूबर 2022) उनकी कार्यपद्धति के बारे में विस्तृत

---

[55] **असम** (नौ में से एक), **बिहार** (सात में से तीन), **केरल** (13 में से दो), **महाराष्ट्र** (दस में से तीन), **ओडिशा** (16 में से 12), **राजस्थान** (सात में से तीन) में बायोमेट्रिक डिवाइस या तो लगाए नहीं गए या काम नहीं कर रहे थे। **झारखंड** में कोई मामला सामने नहीं आया (24 टीसी का सर्वेक्षण किया गया)।

जानकारी नहीं दे सका और तीन राज्यों (**असम, झारखंड, ओडिशा**) ने बताया कि इन समितियों का कभी गठन ही नहीं हुआ। **बिहार, केरल, राजस्थान** और **उत्तर प्रदेश** ने एसएसएमसी/डीएसएमसी के गठन के मुद्दे पर कोई प्रतिपुष्टि न देते हुए बताया (अगस्त 2024) कि एसएसडीएम/डीएससी कौशल गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। तथापि, **महाराष्ट्र** ने योजना की निगरानी के लिए राज्य तथा जिला समितियों का गठन (अगस्त 2015) तथा पुनर्गठन (मई 2020) किया।

5.3 पीएमकेवीवाई के लिए प्रतिपुष्टि तंत्र

मंत्रालय ने परिकल्पना की थी कि मूल्यांकन के दौरान एकत्रित प्रशिक्षु प्रतिपुष्टि पीएमकेवीवाई के मूल्यांकन और इसके विस्तार में महत्वपूर्ण साबित होंगी। पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों में अंतिम मूल्यांकन के समय प्रतिपुष्टि संग्रहण को भी अनिवार्य किया गया है। तथापि, सितंबर 2022 तक, केवल 73,100 प्रशिक्षुओं (प्रमाणित अभ्यर्थियों के एक *प्रतिशत* से भी कम) ने तीनों चरणों में प्रतिपुष्टि प्रस्तुत की थी, जिससे योजना सुधार में इसकी भूमिका सीमित हो गई।

अक्टूबर 2022 में, मंत्रालय ने बताया कि टीसी निरीक्षणों के दौरान और एनएसडीसी कॉल सत्यापन के माध्यम से प्रतिपुष्टि संग्रहित की गई थी, लेकिन मूल्यांकन के दौरान अधिदेशित प्रतिपुष्टि संग्रहण का जिक्र नहीं किया गया था। अधिदेशित प्रतिपुष्टि संग्रहण के बजाय वैकल्पिक तरीकों पर निर्भरता ने प्रतिपुष्टि तंत्र की प्रभावशीलता को कमजोर किया।

अनुशंसा 9: मंत्रालय को मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम सुधार के लिए नियमित निगरानी एवं प्रतिपुष्टि के निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

मंत्रालय ने बताया (जून 2025) कि पीएमकेवीवाई 4.0 कार्यक्रम, निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि तंत्र को सुदृढ़ करने की अनुशंसा पहले से विचाराधीन है।

अध्याय 6 : निष्कर्ष

कुशल श्रमशक्ति के लिए उद्योग मांग को पूरा करने तथा आर्थिक विकास को गति देने के लिए, सरकार ने विभिन्न कौशल विकास की पहल की है। केंद्रीय स्तर पर, लगभग 20 मंत्रालय/विभाग विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हैं।

जुलाई 2015 में शुरू की गई, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के माध्यम से अनौपचारिक रूप से अर्जित कौशल वाले व्यक्तियों को प्रमाणित भी करता है।

'पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कौशल विकास' की निष्पादन लेखापरीक्षा इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, कौशल प्रशिक्षण की प्रकृति एवं पर्याप्त वित्तीय भागीदारी के कारण किया गया था। इसके प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- **दीर्घकालिक कार्यनीति का अभाव:** पीएमकेवीवाई को बिना किसी स्पष्ट दीर्घकालिक योजना के चरणों में कार्यान्वित किया गया था। प्रशिक्षण प्रयास विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में पहचान की गई कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे। अन्य सरकारी कौशल पहलों के साथ अभिसरण तंत्र अप्रभावी था।
- **लाभार्थी पहचान संबंधी मुद्दे:** पीएमकेवीवाई में लक्षित लाभार्थियों (बेरोजगार युवा, स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले) की पहचान करने, उन्हें प्रशिक्षण में शामिल करने तथा सत्यापित करने के लिए एक संरचित प्रणाली का अभाव था। प्रशिक्षकों, मूल्यांकनकर्ताओं एवं लाभार्थियों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान/संपर्क विवरण अंकित करने के लिए कोई डाटा प्रतिधारण नीति नहीं थी, जिससे आईटी नियंत्रण कमजोर हो गया।
- **अनियमित नामांकन एवं प्लेसमेंट:** अभ्यर्थियों को उपयुक्तता मानदंड (आयु, शिक्षा, कार्य अनुभव) पूरा किए बिना नामांकित किया गया था। अल्पकालिक प्रशिक्षण के अंतर्गत, प्रशिक्षित और प्रमाणित अभ्यर्थियों में से

केवल 41 *प्रतिशत* को ही नियुक्त के रुप में दर्शाया गया था जबकि लेखापरीक्षा के दौरान कुछ प्रशिक्षण भागीदारों (टीपी) द्वारा प्रस्तुत प्लेसमेंट दावों में अनियमितताएं पाई गई। आरपीएल के सर्वोत्तम श्रेणी के नियोक्ता घटक ने भी अभिकरण चयन, प्रस्ताव संवीक्षा, मूल्यांकन साक्ष्य एवं निगरानी में भी अनियमितताएं दर्शाईं।

- **वित्तीय अनियमितताएं:** केंद्रीय स्तर पर, लेखापरीक्षा ने गलत वित्तीय अनुमान, कमजोर वित्तीय नियंत्रण और विलंबित निधि हस्तांतरण पाया। एनएसडीसी से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं में गलत लेखांकन, अधिक दावे और जिला कौशल समितियों को निधियों का हस्तांतरण न करना शामिल था। राज्यों में, राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) पीएमकेवीवाई निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असफल रहे।
- **कमजोर निगरानी एवं प्रतिपुष्टि तंत्र:** निगरानी तंत्र अप्रभावी था क्योंकि एईबीएएस उपस्थिति और प्रशिक्षुओं से अनिवार्य प्रतिपुष्टि के प्रावधानों को पूर्णतः लागू नहीं किया गया था, जिससे योजना के क्रियान्वयन में निगरानी एवं सुधार का दायरा सीमित हो गया।

पीएमकेवीवाई 4.0 (2022-26) और प्रणाली सुधार

पीएमकेवीवाई (2022-26) का चौथा चरण फरवरी 2023 में प्रमोचित किया गया था और इसे विशेष रूप से एनएसडीसी के माध्यम से लागू किया गया है। एमएसडीई ने प्रक्रिया में कई सुधारों के बारे में बताया (अक्टूबर 2024), जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अभ्यर्थियों का आधार-आधारित ई-केवाईसी पंजीकरण।
- छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की सहायता से कौशल अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए अभ्यर्थी-केंद्रित प्लेटफ़ॉर्म (एसआईडीएच) का आरंभ।
- अन्य पोर्टलों के साथ एकीकरण।
- बेहतर अभिसरण और आईटी-आधारित निगरानी (अर्थात् वास्तविक समय की जाँच, कॉल सत्यापन, भौतिक दौरे तथा प्रतिपुष्टि)।

यह पाया गया कि योजना के चौथे चरण से सफल अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट को अलग कर दिया गया है एवं अभ्यर्थियों को वित्तीय पुरस्कार प्रदान करने की जगह किट, यूनिफॉर्म और किताबें वितरित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर 2024 तक, मंत्रालय ने अभी तक आईटी से संबंधित सत्यापन को लागू नहीं किया है, जिसका आश्वासन उसने मई 2023 में दिया था।

(सौरव कुमार जयपुरियार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)

नई दिल्ली
दिनांक: 02 सितम्बर 2025

प्रतिहस्ताक्षरित

(के संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 15 सितम्बर 2025

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1.1

(पैरा 1.1 देखें)

केंद्रीय मंत्रालय एवं उनकी कौशल योजनाएँ

(अक्टूबर 2024 में मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग/योजनाएं कौशल गतिविधियों में शामिल थीं)

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम/विभाग	योजना का नाम
1.	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता	1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
		2. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस)
		3. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)
		4. शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
		5. शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
		6. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना
		7. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)
2.	ग्रामीण विकास	8. बेयरफुट तकनीशियन (एमओआरडी-बीएफटी)
		9. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (एसडीआईएस-डीडीयू-जीकेवाई)
		10. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
3.	आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन	11. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एसडीआईएस-एनयूएलएम-एसयूडीए)
		निर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईपीयूएन - आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय)
		13. पीएम- स्वनिधि -आईआईई प्रधान मंत्री (पीएम)
		14. पीएम- स्वनिधि -एनआईईएसबीयूडी

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम/विभाग	योजना का नाम
4.	कृषि एवं किसान कल्याण	15. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
		16. बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन
5.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	17. प्रधान मंत्री -विश्वकर्मा
6.	पर्यटन	18. सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण
7.	शिक्षा	19. समग्र शिक्षा
		20. डीपीआईआईटी-एचआरडी
8.	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना	21. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
9.	प्रौद्योगिकी	22. प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान
10.	वाणिज्य और उद्योग	23. मानव संसाधन विकास (एचआरडी) उप-योजना आईएफएलएडीपी
11.	गृह मंत्रालय	24. जीवंत गांव
12.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	25. नमस्ते-एसटीटी
		26. प्रधान मंत्री (पीएम) दक्ष-एसटीटी
		27. वृद्धावस्था परिचारकों का प्रशिक्षण
13.	जल शक्ति	28. नल जल मित्र
14.	विद्युत	29. पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना
15.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	30. जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में कौशल विज्ञान कार्यक्रम- तकनीशियन प्रशिक्षण
		31. जीवन विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में कौशल विज्ञान कार्यक्रम-छात्र प्रशिक्षण
		32. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
16.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	33. हरित कौशल विकास कार्यक्रम
17.	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	34. असंगठित देखभाल सेवा उद्योग को औपचारिक सेवा क्षेत्र उद्योग में परिवर्तन

क्र. सं.	मंत्रालय का नाम/विभाग	योजना का नाम
18.	अल्पसंख्यक कार्य	35. प्रधान मंत्री - विकास
19.	उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण	36. उचित मूल्य खाद्य दुकान
20.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	37. सूर्य मित्र कौशल विकास कार्यक्रम
		38. प्रधान मंत्री (पीएम) सूर्य घर योजना
		39. राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन
21.	सड़क परिवहन	40. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)
22.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	41. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)
23.	संचार	42. पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान

अनुलग्नक 2.1

(पैरा 2.1 देखें)

पीएमकेवीवाई के विभिन्न चरण

	पीएमकेवीवाई 1.0	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0
लक्षित लाभार्थी	24 लाख एसटीटी- 14 लाख आरपीएल- 10 लाख	एक करोड़ एसटीटी/एसपी- 60 लाख आरपीएल- 40 लाख	8 लाख एसटीटी- 2.20 लाख आरपीएल- 5.80 लाख
अवधि	एक वर्ष (2015-16)	चार वर्ष (2016-20) 15 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया	एक वर्ष (2021-22)
परिव्यय	₹ 1500 करोड़	₹ 12000 करोड़	₹ 948.90 करोड़
घटक	केन्द्र द्वारा वित्तपोषित एवं कार्यान्वित सीएससीएम (एनएसडीसी)	केंद्र द्वारा वित्तपोषित तथा केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा कार्यान्वित सीएससीएम (एनएसडीसी-75%) और सीएसएसएम (राज्य-25%)	
प्लेसमेंट	गैर-प्लेसमेंट लिंक्ड कार्यक्रम योजना के दूसरे भाग में प्लेसमेंट प्रोत्साहन की शुरुआत की गई।	प्रशिक्षण प्रदाताओं को भुगतान की तीसरी किश्त (कुल भुगतान का 20%) प्लेसमेंट सत्यापन से जुड़ी थी।	भुगतान की तीसरी किश्त (कुल भुगतान का 30%) प्लेसमेंट सत्यापन से जुड़ी थी।
संवितरण	सफल उम्मीदवारों ने अपने बैंक खातों में पुरस्कार राशि प्राप्त की। नए प्रशिक्षण और आरपीएल के लिए औसत पुरस्कार राशि क्रमशः ₹ 8000 और ₹ 2200 थी।	प्रमाणित उम्मीदवारों को ₹ 500 के नकद पुरस्कार के साथ 50:30:20 के अनुपात में (क्रमशः नामांकन, प्रमाणन और प्लेसमेंट के बाद) प्रशिक्षण प्रदाताओं को अदायगी	प्रमाणित उम्मीदवारों को ₹ 500 के नकद पुरस्कार के साथ 40:30:30 अनुपात में (क्रमशः नामांकन, प्रमाणन और प्लेसमेंट के बाद) प्रशिक्षण प्रदाताओं को अदायगी
उपस्थिति	प्रशिक्षण केन्द्रों पर मैन्युअल उपस्थिति	*आधार* सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली	
बीमा कवरेज	उपलब्ध नहीं है।	3 वर्ष की अवधि के लिए ₹ 2 लाख की दुर्घटना मृत्यु और स्थायी विकलांगता कवरेज।	

	पीएमकेवीवाई 1.0	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0
आरपीएल प्रशिक्षण की विधियाँ	प्रशिक्षण प्रदाता: प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से	विभिन्न आरपीएल के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रकार 1- आरपीएल कैम्प: वह स्थान जहां किसी विशेष क्षेत्र के श्रमिकों को एकत्रित किया जाता है। प्रकार 2 - नियोक्ता के परिसर में आरपीएल: नियोक्ता के परिसर में। प्रकार 3 - आर.पी.एल. केन्द्र: भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए श्रमिकों के लिए निर्दिष्ट केन्द्र, जिन्हें संगठित करने की आवश्यकता है। प्रकार 4 - श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं के साथ आरपीएल (बीआईसीई): विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नियोक्ता/उद्योग अपने कर्मचारियों को प्रमाणित करके इस परियोजना को क्रियान्वित करते हैं। प्रकार 5 - मांग के माध्यम से आरपीएल: उम्मीदवारों द्वारा 'मांग एकत्रीकरण पोर्टल' पर पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों के मांग के आधार पर	विभिन्न आरपीएल के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रकार 1- आरपीएल कैंप प्रकार 2 - नियोक्ता के परिसर में आरपीएल प्रकार 3 - मांग के माध्यम से आरपीएल प्रकार 4 - श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं के साथ आरपीएल (बीआईसीई) प्रकार 5 - ऑनलाइन आरपीएल: विशिष्ट नौकरी-भूमिकाएँ जिनके सिद्धांत और व्यावहारिक पक्ष को ऑनलाइन आयोजित किया जा सकता है।

अनुलग्नक 2.2

(पैरा 2.1.1 देखें)

विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती कौशल आवश्यकताएं एवं प्रशिक्षण

क्रम. संख्या	क्षेत्र का नाम	कौशल आवश्यकताएँ अनुमान (एनपीएसडीई, 2015)		प्रमाणित अभ्यर्थी			
				संख्या हजार में			*प्रतिशत* में
		संख्या हजार में	*प्रतिशत*	एसपी	एसटीटी	कुल	
1.	स्वचालित वाहन	3900	3.55	2.39	143.41	145.81	2.60
2.	परिधान			35.15	808.19	843.33	15.02
3.	एयरोस्पेस और विमानन			0.12	7.45	7.57	0.13
4.	सौंदर्य एवं कल्याण	10060	9.17	9.01	332.92	341.93	6.09
5.	बीएफएसआई	1700	1.55	1.71	103.36	105.07	1.87
6.	पूंजीगत वस्तुएं			1.26	50.06	51.32	0.91
7.	पेंट और कोटिंग्स			0	0.12	0.12	0.00
8.	निर्माण	31130	28.37	6.35	174.06	180.4	3.21
9.	घरेलू श्रमिक	4880	4.45	1.27	17.59	18.86	0.34
10.	इलेक्ट्रानिक्स	4610	4.20	14.27	932.63	946.9	16.87
11.	खाद्य प्रसंस्करण	4400	4.01	4.04	36.31	40.36	0.72
12.	कृषि	-24800	-22.60	5.67	184.07	189.74	3.38
13.	फर्नीचर और फिटिंग	7180	6.54	0.66	24.71	25.37	0.45
14.	रत्न एवं आभूषण	3590	3.27%	0.6	78.06	78.66	1.40
15.	हरित नौकरियाँ			1	34.94	35.94	0.64
16.	हस्तशिल्प और कालीन	6140	5.60	6.4	16.81	23.2	0.41
17.	उपकरण			0	0	0	0.00
18.	अवसंरचना उपकरण	2700	2.46	0.52	3.79	4.32	0.08
19.	लोहा और इस्पात			0.05	48.58	48.63	0.87
20.	चमड़ा	3720	3.39	3.45	71.37	74.82	1.33
21.	रसद	11660	10.63	2.68	532.76	535.44	9.54
22.	प्रबंधन	4830	4.40	5.64	85.77	91.41	1.63
23.	मीडिया और मनोरंजन	900	0.82	3.12	84.82	87.95	1.57
24.	खनन			0	49.17	49.17	0.88
25.	हाइड्रोकार्बन			0.11	0.26	0.37	0.01
26.	प्लम्बिंग			2.82	50.62	53.44	0.95
27.	जीवन विज्ञान	1720	1.57	0.48	32.03	32.51	0.58
28.	ऊर्जा			1.13	73.78	74.9	1.33
29.	रबड़			5.59	19.63	25.22	0.45
30.	खुदरा	6290	5.73	18.46	483.81	502.27	8.95
31.	खेल			0	3.11	3.11	0.06
32.	स्वास्थ्य देखभाल	3800	3.46	4.98	154.11	159.09	2.83

क्रम. संख्या	क्षेत्र का नाम	कौशल आवश्यकताएँ अनुमान (एनपीएसडीई, 2015)		प्रमाणित अभ्यर्थी			
				संख्या हजार में			*प्रतिशत* में
		संख्या हजार में	*प्रतिशत*	एसपी	एसटीटी	कुल	
33.	दूरसंचार	2080	1.90	2.2	265.24	267.44	4.76
34.	वस्त्र	6310	5.75	9.13	29.79	38.92	0.69
35.	पर्यटन एवं आतिथ्य	6480	5.91	7.45	183.98	191.43	3.41
36.	आईटी (सूचना प्रद्योगिकी)-आईटीईएस	2160	1.97	8.85	271.36	280.21	4.99
37.	लोक निर्माण विभाग			0.19	47.41	47.6	0.85
38.	प्रशिक्षण महानिदेशालय			0	10.92	10.92	0.19
39.	शिक्षा/कौशल विकास	4290	3.91	0	0	0	0.00
	कुल योग	**109730**	**100.00**	**166.73**	**5446.99**	**5613.72**	**100.00**

नोट 1: उपरोक्त सूची में मंत्रालय के अंतर्गत 37 क्षेत्र और प्रशिक्षण महानिदेशक शामिल हैं, जिन्होंने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण भी आयोजित किया। शिक्षा/कौशल विकास के संबंध में कौशल-अंतराल अध्ययन किया गया था, लेकिन एसएससी नहीं बनाया गया था। नोट 2: 37 क्षेत्रों में से केवल 24 क्षेत्रों में कौशल-अंतराल अध्ययन आयोजित किया गया था। नोट 3. 2013-22 की अवधि के लिए 1,097.3 लाख के अनुमानित कौशल-अंतर को एनपीएसडीई, 2015 में 2015-22 की अवधि के लिए 1,046.2 लाख व्यक्तियों में समायोजित किया गया था।

अनुलग्नक 2.3

(पैरा 2.1.1 देखें)

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में बढ़ती कौशल आवश्यकताएं एवं प्रशिक्षण

क्रम. सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कौशल आवश्यकताएँ अनुमान (एनपीएसडीई, 2015)		प्रमाणित अभ्यर्थी			
				संख्या हजार में			*प्रतिशत* में
		संख्या हजार में	*प्रतिशत*	एसपी	एसटीटी	कुल	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.00	2.16	2.16	0.04
2.	आंध्र प्रदेश	10871.32	9.24	5.44	250.33	255.77	4.56
3.	अरुणाचल प्रदेश	147.05	0.12	3.26	25.56	28.81	0.51
4.	असम	1234.36	1.05	8.13	140.05	148.18	2.64
5.	बिहार	-	-	5.68	283.79	289.47	5.16
6.	चंडीगढ़	-	-	0.77	14.74	15.51	0.28
7.	छत्तीसगढ़	3043.72	2.59	0.62	94.21	94.84	1.69
8.	दिल्ली	6341.92	5.39	16.55	187.09	203.63	3.63
9.	गोवा	227.26	0.19	0.14	2.62	2.76	0.05
10.	गुजरात	5756.71	4.89	7.65	151.31	158.96	2.83
11.	हरियाणा	3709.92	3.15	10.80	315.99	326.80	5.82
12.	हिमाचल प्रदेश	1240.34	1.05	4.74	74.74	79.48	1.42
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1122.79	0.95	5.44	118.57	124.02	2.21
14.	झारखंड	4452.80	3.78	1.66	86.79	88.45	1.58
15.	कर्नाटक	8476.13	7.20	10.05	177.81	187.86	3.35
16.	केरल	3153.00	2.68	0.54	75.94	76.48	1.36
17.	लद्दाख	-	-	0.15	1.70	1.85	0.03
18.	लक्षद्वीप	-	-	0.00	0.13	0.13	0.00
19.	मध्य प्रदेश	7816.05	6.64	12.25	465.36	477.60	8.51
20.	महाराष्ट्र	15522.19	13.19	13.28	251.31	264.59	4.71
21.	मणिपुर	233.45	0.20	0.83	38.92	39.75	0.71
22.	मेघालय	248.95	0.21	0.26	24.68	24.93	0.44
23.	मिज़ोरम	140.19	0.12	1.00	18.50	19.49	0.35
24.	नगालैंड	97.38	0.08	2.32	16.58	18.90	0.34
25.	ओडिशा	2114.87	1.80	3.43	159.26	162.68	2.90
26.	पुदुचेरी	-	-	0.39	20.14	20.53	0.37
27.	पंजाब	1612.79	1.37	7.13	259.87	267.00	4.76
28.	राजस्थान	4242.44	3.61	1.86	404.55	406.41	7.24
29.	सिक्किम	147.82	0.13	0.19	8.82	9.01	0.16
30.	तमिलनाडु	13552.00	11.52	10.90	312.34	323.24	5.76

क्रम. सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कौशल आवश्यकताएँ अनुमान (एनपीएसडीई, 2015)		प्रमाणित अभ्यर्थी			
				संख्या हजार में			*प्रतिशत* में
		संख्या हजार में	*प्रतिशत*	एसपी	एसटीटी	कुल	
31.	तेलंगाना	-	-	3.04	229.18	232.22	4.14
32.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	-	0.00	4.71	4.71	0.08
33.	त्रिपुरा	259.33	0.22	2.97	40.80	43.77	0.78
34.	उत्तर प्रदेश	10510.79	8.93	21.88	806.47	828.34	14.76
35.	उत्तराखंड	2061.14	1.75	0.85	105.55	106.40	1.90
36.	पश्चिम बंगाल	9342.56	7.94	2.55	276.44	278.99	4.97
	कुल	**117678.25**	**100.00**	**166.73**	**5446.99**	**5613.72**	**100.00**

नोट: एनपीएसडीई के अनुसार, संघ शासित क्षेत्रों और बिहार के लिए कौशल-अंतराल अध्ययन उपलब्ध नहीं था।

अनुलग्नक 3.1

(पैरा 3.2.3 देखे)

अपेक्षित योग्यता न रखने वाले पीएमकेवीवाई 4.0 प्रमाणित उम्मीदवारों का विवरण

1. *9वीं कक्षा तथा उससे ऊपर की योग्यता की आवश्यकता वाली नौकरी-भूमिकाओं में प्रमाणित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता*

प्रमाणित/प्रशिक्षित लाभार्थियों की योग्यता	नौकरी-भूमिका के अनुसार प्रवेश स्तर की योग्यता			
	माध्यमिक (9वीं- 10वीं)	उच्च माध्यमिक (11वीं- 12वीं)	स्नातक	स्नातकोत्तर एवं उससे ऊपर
जानकारी दर्ज नहीं की गई	162744	19469	4537	132
प्राथमिक (5वीं) तक बुनियादी साक्षरता	6225	466	18	-
मध्यम (6वीं से 8वीं तक)	7651	1289	39	-
माध्यमिक (9 वीं - 10 वीं)	124314	17734	1776	1
उच्च माध्यमिक (11 वीं - 12 वीं)	156944	26854	5692	5
स्नातक	17640	4400	3108	1
स्नातकोत्तर एवं उससे ऊपर	2280	1062	148	-

2. *पूर्व तकनीकी योग्यता की आवश्यकता वाली नौकरी-भूमिकाओं में प्रमाणित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता*

प्रमाणित/प्रशिक्षित लाभार्थियों की योग्यता	नौकरी-भूमिका के अनुसार प्रवेश स्तर की योग्यता		
	प्रमाणपत्र	डिप्लोमा	आईटीआई प्रमाणपत्र/डिप्लोमा
जानकारी दर्ज नहीं की गई	2159	219	361
प्राथमिक (5वीं) तक बुनियादी साक्षरता	11	1	105
नियमित शिक्षा (6 वीं कक्षा से स्नातकोत्तर और उससे ऊपर तक)	3538	317	380
व्यावसायिक	8	-	1
प्रमाणपत्र	1	10	-
डिप्लोमा	69	9	5
आईटीआई - प्रमाणपत्र/डिप्लोमा	722	55	211
स्नातक/स्नातकोत्तर	107	47	-

अनुलग्नक 3.2

(पैरा 3.3.1 देखें)

प्रशिक्षण केंद्रों के भौतिक निरीक्षणों के परिणाम

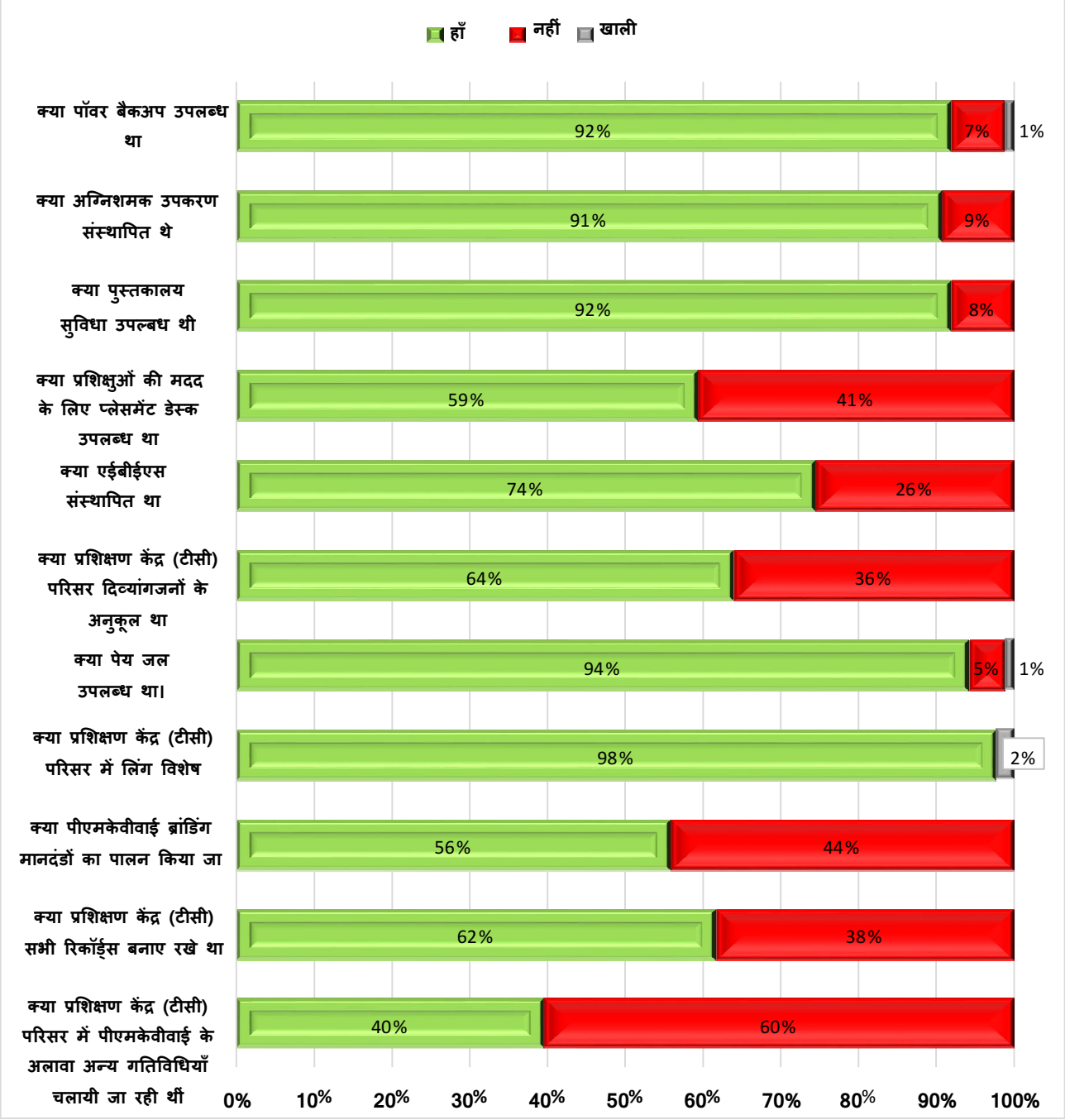

निरीक्षण के दौरान 90 प्रशिक्षण केंद्रों में से 4 बंद पाए गए। उपरोक्त तालिका में शेष 86 प्रशिक्षण केंद्रों में किए गए सर्वेक्षण के परिणामों का सारांश है।

अनुलग्नक 3.3

(पैरा 3.3.1 देखें)

प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों के लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

1. लाभार्थियों की प्रशिक्षण-संबंधी प्रतिपुष्टियाँ

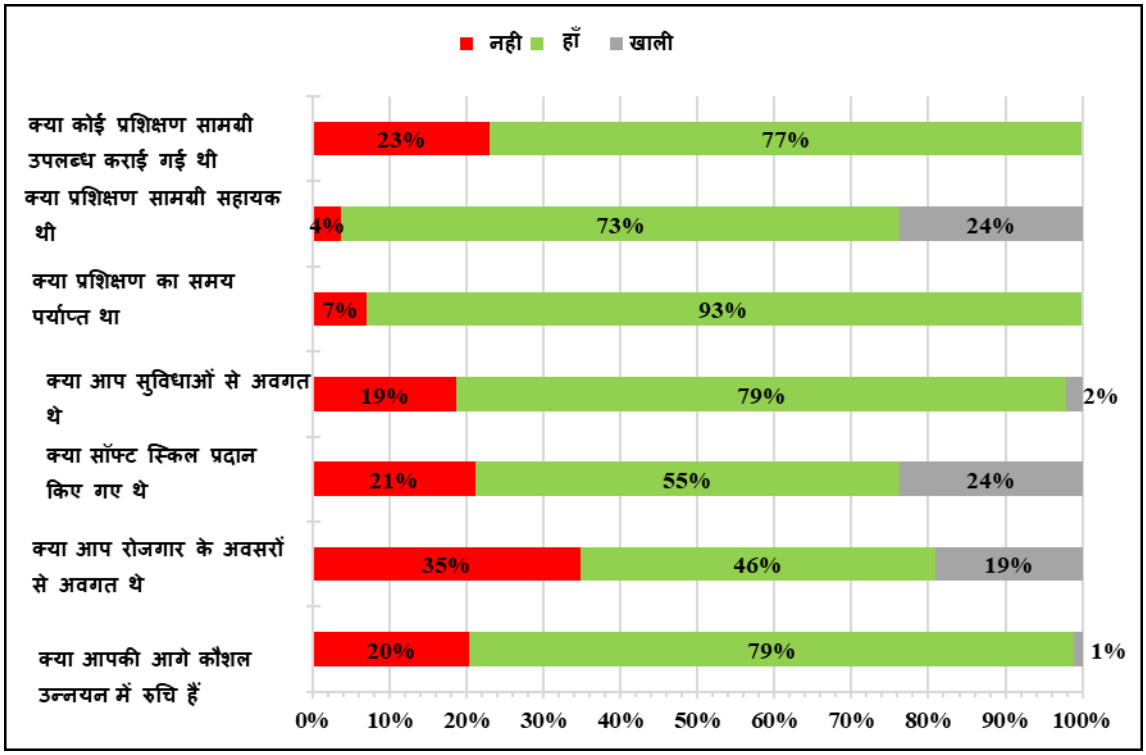

2. लाभार्थियों की प्रशिक्षण गतिविधियों पर प्रतिपुष्टि

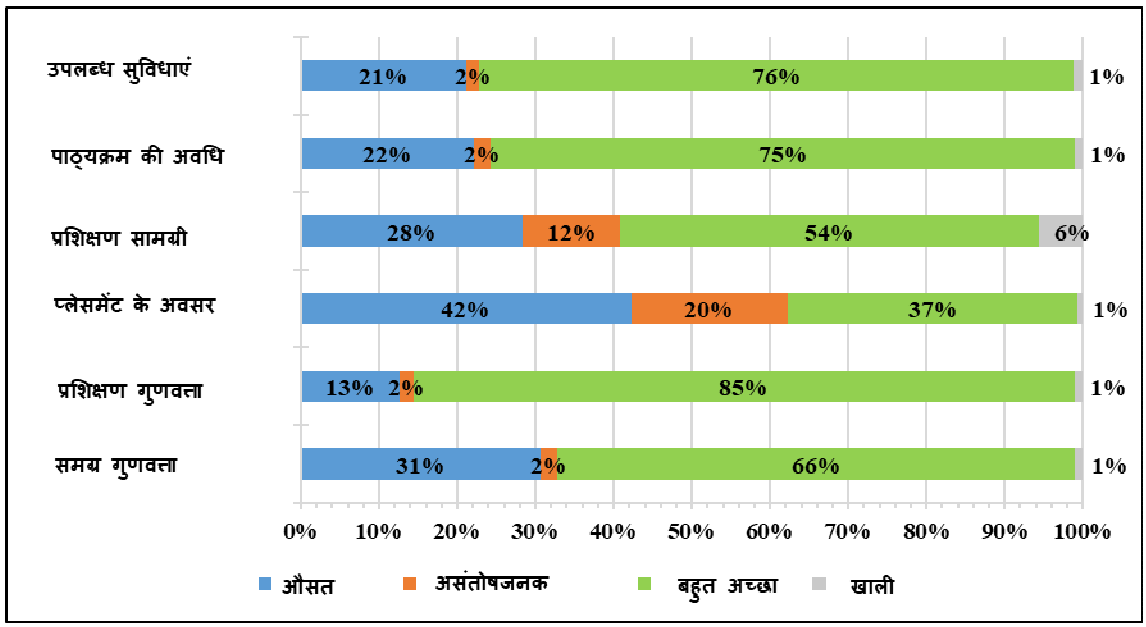

अनुलग्नक 3.4

(पैरा 3.6 देखें)

प्रमाणित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों का क्षेत्र वार विवरण

क्रम सं.	क्षेत्र कौशल परिषद	एसटीटी/एसपी के तहत प्रमाणित अभ्यर्थी	नियुक्त किये गये अभ्यर्थी	समग्र प्लेसमेंट का *प्रतिशत*	क्षेत्रीय प्लेसमेंट का *प्रतिशत*
1.	परिधान	843331	411195	17.74	48.76
2.	इलेक्ट्रानिक्स	946902	391524	16.89	41.35
3.	खुदरा	502273	206392	8.90	41.09
4.	रसद	535436	194520	8.39	36.33
5.	सौंदर्य एवं कल्याण	341931	142832	6.16	41.77
6.	दूरसंचार	267436	123820	5.34	46.30
7.	आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी)-आईटीईएस	280208	117448	5.07	41.91
8.	कृषि	189735	83742	3.61	44.14
9.	निर्माण	180400	80844	3.49	44.81
10.	पर्यटन और आतिथ्य	191427	73791	3.18	38.55
11.	स्वास्थ्य देखभाल	159091	59260	2.56	37.25
12.	बीएफएसआई	105072	43036	1.86	40.96
13.	स्वचालित वाहन	145806	40042	1.73	27.46
14.	ऊर्जा	74904	39091	1.69	52.19
15.	मीडिया और मनोरंजन	87948	38384	1.66	43.64
16.	चमड़ा	74823	36289	1.57	48.50
17.	वस्त्र	38916	31762	1.37	81.62
18.	प्रबंधन	91405	30675	1.32	33.56
19.	पूंजीगत माल	51315	20435	0.88	39.82
20.	हरित नौकरियाँ	35935	17887	0.77	49.78
21.	प्लम्बिंग	53440	17535	0.76	32.81
22.	लोक निर्माण विभाग	47604	16297	0.70	34.23
23.	लोहा और इस्पात	48633	15731	0.68	32.35
24.	रत्न एवं आभूषण	78659	13917	0.60	17.69
25.	रबड़	25220	12576	0.54	49.87
26.	खाद्य प्रसंस्करण	40358	11062	0.48	27.41
27.	जीवन विज्ञान	32509	10458	0.45	32.17
28.	घरेलू श्रमिक	18863	10063	0.43	53.35
29.	फर्नीचर और फिटिंग	25370	8319	0.36	32.79
30.	हस्तशिल्प और कालीन	23201	8140	0.35	35.08
31.	खनन	49168	7234	0.31	14.71
32.	एयरोस्पेस और विमानन	7569	1498	0.06	19.79

क्रम सं.	क्षेत्र कौशल परिषद	एसटीटी/एसपी के तहत प्रमाणित अभ्यर्थी	नियुक्त किये गये अभ्यर्थी	समग्र प्लेसमेंट का *प्रतिशत*	क्षेत्रीय प्लेसमेंट का *प्रतिशत*
33.	खेल	3107	1498	0.06	48.21
34.	आधारभूत संरचना	4317	873	0.04	20.22
35.	हाइड्रोकार्बन	372	139	0.01	37.37
36.	प्रशिक्षण महानिदेशालय	10917	0	0.00	0.00
37.	पेंट और कोटिंग्स	115	0	0.00	0.00
38.	उपकरण	0	0	0.00	0.00
39.	शिक्षा/कौशल विकास	0	0	0.00	0.00
	कुल	**5613716**	**2318309**	**100.00**	**41.30**

अनुलग्नक 3.5

(पैरा 3.8 देखें)

आरपीएल-बीआईसीई कार्यान्वयन प्रक्रिया

➢ कुछ सांकेतिक मापदंडों जैसे कारोबार, कर्मचारियों की संख्या, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण, संचालन के वर्ष, उद्योग पुरस्कार/मान्यता प्राप्तकर्ता आदि के आधार पर संबंधित एसएससी द्वारा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की पहचान।
➢ सांकेतिक मापदंडों जैसे कि पात्र नियोक्ता के पेरोल/संविदा पर कार्यरत कर्मचारी, वे कर्मचारी जो पहले से प्रमाणित नहीं थे, नियोक्ता के साथ न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने वाले इत्यादि के आधार पर संबंधित एसएससी द्वारा चयनित नियोक्ताओं के पात्र कर्मचारियों की पहचान।
➢ एसएससी द्वारा एनएसडीसी को चयनित नियोक्ता और अपनाए गए पात्रता मानदंड, पात्र नियोक्ताओं की संख्या, नौकरी-भूमिकाओं की सूची, कार्यान्वयन योजना और स्थान आदि का विवरण वाला प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
➢ एनएसडीसी द्वारा प्रस्ताव को प्रारंभिक जांच और अनुमोदन के लिए पीएमकेवीवाई कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
➢ चयनित कर्मचारियों का मूल्यांकन और प्रमाणन। कोई अभिविन्यास प्रशिक्षण नहीं।
➢ एनएसडीसी द्वारा मानदंडों के अनुसार परियोजना की समग्र निगरानी तथा भुगतान जारी करना।

संकेताक्षरों की सूची

एईबीएएस	आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली
एकेजीजी	एके ग्रुप ग्रिफ़िन्स
बीई	बजट अनुमान
बी.आई.सी.ई.	मुख्य डाटा अधिकारी
बीएसडीएम	बेस्ट इन क्लास एम्पलॉयर
सीडीओ	मुख्य डाटा अधिकारी
सीएफआई	भारत की संचित निधि
सीएससीएम	केन्द्र प्रायोजित केन्द्र प्रबंधित
सीएसएसएम	केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशक
डीआईएवी	भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक निदेशालय
डीएससी	जिला कौशल समिति
डीएसडीपी	जिला स्तरीय कौशल विकास योजना
डीएसआईसी	जिला कौशल सूचना केंद्र
ईसी	कार्यकारी समिति
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीकेआरए	गरीब कल्याण रोजगार अभियान
आईडी	पहचान
आईटी	सूचान प्रौद्योगिकी
जेसीएस	जयपुर सांस्कृतिक सोसायटी
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमोआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

एनसीएस	राष्ट्रीय करियर सेवा
एनसीवीईटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनएमपी	नीलिमा मूविंग पिक्चर्स
एनओएस	राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक
एनपीएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसडीएफ	राष्ट्रीय कौशल विकास कोष
एनएसडीएम	राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
एनएसडीपी	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना
ओएसडीए	ओडिशा कौशल विकास अभिकरण
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीएमकेवीवाई	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना
पीडब्ल्यूडी	दिव्यांगजन
क्यूपी	योग्यता पैक
आरई	संशोधित अनुमान
आरकेवीवाई	रेल कौशल विकास योजना
आरपीएल	पूर्व शिक्षण की मान्यता
एसएएनकेएएलपी	आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता
एससी	संचालन समिति
एसडीएमएस	कौशल विकास निगरानी प्रणाली
एसएचआई	कौशल हब पहल
एसआईडीएच	स्किल इंडिया डिजिटल हब
एसआईपी	कौशल भारत पोर्टल
एसएमएआरटी	कौशल प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन
एसपी	विशेष परियोजना
एसएससी	सेक्टर कौशल परिषद

एसएसडीएम	राज्य कौशल विकास मिशन
एसएसडीपी	राज्य स्तरीय कौशल विकास योजना
एसटीएआर	कौशल प्रमाणन एवं पुरस्कार योजना
एसटीटी	अल्पकालिक प्रशिक्षण
टीसी	प्रशिक्षण केंद्र
टीपी	प्रशिक्षण प्रदाता/भागीदार
यूडाइस	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/cen/new-delhi-iii/hi